पंचम माला, खण्ड 61, अंक 31, सोमवार, 3 मई, 1976/13 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXI, No. 31,. Monday, May 3, 1976/Vaisakha 13, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 61 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

10 LSS/76—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31, सोमवार, 3 मई, 1976/13 वैशाख, 1898 (शक)

No. 31, Monday, May 3, 1976/Vaisakha 13, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 628, 631, 632, 635, 637, 639, 641, 643, 644 और 646	Starred Questions Nos. 628, 631, 632, 635, 637, 639, 641, 643, 644 and 646	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 629, 630, 633, 634, 636, 638, 640, 642, 645 और 647	Starred Questions Nos. 629, 630, 633, 634, 636, 638, 640, 642, 645 and 647	17—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 3104 से 3150, 3152 से 3168, 3170 से 3173, 3175 और 3178 से 3203	Unstarred Questions Nos. 3104 to 3150, 3152 to 3168, 3170 to 3173, 3175 and 3178 to 3203	25—76
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	77—78
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	78
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee . . .	79
भारतीय खान विद्यालय धनबाद की महा-परिषद्	General Council of Indian School of Mines, Dhanbad.	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77	
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce . .	79—101
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्	Shri S. A. Muruganantham	79
श्री पट्टाभिरामा राव	Shri Pattabhi Rama Rao	82
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	82
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	83

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel . . .	84
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh . .	85
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia .	87
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	90
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	91
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik . . .	91
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	92
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . .	93
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	93
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D Desai . . .	94
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya . .	96
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation .	102—118
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy . .	102
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	112
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . .	112
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	113
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	115
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	117

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 3 मई, 1976/13 वैशाख, 1898 (शक)

Monday, May 3, 1976/Vaisakha 13, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तिलहन वर्कशाप

*628. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1976 के दौरान नागपुर में एक तिलहन वर्कशाप आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां तो इस वर्कशाप में क्या निष्कर्ष निकले तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रश्न से संबंधित एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखा जाता है ।

वक्तव्य

5 से 9 अप्रैल, 1976 तक नागपुर में देश के विभिन्न भागों से तिलहन अनुसंधान कायकर्ता मूंगफली तिल तोरिया और सरसों, अलसी, अरंडी, कुसुम, सूरजमुखी तथा रामतिल पर समन्वित प्रयोगों के परिणामों पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए । इस गोष्ठी में इन फसलों में अपनायी गयी अनुसधान नीतियों तथा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करने के वर्तमान स्तर तथा अनुसंधान में की गयी प्रगति की बहुत बाराकी से विवेचना की गयी । विभिन्न केन्द्रों में अनुसंधान के भावी 1976-77 कार्यक्रमों को भी अन्तिम रूप दिया गया । विचार विमर्श की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं:—

मूंगफली हाल में ही रिलीज की गयी किस्में एम 13, टी जी 3, टी एम वह 10, एस 206, जे 11 तथा कादिरी 71-1 उन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हो रही हैं जहां के लिए उन की सिफारिश

की गयी थी । गुच्छेवाली जे 113 और विदेशी 1-1 किस्मों की कल्चरों से ज्यादा अच्छी उपज मिली । त्रिवेन्द्रम में ए एच 8253 और ए एच 8254 के विकास के साथ-साथ गुच्छेवाली मूंगफली की किस्मों में बहुत समय से अनुभव की गयां आवश्यकता यानी उनमें सुषुप्तावस्था समावेश कराने में सफलता मिल गयी है । टी/एम वी 9 के मुकाबले इन किस्मों ने अच्छी उपज दी है और प्रति यूनिट क्षेत्रफल की उपज में 35-40%तोल में वृद्धि हुई है ।

तिंडीवानम में ए एस 6481×एस 206 और टी एम बी 2×ए एच 7205 के संकरों से गुच्छा किस्म की टिक्का सह कल्चर विकसित की गयी हैं । अर्ध-विस्तार शील कल्चेंर ए एच 477-1 ए एच 7242, ए एच 7328 और ई सी 4086 सूखे नड-सहन के प्रति सहनशील पायी गयी । ये कल्चेंर रोधिता प्रजनन में जनकों का काम करें ।

अब यह मान लिया गया है कि अधिक उपज े लिए नयी किस्मों का प्रजनन करने में मूंगफली में विविधता की कमी एक बाधा है । अतः इस गोष्ठी ने यह सिफारिश की कि सभी मूंगफली के अनुसंधान केन्द्रों को पर्याप्त प्रजनन सामग्री तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में संकर तैयार करने का काम हाथ में लेना चाहिए । यह भी सिफारिश की कि प्रबन्ध के कार्यक्रम इस तरह तैयार किए जाएं ताकि मूंगफली की पैदावार में घटाबढ़ी की प्रवत्ति को कम से कम किया जा सके ।

तोरिया तथा सरसों जैसी फसलों में अधिक उपज देने वाली तोरिया की 'संगम' किस्म राया की 'प्रकाश' किस्म तारामीरा की 'टी-27' किस्म इस प्रायोजना के हिसार केन्द्र से 1974-75 में रिलीज़ की गयीं ।

तिल में टी जी 25, एन 62-10, एन 62-38, एस पी 1181, एस आई 1885/1, सी 6 और वी 67 कल्चर अधिक उपज देने वाली होनहार और जल्दी तैयार होने वाली हैं ।

अरंडी में भाग्य सौभाग्य एस ए-2 और जी ए यू सी-1 नाम की किस्में बहुत जल्दी फैल रही हैं और इसमें और भी अधिक उपज देने की क्षमता है । एक नयी अरंडी की संकर किस्म जी ए यू सी एच-1 को संकर किस्म जी सी एच वाई-3 के स्थान पर बोने के लिए रिलीज़ किया गया है ।

अलसी में वी एस 44 नामक किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से रिलीज़ किए जाने का सुझाव है । इस किस्म में अधिक उपज रतुआ तथा मुरझान रोधिता के गुण मौजूद हैं ।

रामतिल में एन टी 33 नामक कल्चर से अच्छी उपज (520 कि०/है०) मिली है और उसमें तेल का प्रतिशत 41 है ।

देश में तिलहन फ़सलों पर अनुसंधान में तेजी लाने के लिए गोष्ठी ने चुने हुए स्थानों पर कुछ उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की है ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय तिलहन उत्पादन और मूल्यों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए उन अधिक उपज देने वाले तिलहनों के विकास के लिये जिन पर अभी तक नगण्य या कोई अनुसंधान नहीं हुआ है अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की दिशा में विचार करेंगे ?

श्री शाहनवाज खान: यह कहना सही नहीं है कि तिलहनों के बारे में बहुत थोड़ा अनुसंधान हुआ है या बिल्कुल अनुसंधान नहीं हुआ है । हमारे यहां 16 मुख्य केन्द्र और 22 उपकेन्द्र हैं जहां पर यह अनुसंधान चल रहा है । इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना के दौरान 4 और ऐसे केन्द्र स्थापित करने का हमारा विचार है ।

श्री डी० डी० देसाई: मेरा ऐसा सोचने का कारण यह है कि नागपुर स्थित तिलहन वर्कशाप ने हाल ही में यह निष्कर्ष निकाला था कि तिलहनों की संकर किस्मों का विकास करने की दिशा में कुछ भी कार्य नहीं किया गया है । इजराइल आदि देशों में इस दिशा में जो विकास हुआ है उसे देखते हुए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि ये संकर बीज इस देश में लाकर लगाए जायें विशेषकर गुजरात में जो कि तिलहनों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है ।

श्री शाहनवाज खान: यह सच है कि मूंगफली के मामले में सकरण सामग्री का अभाव है । हम जर्मप्लाज्म की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक अनुसन्धान का सम्बन्ध है उसकी कोई सीमा नहीं है और विश्व में कहीं भी कोई अनुसंधान कार्य हो हम उसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं ।

Survey of Sub-Soil Water Under United Nations Development Programme

*631 **Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether Central Government have decided to conduct a survey of sub-soil water in the 34,000 square kilo metre area of the Ghaggar river for increasing agricultural production in certain backward areas of Rajasthan, Haryana and Pubjab with the assistance of United Nations Development Programme ; and

(b) if so, main features of the scheme and the time by which work is likely to start in this regard ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) कृषि की सहायतार्थ घग्घर नदी की तलहटी में भूमिगत जल के संसाधनों के प्रयोग की योजना बनाने के लिए आधार का विकास करने की दृष्टि से कृषि विभाग ने तीन वर्ष की अवधि के लिए यह योजना मंजूर की है । इस परियोजना के अन्तर्गत पंजाब में 13,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, हरियाणा में 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और राजस्थान में 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आयेगा । यह परियोजना भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा कृत्रिम रिचार्ज जल लग्नता भूमिगत जल की किस्म, आंकिक माडल की सहायता से भूमिगत तथा सतही जल का विभिन्न प्रकार से प्रयोग और अधिक अन्वेषण के क्षेत्रों की खोज जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी । इस परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो गया है ।

Shri Shiv Kumar Shastri: Sir, I want to know from the hon. Minister the experiences gained so far from the work done till now particularly in Rajasthan and the present position as regard the experiments, if there are any.

Shri Shah Nawaz Khan : This work has been taken up very recently. We have conducted bore hole drilling. So far little progress has been made, and it is hoped that further progress will be made during the course of Time. We have drilled three bore holes, seven exploratory bore holes, ten observatory bore holes and five prisomatic bore holes. After the entire work is completed, the drawing of maps and the development work of the areas will be taken up. Now Statistics are being Collected. Ganganagar in Rajasthan and the entire area of Haryana has been covered by these operations and the Headquarter is Stationed at Chandigarh.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमिगत-जल की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता क्या केवल किसी एक क्षेत्र के लिए है या पूरे देश के लिए और जहां कहीं भी सूखा की स्थिति हो क्या हम इससे उस सहायता का लाभ उठा सकते हैं ।

श्री शाहनवाज खां: कई परियोजनाएं चल रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय: क्या उड़ीसा में भी कोई है ?

श्री शाहनवाज खां: उड़ीसा के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Mani Ram Godra : As regards the Survey in Rajasthan, Haryana and Punjab, have the State Governments been taken into confidence and has the survey work been done in collaboration with them ?

Shri Shah Nawaz Khan : As far as I know the State Governments have not done any notable work in this respect since the operation of drilling rigs etc. is a very specialized nature of work.

Shri Ram Chandra Vikal : May I know the broad outline of these projects and the amount likely to be spent there, on and the area to be benefitted these form and the time by which they are to be completed ?

Shri Shah Nawaz Khan : An amount of Rs. 1.76 Crores is to be spent by Govt. of India and the UNDP will provide us an assistance of 18, 23 695 dollars and an area of 34,000 square Kilometers in Punjab, Haryana and Rajasthan will be benefitted thereform.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और आधुनिक कृषि तकनीक

*632. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नवीनतम पद्धति में सीमान्त फार्मों में विद्यमान स्थितियों के अनुसार आधुनिक कृषि प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नवीन पद्धति से नव सीमान्त किसानों को अपना उत्पादन तीन गुना बढ़ाने में सहायता मिली है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 1975 के दौरान दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेश के 4 ग्रामों में एक व्यावहारिक तथा समेकित क्षेत्र विकास प्रायोजना प्रारम्भ की गई थी । अलीपुर विकास खण्ड के होलम्बी कलां ग्राम में मुख्य रूप से हाल ही में जमीन पाने वाले अत्यन्त छोटे किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है ।

ऐसे 8 नए छोटे किसान जिनमें से प्रत्येक के पास एक-एक एकड़ भूमि है इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं । अपनी उपज बढ़ाने हेतु इन किसानों में भारी उत्साह है । मगर, उनके पास तकनीकी ज्ञान तथा साधनों का अभाव है । 1975-76 के रबी के मौसम में गहूं की फसल के लिए एक पेकेज कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसे किसानों द्वारा अपनाया गया था । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रसार कार्यकर्ताओं तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उपयुक्त समय पर उपयुक्त सलाह उपलब्ध की गई । इन लोगों को आर्थिक सहायता सिन्डीकेट बैंक द्वारा प्रदान की गई थी ।

(ख) उक्त नयी चीजों की सहायता से इन किसानों की उपज में दो गुनी से भी अधिक वृद्धि की आशा है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अच्छा कार्य कर रहा है और उसके द्वारा अपनायी गयी नयी पद्धतियों से अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि पंजाब और अन्य स्थानों के छोटे और अन्य किसानों को नवीनतम पद्धतियां उपलब्ध करायी गयी हैं जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें ? मंत्री जी ने तो दिल्ली के केवल 4 गांवों के बारे में बताया है ।

श्री शाहनवाज खां : छोटे और सीमान्त किसानों की मदद करना तो राज्य सरकार के कृषि विभाग का काम है । हमने यह पता लगाने के लिये, उन छोटे और सीमान्त किसानों की मदद कैसे कर सकते हैं जिनके सामने क्षार भूमि, अपर्याप्त संसाधनों जैसी समस्यायें और अन्य कठिनाइयां हैं दिल्ली के चार गांवों में प्रयोग के रूप में यह परियोजना शुरू की है । हम ऐसी पद्धति अपना रहे हैं और हमें आशा है कि सफलता मिलने के बाद इस पद्धति को सामान्य बनाया जा सकता है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Small and mariginal farmers are not living in Delhi, only but they are all over the country. I would like to know whether you have advised the state Governments also to make such experiments in research Institutes and agricultural institutes and provide these people facilities and means such as loan from banks, arrangements for digging wells in places where there are not wells, etc. and so that other farmers get encouragement and financial condition of mariginal farmers is improved.

Shri Shah Nawaz Khan. At present 160 small farmers development agencies are functioning in the country. There are 74 drought prone area development projects which are for small and marginal farmers. These are providing financial aid to them. Not only this, 1/3 to 1/4th subsidy is also being given to them.

श्री रणबहादुर सिंह : इन चार गांवों में किए गए इस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि उवरकों के मूल्य में वृद्धि और इन सीमांत किसानों द्वारा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में क्या निष्कर्ष है ?

श्री शाहनवाज खां : हमारा निष्कर्ष यह है कि ये सीमान्त किसान प्रगति करने और उर्वरक खरीदने तथा अपने खेतों में इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें उर्वरकों के मल्य में वद्धि की अपेक्षा उपज में वद्धि अधिक मिली है ।

Shri K.M. Madhukar : you have said that there are 175 agencies in the country which are helping the marginal farmers. I would like to know whether Government have reviewed their performance. Are these agencies working properly and providing benefits to the marginal farmers in the real sense ?

Shri Shah Nawaz Khan : I have already stated that there are 160 small farmers development agencies. These are registered bodies. They look after the needs of the small and marginal farmers and identify as to which farmer is in need of help, in real sense. After identification the farmers found entitled therefor are given aid. Assistance of Gram Panchayats, Patwaris, etc. is also sought therefore.

Mr. Speaker : This question is whether any evaluation of its functions has been made and whether it has been ascertained that they are working properly.

Shri Shah Nawaz Khan : First of all indentification is done.

Shri K.M. Madhukar : What is the result ?

Shri Shah Nawaz Khan: A proper Valuation is made. We ask for regular reports thereby Our officers also make visits. On behalf or Government of India evaluation Teams also. make visits and examine their working.

सामाजिक वनप्रान्त संबंधी कार्यक्रम

*635. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चुने हुए क्षेत्रों में सामाजिक वनप्रान्त संबंधी एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समूचे तौर पर तथा विशिष्ट रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र के लिये उक्त कार्यक्रम संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) सामाजिक वानिकी के संबंध में (i) बंजर भूमि, पंचायत भूमि तथा वन-क्षेत्रों में मिश्रित वृक्षरोपण तथा (ii) काटे गये वनों में फिर से वन-रोपण करने तथा और रक्षा पट्टियां बनाने संबंधी दो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं । इन दोनों योजनाओं के लिये पांचवीं योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिये प्रत्येक योजना के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

"बंजर भूमि, आदि मिश्रित वन-रोपण" संबंधी योजना के अंतर्गत पंचायतों के सक्रिय सहयोग से सामुदायिक भूमि पर मुख्यतः ईंधन की लकड़ी एवं चारे वाले किस्मों की वनस्पति उगाई जायेगी । इसके लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 75 प्रतिशत अनुदान देगी । शेष 25 प्रतिशत लागत ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकारों द्वारा पारस्परिक स्वीकृति से वहन की जायेगी ।

"काट गये वनों में फिर से वृक्ष रोपण" करने संबंधी योजना के अंतर्गत सरकारी भूमि पर नहर तथा सड़कों के किनारे रक्षा पट्टियों सहित ईंधन की लकड़ी का वन-रोपण किया जायेगा, ताकि गांवों के गरीब लोगों को सस्ते दर पर ईंधन की लकड़ी मिल सके और शुष्क वायु से खेतों की रक्षा की जा सके । इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की लागत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन की जाएगी ।

उपर्युक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त, फार्म वानिकी एवं विस्तार वानिकी के संबंध में राज्य योजनाएं भी हैं, जिनके अन्तर्गत मुख्यतः ईंधन की लकड़ी उगाई जा रही है । राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पांचवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के लिय कुल 20.64 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है ।

फार्म वानिकी तथा विस्तार वानिकी की राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि के लिये 200 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

श्री वसन्त साठे : यहां पर दिए गए इस विवरण को ध्यान में रखते हुए कि राज्यों के लिए दोनों योजनाओं में प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका मतलब प्रत्येक राज्य के लिये 5 करोड़ रुपये है अथवा सभी राज्यों के लिए कुल 5

करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। यदि यही प्रावधान है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी राज्य में कहीं भी इस सामाजिक वनप्रान्त योजना के परिणाम का मूल्यांकन किया गया है और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: 5 करोड़ रुपये का यह प्रावधान केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए है, क्योंकि वनप्रान्त विकास के लिए प्रावधान राज्यों के बजट में किया जाता है और इस प्रावधान का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकारें अपने बजट में जो प्रावधान कर रही हैं, यह उसके अलावा है और यह किसी एक राज्य के लिए नहीं है, अपितु यह समूचे देश के लिए है।

जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है, चौथी योजना के दौरान सामाजिक वनप्रान्त कार्यक्रम सामान्य पमाने पर प्राप्ति किये गए। वे बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर माननीय सदस्य पंजाब गए होंगे। सड़क के किनारे अब बड़े सुन्दर दिखाई देते हैं। कार्यक्रम बड़े उपयोगी हैं। परन्तु योजनायें अभी भी सीमित पैमाने पर हैं। समस्या का आकार विशाल है। जब तक लोग इसमें पर्याप्त रूप से भाग नहीं लेंगे, तब तक यह कार्य शीघ्रता से नहीं हो सकता है।

श्री वसन्त साठे: सामाजिक वनप्रान्त की समस्या जहां कहीं भी है, बड़ी गम्भीर है। उदाहरण के तौर पर आदिवासी क्षेत्रों को लिजिए वहां आदिवासियों को शामिल करना होगा। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि वन कटाई के लिए आदिवासियों को दोषी ठहरायाजाता है। परन्तु यह सही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सामाजिक वनप्रान्त के कायक्रम में आप आदिवासी क्षेत्रों के पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रख रहे हैं ? विभिन्न खनन कार्यों और अन्य बातों के कारण उनके जीवन का ढांचा ही बदल गया है। उन आदिवासी क्षत्रों के प्रति क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां सामाजिक वनप्रान्त का वास्तव में महत्व है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं माननीय सदस्य के आम विचार से सहमत हूं। यह प्रश्न केवल आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। जहां तक पंचायत भूमि, काट गये जंगल, बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सम्बन्ध है, इसी तरह की समस्या वहां है और इसके अन्तर्गत सभी तरह के क्षेत्र आ जाते हैं। आदिवासियों को दोष देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

यह सत्य है कि वनों से बड़े पैमाने पर लकड़ी काटे जाने के कारण परिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। इस समस्या की ओर --चाहे यह आदिवासी क्षेत्र में हो या गैर-आदिवासी क्षेत्र में, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार विशेष ध्यान दे रही हैं। यदि आदिवासी क्षेत्र के लिए कोई सुझाव आएगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री रणबहादुर सिंह: जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, लोगों को शामिल करने का इरादा है। क्या मैं जान सकता हूं कि लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मूलभूत चीज तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत को शामिल करना होगा। दुर्भाग्यवश पेड़ों का वन्य महत्व परिस्थितिक संतुलन के बारे में देश में आम जानकारी पर्याप्त नहीं है दूसरे, देश में ईंधन की कमी है, क्योंकि देश में ईंधन का और कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। यही कारण है कि लोग ईंधन के लिए पेड़ों का प्रयोग करने लगते हैं।

श्री वसन्त साठे: हमारे पास कोयला फालतू है । आप उन्हें कोयला क्यों नहीं देते हैं और वन की रक्षा क्यों नहीं करते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव हो सकता है । मैं इस पहलू की ओर खान विभाग का ध्यान दिलाऊंगा । किन्तु हमें समस्या का पता है । यदि कोयला है, तो देश में क्रय शक्ति बहुत कम है । गरीब लोग कोयला नहीं खरीद सकेंगे ।

श्री वसन्त साठे: इसको राजसहायता दी जा सकती है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: हमें समस्या समझने के लिए कोशिश करनी होगी । जहां तक सामाजिक वनप्रान्त का सम्बन्ध है, हमें पेड़ लगाने चाहिए जो ईंधन के रूप में प्रयोग किये जा सकें । संभवतः इससे ईंधन संसाधन में वद्धि होगी ।

Shri K. M. Madhukar : Honourable Minister has pointed out in his Statement that trees can be planted on the banks of canals also which will solve ground problems and help in maintaining ecological balance also and thus land can also be irrigated.

May I know whether Government propose to plant trees on the banks of canals in the case of big river valley projects. Such as Kosi and Gandak in Bihar and other in Uttar Pradesh, Punjab etc. in which Panchayats would also be involved ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: यह तो उसमें पहले ही शामिल है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I would like to know whether it is a fact that the revenue of the State Governments is increasing from forests. The reason is that forests are being demanded on a large scale. Country has to face floods on one hand and the drought on the other hand and there are no trees on roadsides.

May I know whether the central Government is advising the State Governments to conduct a survey regarding the position of forests five years ago and the position at present ? Whether the staff strength has been increased to cut the forests or to save them ? The Government should consider this problem seriously that attention is paid in States at Gram Panchayat level and at the forest department level for further growth of forest.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: ऐसे मामलों में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक आम समझौता है । ऐसे मामलों में हमारी सतर्कता के अलावा जन सहयोग भी अनिवार्य है और इस संबंध में अधिक जानकारी होनी चाहिए तथा गंभीरता बरतनी चाहिए । इस क्षेत्र में माननीय सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की मदद और सहयोग से पूरी उम्मीद है कि हम समुचित पारिस्थितिक संतुलन लाने और अपने जीवन में वनों के महत्व की समुचित जागरूकता रखने में सफल होंगे ।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the honourable Minister is aware of the fact that the trees planted in the 13 thousand Kilometres of embankments on the banks of rivers throughout the Country were cut after the abolition of Jamindari System ?

Is there any Government scheme to plant trees within a scheduled period on the banks of these embankments with a view to strengthen them ? Do Government want to help Gram Panchayats and state Government's in this matter?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: प्रथम प्रश्न के बारे में सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जब वहां कुछ गैरसरकारी वन थे और जब इन वनों को लिया जाना था तब कुछ लोगों ने जानबूझकर इन वनों आदि को नष्ट करने की कोशिश की । इस तरह के कुछ मामले हमारे ध्यान में आए हैं और हमने कार्यवाही की है । प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में हमारा विचार यही है और हम दोबारा वृक्ष लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती एम० गोड़फ्रे : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम देश में वनों के परिरक्षण की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु अक्सर वनों में लगने वाली भीषण आग को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्या ने यह सही ध्यान दिलाया है कि आग से कुछ वन नष्ट हो जाते हैं। वन विभागों ने कुछ विशेष दल बनाये हैं। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करत हैं और कुछ शरारत की जा रही है। वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान जा रहा है और हम इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री धामनकर: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक वनप्रान्त कार्यक्रम में तटीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है? समुद्र तेजी से बढ़ रहा है और मिट्टी बह रही है और प्रतिवर्ष तटीय क्षेत्र कट रहा है। इस कटाव को रोकने के लिए क्या थाना जिला के तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा गुजरात और देश के अन्य तटीय क्षेत्रों के लिए सामाजिक वनप्रान्त का कार्यक्रम लागू किया जायेगा?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: इस तरह के कार्यक्रमों में सभा रेगिस्तानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र जहां भी रक्षा की जरूरत होगी, शामिल किये जायेंगे।

मछली पकड़ने के क्षेत्र की सीमा और उसका उपयोग

*637 **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्र तट से कितनी दूरी तक भारत का मछली पकड़ने का क्षेत्र माना जाता है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में किन्हीं विदेशी ट्रालरों को मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं और किन शर्तों पर मछली पकड़ने की उन्हें अनुमति दी गई है; और

(घ) इन शर्तों को क्रियान्वित करने के लिए कौन सा तन्त्र है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय भारत का मछली पकड़ने का क्षेत्र उतना ही है जितना कि भारत का जलीय प्रदेश है। यह क्षेत्र समुद्र तट पर उचित आधार रेखा से 12 मील तक होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं ही उठता।

(घ) भारतीय जल सेना भारत के जलीय प्रदेश में घुसने वाले विदेशी मत्स्यन जलयानों को हिरासत में लेती है और बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री शंकरराव सावन्त : अनेक देशों ने अपनी जलसीमा बढ़ा कर 200 मील कर ली है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा बम्बई हाई में अपने तेल प्रतिष्ठानों की जो कि बम्बई से लगभग 125 मील दूर हैं, तथा समुद्र तट से 12 मील से परे मछली पकड़ने के क्षेत्र की रक्षा करने के लिये क्या सरकार अपनी जल सीमा को बढ़ा कर 200 मील करेगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी घोषणा भारत सरकार के विचाराधीन है किन्तु वास्तव में समुद्री सम्मेलन संबंधी कानून.....

अध्यक्ष महोदय: यह किसी अन्य मन्त्रालय का मामला है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: हम इन सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री शंकरराव सावन्त: मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में पूछे गये कितने विदेशी मत्स्यन जलयानों को पिछले दो वर्षों में पकड़ा गया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं माननीय सदस्य को केवल यह बता सकता हूं कि ताइवान के कुछ मत्स्यन जलयानों को पकड़ा गया था तथा चार जापानी मत्स्यन जलयानों को 14 अगस्त, 1975 को पकड़ा गया था। अन्य दो मामले और हुए हैं। थाईलैंड से भी कुछ मत्स्यन जलयान हमारी जलसीमा में मछली पकड़ रहे थे। हमारी नौसेना हमारी जलसीमा की रक्षा कर रही है और कुछ मामले दायर किये गये हैं। मत्स्यन जलयानों को जब्त कर लिया गया है और उसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि जब कि झींगा मछलियां निर्यात की एक महत्वपूर्ण मद है तो क्या इंडियन टोबेको और यूनियन कार्बाइड ने विदेशों से किराये पर लिये गये मत्स्यन जलयान अभी हाल में मछली पकड़ने के लिये लगाये हैं। यदि हां तो क्या मंत्रालय के पास इस प्रकार की सूचना है कि इन दोनों कम्पनियों ने कितने मत्स्यन जलयान किराये पर लिये हैं और क्या मन्त्रालय के पास इस संबंध में भी सूचना है कि इन मत्स्यन जलयानों पर लगाये गये लोगों की हमारे देश में पड़ताल की गई थी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं इस प्रश्न के लिये सूचना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अथवा वाणिज्य मंत्री इसका उत्तर देंगे?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मत्स्य पालन संबंधी विषय के कुछ भाग हमारे मन्त्रालय से सम्बद्ध है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर: मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्योंकि उन्होंने अभी अभी कहा है कि नौसेना ने ताइवान का ट्रालर पकड़ा था तो क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार के बारे में वह जानते हैं कि ताइवान व्यापारी गुप्तचरी के लिये भारतीय तट पर आये थे और कुछ समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि उनका सी० आई० ए० के साथ सम्बन्ध था। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ताजा समाचार क्या है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: इस बात का पता लगाना होगा।

श्री डी० पी० जदेजा: माननीय मन्त्री ने अभी कुछ ट्रालरों के नौसेना द्वारा पकड़े जाने के बारे में बताया है। क्या यह सभी जलयान पश्चिम तट से अथवा पूर्वी तट पर थे जहां तक मैं जानता हूं वह पूर्वी तट की ओर से थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस बात से अवगत है कि सौराष्ट्र तट से परे विदेशी कम्पनियों के कारखानों के जलयान हैं जोकि 12 मील दूरी पर है

और वह हमारी जलसीमा में आते जाते रहते हैं। वह छोटी-छोटी नावें है। क्या सरकार यह आशा करती है कि नौसेना उन पर भी नियन्त्रण रखेगी ? अगर हां, तो अभी तक उनमें से कितने पकड़े गये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: महोदय, हम सभी दिशाओं में चाहे वह पश्चिमी तट हो अथवा पूर्वी तट, अपने मत्स्यन संबंधी हितों की रक्षा करना चाहते हैं। हमें कुछ मामलों का पता भी है। स्वाभाविक है हमारी नौसेना सतर्क है और हमें अपने समूचे समुद्री तट को सुदृढ़ बनाने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी जिसे अब नौसेना विशेष कार्य के रूप में कर रही है।

श्री के० लकप्पा: अध्यक्ष महोदय, मछली पकड़ने का क्षेत्र निश्चित नहीं है तो मन्त्रालय इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगा कि अनेक बाहरी देशों के ट्रालर हमारी जलसीमा में घूमते हैं ? मेरा विचार है कि वह विघटनकारी गतिविधियों में संलग्न हैं उन्हें पकड़ा नहीं गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में इस खतरे को समाप्त करने के लिये यह मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास कर रहा है ? यहां तक कि यूनियन कार्बाइड भी विदेशों से ट्रालर किराये पर लेकर मछली पकड़ने का कार्य कर रहा है और ताइवान आदि देशों से भी ट्रालर मछली पकड़ने आते हैं अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के समुद्री सीमा पर नियन्त्रण रखने के लियं इस सीमा का निर्धारण करने के लिये उसके मन्त्रालय द्वारा कोई प्रयास किया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: वाणिज्य मन्त्रालय में, हमारे मन्त्रालय में, विदेश मन्त्रालय में तथा नौसेना में प्रभावकारी समन्वय है।

श्री त्रिदीब चौधरी: महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुछ जापानी तथा ताइवानी ट्रालर पकड़े गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें हमारी जलसीमा के अन्दर आकर मछली पकड़ने के कारण पकड़ा गया अथवा किसी अन्य कारणों से पकड़ा गया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: महोदय, उन्हें हमारे वर्तमान कानून के अन्तर्गत पकड़ा गया था।

+ कृषि के लिए सोवियत सहायता

*639. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:**

श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्को में आयोजित भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक में सोवियत संघ सरकार कृषि के लिये सहायता देने को राजी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं। (ख) तथा (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: महोदय, 13 अप्रैल को हमारे समाचार पत्रों में भारत सोवियत संघ संयुक्त आयोग की बैठक के एक भाग के रूप में मास्को में कृषि तथा पशु संबंधी वैज्ञानिक तथा तकनीकी

सहयोग के संबंध में किये गये समझौता के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है जिस पर भारत सरकार की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किये थे।

अध्यक्ष महोदयः क्या यह प्रैस रिपोर्ट थी अथवा विज्ञप्ति थी?

श्री सी० के० चन्द्रप्पनः यह विज्ञप्ति है। महोदय, अगर ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो मैं इसकी प्रमुख बातें जानना चाहता हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दः महोदय, वास्तव में कुछ समय पहले मैंने यह दस्तावेज सभा पटल पर रखा था। महोदय, यह समझौता आधारभूत प से तकनीकी और वैज्ञानिक पक्षों के तथा जिवाणु प्लास्म अथवा बीज सामग्री के बारे में है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पनः महोदय, मैंने विज्ञप्ति देखी है। यह कहा गया है कि यह एक ऐसा समझौता है जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि में कार्यरत कार्मिकों का आदान प्रदान कृषि और बीज विकास पर सेमीनार, संगोष्ठियों तथा अध्ययन की व्यवस्था करना है। मैं यह जनना चाहता हूं कि यह हमारे कृषि विकास में कहां तक सहायक होगा?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्देः यह कहना कठिन है कि यह कहां तक सहायक होगा। जहां तक तकनीकी पक्षों का संबंध है सोवियत सरकार तथा हमारे बीच पूर्ण सहमति है। जहां तक उत्पादन का संबंध है इसमें अधिक समझौता नहीं है किन्तु तकनीकी पक्ष के सम्बन्ध में पूर्ण सहमति है।

खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का फुटकर मूल्यों पर प्रभाव

*641. **श्री एस० सी० सामन्तः** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस तथ्य के बावजूद खाद्यानों तथा अन्य वस्तुओं के थोक मूल्यों में काफी कमी हुई है, फुटकर मूल्यों में कमी न होने से उपभोक्ताओं को मूल्यों की कमी का लाभ न मिलने के क्या कारण हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि थोक मूल्यों की कमी के अनुपात में फुटकर मूल्य भी कम हो?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के थोक मूल्यों में जो गिरावट आयी है वह सामान्यतया इनके खुदरा मूल्यों में भी आई है।

श्री सुरेंद्र महन्तीः मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल में थोक मूल्यों में दो प्रतिशत वृद्धि हुई है जिसमें से खाने वाले तेल के मूल्य में 5 प्रतिशत और दालों के मूल्य में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस बात को दृष्टि में रखतें हुए मंत्री महोदय की अपने पूर्व वक्तव्य के बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दः मेरे पास 24 अप्रैल तक के आंकड़े हैं। मैं चावल, गेहूं, ज्वार आदि के बारे में स्थिति बता सकता हूं परन्तु जहां तक सभी खाद्यान्नों की स्थिति का संबंध है 24 अप्रल को मूल्य सूचकांक 290.5 था। गत वर्ष की तुलना में यह लगभग 24 प्रतिशत कम है।

पिछले महीने (17 अप्रैल) की तुलना में यह कुछ कम है। फिर 27 मार्च को यह कुछ कम हो गया। परन्तु यह एक अस्थायी स्थिति थी। अब मूल्य फिर से कम हो गए हैं। परन्तु स्थिति यह है कि....

श्री सुरेन्द्र महन्ती : खाने वाले तेल की स्थिति क्या हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने खाने वाले तेल की बाबत कुछ नहीं कहा। मुझे इसके बारे में स्थिति का पता लगाना होगा। प्रश्न खाद्यान्नों और साधारण वस्तुओं के बारे में था। मैंने साधारण स्थिति बताई थी।

आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहूंगा कि थोक मूल्य सूचकांक सितम्बर, 1974 में 329 था जो मार्च 1976 में 283 हो गया। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर, 1974 में 335 था जो फरवरी, 1976 में कम होकर 290 हो गया। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य अक्टूबर, 1974 में 385 था जो फरवरी, 1976 में कम हो कर 292 हो गया। फरवरी, 1976 में तीनों सूचकांक लगभग बराबर थे तथा थोक मूल्य सूचकांक 288 था, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 290 था तथा कृषि श्रमिकों के लिए 292 वास्तविक स्थिति यह है।

श्री रणबहादुर सिंह: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में रक्षित भंडार का अर्जन संतोषजनक रहा है तथा सरकार के पास भी पिछले वर्ष का बचा हुआ है गेंहूं का काफी भंडार है, क्या सरकार का विचार गेंहूं के पुराने भंडार के निर्गम मूल्य को कम करने का है जिससे कि गेंहूं के उपभोक्ता मूल्य को कम किया जा सके?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: गेहूं का मूल्य बहुत संतोषजनक रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो मन्दी पर भी बिक्री की गई है। कुछ मामलों में वसूली मूल्य मे भी कम मूल्य पर बिक्री की गई। इस लिए मूल्य को और कम करने के लिए सरकारी भंडार से और गेंहूं बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कृषि वस्तुओं को मन्दी के मूल्य पर बेचने की भी सीमा होती है अन्यथा इसका उत्पादन पर उलटा प्रभाव पड़ जाएगा तथा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी ढीले पड़ जाएंगें। वास्तव में तो इससे पहले हाल में कभी भी खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्य इतने संतोषजनक नहीं रहे हैं जितने कि अब हैं। मैं नहीं समझा कि माननीय मंत्री इसका यह अर्थ लगा लेना चाहिए कि.....

श्री रणबहादुर सिंह : मेरा प्रश्न 125 रुपए के निर्गम मूल्य अभी लागू रहने के बारे में था।

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि इससे उस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उसे बहुत राज्यसहायता–प्राप्त है।

डा० रानेन सेन: क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब खाद्यान्न तथा उनके मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी अन्य वस्तुएं मुख्य उत्पादकों के हाथ से निकल कर बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में चली गई हैं तो उसका परिणाम यह निकला है कि हाल में सभी आवश्यक कृषि वस्तुओं कें मूल्य, केवल सरसों के तेल या अन्य खाने वाले तेल के ही नहीं अपितु आलु के भी, बहुत बढ़ गए हैं जिसका प्रभाव यह पड़ा है कि थोक मूल्य में चाहे कितना भी फर्क पड़ गया हो किन्तु जनता को फुटकर में कोई वस्तु सस्ती नहीं मिलती? यदि यह बात सही है तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक थोक और फुटकर मूल्यों का संबंध है मैंने आपकी अनुमति से स्थिति विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर दी है। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे पहलू का संबंध

है हमें संतुलित तरीके से इस समस्या पर विचार करना चाहिए। आप आलू के मूल्य को ही ले लीजिए। उसमें काफी मन्दी थी। बहुत से उपजाऊ क्षेत्रों म ये मन्दे पर बेंचे गए थे । यदि सरकार के हस्तक्षेप के कारण मूल्य में तनिक वृद्धि हो जाए तो हमें परेशान नहीं हो जाना चाहिए।

डा० रानेन सेन : 60 पैसे से 1 रुपए 20 पैसे तक वृद्धि को क्या हम कम वृद्धि कहेंगे । यह कैसी बात है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक तेल जैसी अन्य वस्तुओं का संबंध भी है, गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में वे मन्दे पर बेची गई है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मंत्री महोदय ने इस बात पर गौर किया है कि देश के कुछ भागों में किसानों को अपनी वस्तुएं मन्दे दामों पर बेचनी पड़ी । देश म सर्वत्र किसानों की वस्तुओं तथा खाद्यान्नों का मूल्य गिरा है । किन्तु क्या मंत्री महोदय को पता है कि किसान को जिन अन्य वस्तुओं को खरीदना पड़ता है उनके मूल्य कम नहीं हुए हैं ? बिजली के मूल्य बड़े हैं, सिंचाई की दर में भी वृद्धि हुई है । उर्वरक के मूल्य में कमी हुई है । किन्तु इतनी नहीं जितनी खाद्यान्नों के मूल्य में हुई है । इसके अलावा सोड़ा, साबुन तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य नहीं गिरे हैं । क्या यह मंत्रालय, कृषि के प्रभारी मंत्रालय के रूप में इस बात को ध्यान म रखेगा क किसानों की अर्थव्यवस्था ध्वंस न हो जाए क्योंकि बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित अन्य औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य कम नहीं हुए है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण विवादग्रस्त प्रश्न पूछा है । यह प्रश्न फुटकर तथा थोक मूल्यों के बीच अन्तर तक सीमित है।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय क्या आप इस प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुमति दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने वाली है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री को अपने या किसी अन्य विभाग द्वारा दिए गए कतिपय आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है । क्या उन्हें इस बात का पता है कि वस्तु स्थिति यह है कि देश में सर्वत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों के मूल्य, जो गत दो महीनों में कुछ हद तक कम हुए थे, अब फिर से बढ़ रहे हैं । यह स्थिति केवल आलू की ही नहीं बल्कि चावल, गेहूं, सरसों के तेल तथा अन्य वस्तुओं की भी है । क्या उनके पास सभा में प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के कोई आंकड़े हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है मैंने उनके मूल्यों का विशेषकर उल्लेख किया है । माननीय सदस्य को सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए । गत वर्ष की तुलना में धान के मूल्यों में 24 प्रतिशत कमी हुई है । यह काफी कमी है तथा ये आंकड़े अप्रैल के अन्तिम सप्ताह से संबंधित हैं।

Inspection of Foodgrains before their release for consumption

*643. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the need for inspection of imported foodgrains before they are released for consumption in the country ;

(b) if so, Government's reaction thereon; and

(c) steps taken in this regard ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : तकनीकी दृष्टि से योग्यताप्राप्त स्टाफ नियमित रूप से आयातित खाद्यान्नों के सभी जहाजों का सावधानी से निरीक्षण करता है । खाद्यान्नों को मानव उपभोग के लिए देने से पूर्व स्टाक की यथावश्यक विधिवत् सफाई करने के लिए प्रबंध किए जाते हैं।

Shri K. M. Madhukar: It has repeatedly been discussed in this House that there has been a lot of burgling in so far as foodgrains imported from America are concerned Recently Milo supplied by that country was found to be adulterated with dhatoora.

May I know whether any fool proof arrangements will be made to see that imported food grains are properly inspected ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जहां तक फुटकर वितरण का संबंध है, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है । जहां तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज देने का संबंध है । हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि इस में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो। यदि फुटकर विक्रेता यह समझता है कि माल घटिया किस्म का है, तो वह उसे लेने से इन्कार कर सकता है । हम उसे उचित किस्म का अनाज देने के लिये तैयार रहते हैं । हम उचित मूल्य की दुकानों को दिये गये अनाज के नमूने भी लेते हैं।

Shri K. M. Madhukar: Do Government propose to make any arrangement for the inspection of the commodities to be imported there and then so that the adulterated commodities can be returned and/or the Government concerned can be asked to pay compensation for the same?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: कुछ मामले संयुक्त, राज्य अमरीका के न्यायालयों में विचाराधीन हैं और जब ये मामले साबित हो जायेंगे तो हम अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि हमें कोई प्रतिकर मिल सकता होगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे।

कोको की खेती और उसका आयात

*644. **श्री धामनकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने रक्बे में कोको की खेती होती है;

(ख) इस समय कितनी कीमत का और कितने टन कोको का आयात किया जाता है;

(ग) क्या देश में कोको की खेती की सम्भानाओं का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और देश में बड़े पैमाने पर कोको के उत्पादन के लिए क्या कोई समन्वित नीति बनाई गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) संबंधित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कोका की खेती के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 3,600 हैक्टार है ।

(ख) 61 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 468 मीटरी टन कोका का आयात किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) (i) केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य सरकारें कोका की खेती का विस्तार करने के लिय योजनाएं तैयार कर रही हैं।

(ii) भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत केरल तथा कर्नाटक में कोका के बीज के बागानों की स्थापना के लिए एक-एक योजना स्वीकृत की है।

(iii) भविष्य में केवल कोका की फोरेस्टरों किस्म का पौद-रोपण करने की नीति बनाई गई है।

श्री धामनकर: श्रीमन् कोका केवल तीन दक्षिणी राज्यों, अर्थात् केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है, हम वास्तव में प्रति वर्ष लगभग 61 लाख रुपये का लगभग 468 मीटरी टन कोका का आयान करते हैं। इसका आयात कम से कम हो, इसके लिये क्या सरकार कोका विकास योजनाओं का विस्तार अन्य राज्यों में भी करेगी या क्या जलवायु जैसे कोई ऐसे विशिष्ट कारण हैं जिससे इसे दूसरे राज्यों में नहीं उगाया जा सकता?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: श्रीमन् इस समय रोपण कार्यक्रम केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रहा है और यदि उपयुक्त भूमि और जलवायु वाला कोई अन्य क्षेत्र देश में पाया गया तो हम इसकी खेती को वहां पर भी बढ़ावा देंगे। इसमें कोई रोक नहीं है। देश में चालू की गई इस नई योजना के बारे में हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है। परन्तु कोका उगाने के लिये इन्हीं स्थानों पर बहुत ही अच्छी भूमि है और मेरे विचार में दोनों आन्तरिक आवश्यकताओं तथा यदि सम्भव हो तो इसके निर्यात के लिये पर्याप्त कोका उगाने के लिये अब हमें आगे बड़ी गम्भीरता से काम करना होगा।

श्री धामनकर: महाराष्ट्र में कोकाण क्षेत्र की क्षीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर कोका उगाया जा सकता है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: श्रीमन्, मैं हाल ही में कोकण क्षेत्र गया था और मैंने वहां पर देखा कि वहां पर कोका की अच्छी फसल होती है। केवल उसकी किस्म को बदलना होगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को सलाह दे दी गई है।

महिला कालेजों को वित्तीय सहायता

*646. **श्री नवल किशोर सिंह:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष रूप से विज्ञान का विषय पढ़ाने के लिये देश में महिला कालेजों को **विशेष** वित्तीय सहायता दिए जाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरूल हसन): (क) विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए महिला कालेजों को विशेष वित्तीय सहायता देने की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Nawal Kishore Sinha: Mr. Speaker, Sir, in order to solve the problems of life and the community and also to lay down new values, general and particularly scientific education is necessary for women. But the general process of giving grants to colleges for women is very cumbersome as a result of which women have to undergo a lot of inconvenience to obtain financial assistance. But generally women are unable to stand this inconvenience. I am surprised to note that the University Grants Commission has no scheme for financial assistance to colleges for women for promotion of scientific education there. Do government think that there should be a special scheme of the University Grants Commission for the promotion of scientific education among women?

Prof. S. Nurul Hasan: Hon. Sir, I have not submitted that there is no need for scientific education for women. But as the House is aware, a Committee for the status of women in India was appointed to look into all these matters and it has stated in its report:

"At the university level co-education should be the general policy and opening of new colleges exclusively for girls should be discouraged." This is an unequivocal recommendation of the Committee and the University Grants Commission has already accepted it. It may, however, be mentioned here that women account for 24.3 per cent among the students admitted for B.Sc. course. Efforts will, however be made to provide other facilities such as hostels etc.

Shri Nawal Kishore Sinha: Mr. Speaker, Sir, but so long as the recommendation of the committee is not accepted and implemented, whether government propose to arrange some special grant for the colleges for women and their laboratories which are far below the prescribed standard?

Prof. S. Nurul Hasan: A scheme to give assistance to the colleges for women is already there. But the hon. member had asked about the special arrangements for scientific education................(*interruptions*).

श्रीमन, प्रश्न यह है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समिति ने बताया है कि वैज्ञानिक शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था तो अन्य संस्थाओं की बजाए सह-शिक्षा संस्थाओं में की जा सकती है। जहां तक विद्यमान कालेजों का संबंध है, उन्ह विज्ञान के लिये तो नहीं परन्तु सामान्य विकास के लिये विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमान्त किसानों के माध्यम से दूध, मास, अण्डों और ऊन का उत्पादन

*629. **श्री के० मालन्ना:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में समाज के कमजोर वर्ग को आय के अतिरिक्त साधन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सीमान्त किसानों के माध्यम से दूध, अंडे, ऊन और मांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को, जिनको भूमि आबंटित की गई है, इस कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। लघु तथा सीमान्त किसानों के माध्यम से दूध, अंडे, ऊन और मांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए

एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें इन वर्गों के लोगों लिए आय के अतिरिक्त साधनों के अलावा रोजगार के अवसरों की व्यवस्था की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञात लाभानुभोगियों को राज-सहायता और ऋण भी दिए जायेंगे।

(ख) जिन भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई है और जो इसके परिणामस्वरूप लघु तथा सीमान्त किसानों के वर्ग के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचेगा।

केरल को आवास योजना हेतु सहायता

*630. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में उन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए, जिन्हें भूमि सुधारों की क्रियान्वित के फलस्वरूप जमीन पर स्वामित्व का अधिकार मिला है, बड़े पैमाने पर आवासीय योजना हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क) जी, हां। जून, 1974 में केरल राज्य आवास बोर्ड ने केरल के शहरी क्षेत्रों में हटमेंटों में रहने वालों को ऋण देने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम को एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) इस प्रस्ताव में त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट तथा आल्लपी के प्रत्येक कस्बे में लगभग 500 परिवारों को मकान देने की व्यवस्था है। प्रत्येक मकान का कुर्सी क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तथा निर्माण की लागत अनुमानतः 3,500 रुपये प्रति मकान है। चारों शहरों की परियोजना की कुल लागत 70 लाख रुपये होने का अनुमान है। यद्यपि, आवास तथा नगर विकास निगम प्रस्ताव पर विचार करने को सहमत हो गया किन्तु केरल राज्य आवास बोर्ड ने इस संबंध में कोई विशिष्ट योजना निगम को प्रस्तुत नहीं की है।

राज्यों को कीट नियंत्रण के लिए राज सहायता

*633. **श्री राम-भगत पासवान:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को कीट नियंत्रण के लिए दी जाने वाली राज सहायता में हाल ही में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) अब कुछ वर्षों से भारत सरकार ऐसे कृमि/रोगों के जो] महामारी की किस्म के हैं, उन्मूलन के संबंध में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत जमीन से छिड़काव कार्य के लिए 3 रुपये प्रति एकड़ और हवाई छिड़काव कार्य के लिए 7 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाती थी। इस योजना के अंतर्गत कृमिनाशी औषधियों की लागत के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती।

परन्तु, यह देखा गया कि कृमिनाशी औषधियों की लागत पर कुछ सहायता के बिना भी विशेष कर कुछ कृमियों एवं रोगों के, जो कुछ राज्यों में काफी माता में हैं, नियंत्रण के मामले में रासायनिक नियंत्रण की कुल लागत काफी अधिक थी। अतः भारत सरकार ने निम्नलिखित कृमि तथा रोगों वाले क्षेत्रों में उपर्युक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत सहायता के प्रतिमान में संशोधन किया:--

कृमि/रोग का नाम	क्षेत्र हैक्टार में
1. धान पर ब्रोन प्लांट हापर	30,000
2. बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, तथा आलू पर ह्वाइगब	23,000
3. ज्वार पर मिज	4,28,000
4. सेब पर स्केब रोग	10,000
5. चूहों का आतंक	32,000

सहायता के इस संशोधित प्रतिमान के अंतर्गत प्रयुक्त लागत पर राज-सहायता देने के अलावा, भारत सरकार प्रयोग में लाई जाने वाली कृमिनाशी औषधियों की लागत पर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक सहायता भी देगी। कृमिनाशी औषधियों की शेष $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत लागत राज्य सरकारों तथा लाभानुभोगियों द्वारा समान रूप से वहन की जानी है।

फिलहाल यह योजना उपर्युक्त उल्लिखित 5 कृमियों/रोगों तक ही सीमित है क्योंकि हाल के वर्षों में ये कृमि तथा रोग चिंता का विषय बन गये हैं और ये बड़ी तेजी से एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल रहे हैं। अतः इन कृमियों तथा रोगों का महामारी का स्वरूप लेने से पहले इनके संबंध में नियंत्रण उपाय करना आवश्यक समझा गया है।

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में डेयरी स्थापित करना

***634. श्री एन० आर० बेकारिया:**
श्री अरविन्द एम० पटल:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक सरकारी डेयरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए केन्द्रीय ग्रंथालय

*636. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए देश में केन्द्रीय ग्रंथालय की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार को वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए देश में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार ने वैज्ञानिकों और अनुसंधान-कर्त्ताओं को पुस्तकालय तथा प्रलेखन की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय का विस्तार इन्सडोक द्वारा एक योजनागत परियोजना के रूप में किया जा रहा है जो इस समय भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (इन्सडोक) के एक प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने नई दिल्ली में एक सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र स्थापित किया है जिसका उद्देश्य सामाजिक वैज्ञानिकों को अनुसंधान संबंधित सूचना उपलब्ध करना है। बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और दिल्ली में स्थित चार क्षेत्रीय केन्द्रों ने भी प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध करना शुरू कर दिया है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने एक प्रलेखन व पुस्तकालय केन्द्र स्थापित किया है जो ऐतिहासिक अनुसंधान में रुचि रखने वाले अध्यताओं को अनुसंधान की सूचना उपलब्ध करने की व्यवस्था करता है।

देश में अधिकांश प्रमुख पुस्तकालयों में अमूमन एक ऐसा अनुभाग होता है जिसमें केवल विज्ञान की ही पुस्तकें होती हैं जिनमें से बहुत सी अनुसंधानकर्त्ताओं के उपयोग की भी होती हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्त्ताओं की सुविधा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक विशेष प्रभाग खोला है।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा गाजियाबाद सुधार मण्डल को सहायता

*638. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम गाजियाबाद सुधार मण्डल (उत्तर प्रदेश) को उसकी जनता योजना, निम्न आय वर्ग अथवा मध्यम आय वर्ग की आवास योजनाओं जैसी विभिन्न आवास योजनाओं के लिए सहायता दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) आवास तथा नगर विकास निगम ने गाजियाबाद सुधार न्यास के लिए निम्नलिखित 3 योजनाएं स्वीकृत की हैं :—

(1) प्लाटों के विकास और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग आदि के मकानों के निर्माण की योजना के लिए 312 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(2) गाजियाबाद के सेक्टर IV में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के रिहायशी एककों के निर्माण के लिए योजना, जिस के लिए 119.4 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(3) गाजियाबाद के सेक्टर 13 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास, जिस के लिए 119.5 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

प्रत्येक योजना की मोटी बातें अनुलग्नक में दी गई हैं।

विवरण

(1) गाजियाबाद में प्लाटों के विकास और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के मकानों की निर्माण योजना

वर्ग	प्लाटों की संख्या	रिहायशी एककों की संख्या	प्रत्येक प्लाट की अनुमानित लागत	प्रत्येक प्लाट के बेचने की अनुमानित कीमत	प्रत्येक रिहायशी एकक की अनुमानित लागत	प्रत्येक रिहायशी एकक का अनुमानित बिक्री मूल्य
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
आर्थिक दृष्टि से से कमजोर वर्ग	1078	500	2380	1600	7115 से 9030 तक	6800 से 8725 तक
निम्न आय वर्ग	2650	808	4462	5400	17478 से 34552 तक	18600 से 35800 तक
मध्यम आय वर्ग	1536	130	8925	10800	38060 से 49440 तक	42000 से 55000 तक
उच्च आय वर्ग	332	--	14875	18000	--	--
दुकानें	346	--	29.75 प्रति वर्ग मीटर	54.86 प्रति वर्ग मीटर		
कुल	5942	1438				

(2) गाजियाबाद के सेक्टर IV में रिहायशी एककों के निर्माण की योजना।

वर्ग	रिहायशी एककों की संख्या	प्रत्येक रिहायशी एकक की अनुमानित लागत	प्रत्येक रिहायशी एकक का अनुमानित बिक्री मूल्य
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	1550	9000 रुपए	9000 रुपए

(3) गाजियाबाद के सेक्टर 13 में रिहायशी एककों के निर्माण के लिए योजना।

वर्ग	रिहायशी एककों की संख्या	प्रत्येक रिहायशी एकक का अनुमानित लागत	प्रत्येक रिहायशी एकक का अनुमानित बिक्री मूल्य
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	1800	8000 रुपये	8000 रुपए

कपूरथला प्लाट

*640. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार का नई दिल्ली स्थित कपूरथला प्लाट पूर्ण रूप से केरल सरकार को नहीं सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्लाट के केरल सरकार को कब तक सौंपे जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) केरल सरकार को एक भाग अभी तक नहीं सौंपा गया है।

(ख) तथा (ग) जैसे ही इसके वर्तमान दखलकारों को एक वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा, इसे केरल सरकार को सौंप दिया जायेगा।

अमरीका से आयातित गेहूं में अर्गट पाया जाना

*642. **श्री पी० गंगादेव:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका से आयातित गेहूं में अर्गट मिले होने संबंधी हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसे भारतीय गेहूं में फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) जी हां।

(ग) निकट अतीत में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक अर्गट मिले गेहूं का कोई स्टाक विदेशों से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अधीन विहित सीमा से अर्गट दानों की प्रतिशतता अधिक होती है तो ऐसे गेहूं को साफ करने के लिए अनुदेश दिए हुए हैं। और भारतीय खाद्य निगम अथवा खाद्यान्नों को सम्भालने वाली अन्य ऐसी एजेंसियों को गेहूं से अर्गट को अलग करना चाहिए।

अलग किया हुआ अर्गट अनाज दवाइयां बनाने के लिए औषध निर्माताओं को दिया जाता है और यदि ऐसा अर्गट अनाज संबंधित औषध निर्माता स्वीकार नहीं करता है तो उसे नष्ट कर दिया जाता है ताकि भारतीय गेहूं में उसके फैलाव को रोका जा सके।

धान तथा गेहूं की फसलों की बीमारी के बारे में अनुसंधान

*645. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान तथा गेहूं की फसलों में बीमारी की पूर्व घोषणा करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी हां।

(ख) धान और गेहूं की फसलों पर अनेक रोगों का प्रकोप होता है। धान का झुलसा और गेहूं का रतुआ प्रमुख रोग है और इन रोगों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इस प्रकार कार्य हो रहा है।

देखने में आया है कि एक ही समय 26° से० गे० का न्यूनतम तापमान, (वांछित तापमान 24° से० गे०) 90% अथवा इससे भी ज्यादा सापेक्षिक आर्दता और फसल की बढ़वार के दौरान ग्राहयता की परिस्थितियों (3 सप्ताह की फसल होने पर, खूब कल्ले निकलते समय तथा वालियां निकलते समय में पत्तियों पर ओस जमा होने का सम्बन्ध खेतों में उगी धान की फसल में झुलसा के प्रकोप से है।

पिछले कुछ सालों में गेहूं के रोगों का सर्वेक्षण पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से किया गया है तथा संक्रमण के दृष्टिगत स्थानों और इन दृष्टिगत स्थानों से इस रोग के प्रसार के बारे में विस्तृत सूचना इकट्ठी की गयी हैं। हाल में प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर मध्य और दक्षिण भारत के कुछ भागों में काले रतुए के प्रकोप के संभावित समय का मोटे तौर पर पूर्वानुमान करना अब संभव हो गया है। लेकिन अब तक रतुआ महामारी के पूर्वानुमान लगाने की कोई निश्चित प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी है।

वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी की रोम में हुई बैठक

*647. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी (विश्व खाद्य सुरक्षा) की रोम में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल, 1976 तक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल ने भी भाग लिया था ; और

(ग) उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं तथा उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विश्व सुरक्षा (वर्ल्ड सिक्योरिटी) संबंधी समिति का प्रथम अधिवेशन 5 से 9 अप्रैल, 1976 तक रोम में हुआ था।

(ख) एक भारतीय शिष्टमंडल ने बैठक में भाग लिया था, जिसमें कृषि सचिव, अर्थ एवं सांख्यिक निदेशालय के विशेष सलाहकार (खाद्य) और रोम में काउन्सेलर (कृ) शामिल थे।

(ग) समिति ने अपनी प्रथम बैठक में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें की हैं वे निम्नलिखित हैं :--

(1) समिति ने यह स्वीकार किया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय करार का क्रियान्वयन, जिसका उद्देश्य विश्व में मूल खाद्य पदार्थों की पर्याप्त सप्लाई करना है, सरकारों के स्वैच्छिक कार्यों पर निर्भर करता है, परन्तु इस उद्देश्य को दक्षपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है । तथापि, समिति ने यह अनुभव किया है कि करार के पूर्ण क्रियान्वयन के लिये कुछ समय के भीतर व्यावहारिक कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता होगी ।

(2) समिति ने उन उच्च प्राथमिकताओं का समर्थन किया है जो विकासशील देश विश्व खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन नीतियों एवं कार्यक्रमों को दे रहे हैं ।

(3) समिति ने अनुरोध किया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं सहायता देने वाली ऐजेंसियों, विकसित देशों एवं अन्य सक्षम अंशदाताओं को वास्तविक रूप से अपनी वित्तीय सहायता एवं विकासशील देशों के विकास संबंधी उद्देश्यों के संदर्भ में अपनी तकनीकी की सहायता बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिये । इस प्रकार कृषि के लिये दी गई अधिक सहायता से सम्बंधित विकसित देश कुल सरकारी विकास सहायता के लिये सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कम से कम 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य का अंशदान करेंगे ।

(4) समिति ने स्वीकार किया है कि आयात करने वाले विकासशील देशों की मांग पूरी करने के लिये उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जहां कि जलवायु संबंधी भिन्नता का या एकाएक अन्य प्राकृतिक आपदाएं फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता हैं । इस संबंध में विकसित देशों से अनुरोध किया गया था कि वे विश्व का खाद्य की मांग पूरी करने के लिये अपना उत्पादन बढ़ायें और उन नीतियों एवं बातों को छोड़ दें जिनसे विकासशील देशों के उत्पादन बढ़ाने की क्षमता में बाधा हो अथवा निर्यात करने वाले विकासशील देशों की क्षमता सीमित हो जाये ।

(5) समिति ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न व्यवस्था के संबंध में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं संबंधी व्यवस्था के संबंध में विशेष अवधि के समाप्त होने से पहले होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श एवं बातों पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

(6) समिति ने सिफारिश की है कि (क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों और द्विपक्षीय दानकर्ताओं को उदार शर्तों पर अपनी सहायता बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहिये अथवा संक्रान्तिक खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों एवं स्वराज्य प्राप्त करने वाले नये राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित और गम्भीर रूप से प्रभावित देशों के राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन एवं स्टाक कार्यक्रमों की अनुदान के रूप में सहायता करनी चाहिये । (ख) यदि संभव हो सके तो 1977 के अंत तक सब देशों को राष्ट्रीय स्टाक नीतियों की व्याख्या करने एवं उन्हें अपनाने तथा मूल्य खाद्य पदार्थों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिये प्रयास करने चाहियें और अन्तर्राष्ट्रीय करार के मार्गदर्शनों के अनुसार उनमें संशोधन करना चाहिये (ग) सब देशों को आर्थिक एवं सप्लाई की स्थिति के आधार पर अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय स्टाक बढ़ाने के लिये भी प्रयास करना चाहिये ।

ये निष्कर्ष तथा सिफारिशें सामान्यतः भारतीय शिष्टमंडल द्वारा बैठक में दिये गये तर्क के आधार पर हैं ।

विश्व खाद्य परिषद द्वारा समिति की सिफारिशें अपनाने के फलस्वरूप, खाद्य उत्पादन बढाने के लिये विकासशील देशों को सहायता मिलेगी तथा आयात करने वाले विकासशील देशों की मांग पूरी होगी और अधिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय स्टाक नीतियों को पनाने से विश्व की सप्लाई स्थिति में भी स्थिरीकरण होगा । प्रस्तावित उपायों को क्रियान्वित करने पर सारे विश्व, विशेषकर भरित सहित सब विकासशील देशों को लाभ पहुंचेगा ।

तमिलनाडु में भण्डारण की कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय पूल में चावल के योगदान में वृद्धि

3104. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु केन्द्रीय पूल में अपने योगदान की एक लाख टन चावल से बढ़ाकर डेढ़ लाख टन चावल कर रहा है क्योंकि राज्य को भण्डारण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भाण्डागार निगम तमिलनाडु के गोदामों में निजी स्टाक को रखने से मना करने का है ताकि तमिलनाडु सरकार एक लाख टन चावल देने के मूल प्रस्ताव पर ही दृढ़ रह सके ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तमिलनाडु सरकार ने अब तक केन्द्रीय पूल में एक लाख मीटरी टन चावल देने की पेशकश की है । खरीफ की अत्यधिक अच्छी फसल और इसके फलस्वरूप अधिक अधिप्राप्ति होने से तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय पूल में और मात्रा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में खाद्य पदार्थों की सप्लाई की प्रणाली

3105. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्य पदार्थों की सप्लाई की प्रणाली को पुर्नगठित करने की योजना बना रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : राज्य/संघ शासित प्रदेश में खाद्यान्नों के विपणन के जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की होती है । अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने सूचित किया है कि संघ शासित प्रदेश में खाद्य पदार्थों की सप्लाई की मौजूदा प्रणाली अच्छी है और फिलहाल इस प्रणाली का पुर्नगठन करने का कोई विचार नहीं है ।

चीनी के अधिक उत्पादन के बावजूद इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन को हानि होने का दावा

3106. **श्री नूरूल हुडडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन के इस दावे का क्या आधार है कि इसे 1974-75 में 64 करोड़ रुपयों की हानि हुई जबकि 48 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ;

(ख) यदि यह दावा सही है, तो चीनी निर्यात संबंधी हमारी नीति इसके लिए कहां तक उत्तरदायी है;

(ग) इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन ने इस हानि को कैसे पूरा किया; और

(घ) क्या रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए सरकार का विचार नियंत्रित मूल्य पर अधिक चीनी की बिक्री के लिए उपाय करने का है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जैसा कि इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन से पता लगाया गया है, यह दावा उत्पादन की लागत और खुली बिक्री की चीनी से प्राप्ति संबंधी उनके अपने आंकड़ों के आधार पर जुलाई, 1975 में लगाये गए अनुमान पर आधारित है। यह आधार, 1974-75 मौसम के लिए 11-7-1975 को लेवी चीनी के मूल्य अधिसूचित करते समय सरकार द्वारा अपनाए गए आधार से भिन्न है।

(ख) निर्यात विषयक सारा कार्य सरकार के खाते में होने के कारण कथित हानि के लिए निर्यात अंशदान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मालूम नहीं।

(घ) क्योंकि इस वर्ष चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से लगभग 5 लाख मीटरी टन कम होने की आशा है इसलिए लेवी चीनी की अधिक बिक्री की गुंजाइश सीमित है।

भारतीय आलू की खेप

3107. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को निर्यात किये गये भारतीय आलू की खेप को ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरीय वित्त निगम की स्थापना

3108. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद् ने पूना में 8 जून, 1975 को हुए अपने सम्मेलन में केन्द्र से अनुरोध किया है कि प्रत्येक राज्य में एक नगरीय वित्त निगम की स्थापना की जाये जिसका सर्वोच्च निकाय केन्द्र में हो ताकि नगरीय विकास के लिए योजनाओं में धान लगाने के लिय स्थानीय निकायों की सहायता की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) नगरीय वित्त निगम स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री की अध्यक्षता में, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन के मंत्रियों से युक्त स्थानीय

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की अक्तूबर, 1975 में हुई 16वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, जिसने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की थी कि वे केरल राज्य नगरीय विकास वित्त निगम लिमिटेड के आधार पर निगम स्थापित करने की पद्धति को अपनाएं जो कि लगभग 5 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है ।

Demand for Tractors

3109 **Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the annual demand of tractors in the country and the number of tractors being manufactured by various companies every year ;

(b) the number of tractors imported during 1974-75 and 1975-76 ;

(c) whether due to high prices of indigenous tractors at present, the small and middle class farmers are unable to utilise them; and

(d) if so, the measures taken to produce small lower horses power tractors and to reduce the prices of tractors being manufactured at present ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) the National Council of Applied and Economic Research (NCAER) have assessed the demand for tractors as follows :—

1974-75	45,000
1975-76 .	52,000
1976-77 .	60,00
1977-78 .	70,000
1978-79 .	79,000

Total number of tractors manufactured by 11 tractor manufacturing units in the country for the last four years is given as under :—

1972-73 .	20,802
1973-74 .	24,425
1974-75 .	31,088
1975-76 .	33,252

(b) No tractors have been imported during 1974-75 and 1975-76 except under IDA Agricultural Projects. Tractors imported under the Projects are as follows :—

1974-75 .	793
1975-76 .	1,100

(c) The rise in the cost of indigenous tractors during the past few years has resulted in some decrease in the off-take and use of these machines.

(d) At present three tractors manufacturing units out of 11 units are producing small horse power tractors. Their production has increased substantially during the last two years as given below:—

	1974-75	1975-76
1. M/s Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.	6,800	7,000
2. M/s Punjab Tractors Ltd., Chandigarh.	650	1,790
3. M/s Harsha Tractors Ltd., Ghaziabad	41	1,047

It is expected that during the next two years the production of these units would increase further.

The Government have been making efforts to contain the prices of tractors at reasonable levels. Statutory price control was substituted by price surveillance in order to harmonise a certain degree of operative elasticity to the manufacturers and the need to maintain prices at a socially desirable level. Price surveillance has now been limited to preferred models of tractors which function as price leaders in their respective horse power range. Besides that, possibilities of reducing the incidence of taxes are also being explored.

Purchase of Sugarcane by Mills in M.P.

3110. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received a report from Madhya Pradesh Government that farmers have reduced the area under sugarcane cultivation due to unwillingness on the part of sugar mills in the State to purchase sugarcane from them and non-payment of the price of their cane in time ;

(b) whether instructions are proposed to be issued to State Government asking it to ensure that sugarcane from farmers is purchased on time and reasonable price paid therefor ;

(c) dues of farmers withheld at present by the Jaora Sugar Mill (Ratlam) ; and

(d) whether Government have considered a proposal to make a law to ensure that Sugar Mill owners do not act arbitrarily in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) The State Governments have already been requested to ensure adequate supply of cane to the factories for crushing, and the payment of the cane price within 14 days of the delivery of the cane. M.P. Government have reported that factories have purchased cane produced in reserved areas in time from all growers and paid reasonable prices decided in consultation with growers.

(c) As on 31-3-1976, the total arrears of cane price in respect of Jaora Sugar Mills were Rs. 13.38 lakhs, of which Rs. 6.80 lakhs related to 1975-76 season after deducting the value of purchases made during the preceding fortnight. The State Government have issued revenue recovery certificate for full recovery of old dues from Jaora factory.

(d) Does not arise.

उर्वरक के मूल्य पर बजट प्रस्तावों का प्रभाव

3111. **श्री समर गुहा** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बजट का उर्वरकों के मूल्यों कम करने में कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्मों के उर्वरकों के मूल्यों में कितनी-कितनी कमी हुई है; और

(ग) क्या उर्वरकों के मूल्यों में कमी हो जाने के कारण वे बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ प्रमुख आयातित उर्वरकों के, जिनके मूल्य 1976 के बजट प्रस्तावों के अनुसरण में कम कर दिए गए थे, 15 मार्च, 1976 के चालू मूल्य और उसके बाद मूल्यों में की गई कमी नीचे दी गई है ।

(रुपये प्रति मीटरी टन)

उर्वरक का नाम	15-3-76 को मूल्य	चालू मूल्य	की गई कमी
यूरिया .	1850	1750	100
अमोनियम नाइट्रो-फास्फेट (24-24-0) .	2650	2270	380
एन० पी० के० (15-15-15)	1645	1570	75
एन० पी० के० (17-17-17)	2425	1970	455
म्यूरिएट आफ पोटाश .	1085	900	185
डाई अमोनियम फास्फेट . .	2600	2210	390

(ग) हाल में मूल्य में की गई कमी का उर्वरकों की कुल खरीद पर क्या असर पड़ेगा, यह बताना अभी सम्भव नहीं है ।

Bargi Project on Narmada River

*3112. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state

(a) Whether Government have under consideration a scheme to make water available from the Bargi project on Narmada river to the permanently famine and drought prone areas of Rewa Division in Madhya Pradesh for irrigation purposes ;

(b) whether Madhya Pradesh Government have also submitted a proposal to Central Government in this regard ; and

(c) if so, the main features, the areas to be irrigated under it and the expenditure involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) to (c) The Bargi project, as prepared by the Madhya Pradesh Government in 1969 envisages irrigation benefits to an area of 3.33 lakhs ha. in Jabalpur and Narsinghpur distircts of the State in the Narmada basin. No proposal for use of Bargi waters outside the basin in Rewa district has been received from the State Government. The latest estimated cost of the Bargi project is Rs. 124.15 crores.

Since the Bargi project lies in the Narmada basin and the dispute relating to the Narmada waters is at present under adjudication by the Narmada Water Disputes Tribunal, the scope of the Bargi projcet could be finalised only after the decision of the Tribunal becomes available.

वनों संबंधी समिति

3113. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में वनों सम्बन्धी अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं ।

भारत सरकार ने भारत में वन का अध्ययन करने के लिए कोई समिति स्थापित नहीं की है । तथापि केन्द्रीय वानिकी मण्डल ने राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने के लिए चुने हुए राज्यों के वन मंत्रियों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक उप समिति गठित की थी । उनकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Miner Irrigation Projects in Rajasthan and M.P. during IV and V Plan

3114. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned to Madhya Pradesh and Rajasthan during Fourth plan period for minor irrigation projects ; and

(b) number of new minor irrigation projects approved for these States in the Fifth plan ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The amounts for Minor Irrigation schemes during the Fourth Five year plan period were provided by the State Governments from within the State plan and the Central assistance was sanctioned in the form of block loans and grants for the plan as a whole and was not linked to any head of development/scheme. The total plan sector financial outlays incurred under Minor Irrigation during the Fourth Five Year Plan period in the States of M.P. and Rajasthan were Rs. 43.83 crores and Rs. 12.35 crores respectively.

(b) Minor Irrigation Scheme are of various kinds such as dugwells, tubewells, pump-sets, surface water storage, diversion and Lift Irrigation projects. These works, being numerous, are not planned on the basis of numbers but on the basis of financial outlays and area-benefits. The State Plan financial outlays and the physical benefits provided in the draft Fifth Five Year plan in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan are given below.

State	Plan Sector Outlays (Rs. in Crores)	Physical Target (Lakh hectares)
Madhya Pradesh	52.00	6.00
Rajasthan	12.89	1.32

माडल हाई स्कूल

3115. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में माडल हाई स्कूल खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आदर्श उपस्थित करने के विचार से इस बीच कोई माडल स्कूल खोले गए हैं जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलकर किया गया है; और

(ग) अब नक खोले गए स्कूलों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) जिला स्तर पर, माडल कौंप्रिहैंसिव सैकेण्डरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे

3116. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी डिवीज़नों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के भविष्य निधि के लेखे कर्मचारियों को सप्लाई कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा रखने हैं ।

बम्बई और कलकता के क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले सभी मण्डलों के 31-3-1975 तक की अवधि के भविष्य निधि लेखा विवरण दिए जा चुके हैं । दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले 90 मण्डलों में से 22 मण्डलों के विवरण दिए जा चुके हैं । शेष मण्डलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को विवरण दे देने का कार्य प्रगति पर है ।

दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय के शेष मण्डलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को विवरण देने में विलम्ब होने का कारण यह है कि इस वर्ग के कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखा अदमा मशीन पर नई लेखा पद्धति के अनुसार रखा जाने लगा है । इसके कारण 31-3-1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के भविष्य निधि लेखा विवरण जिन्हें प्रथमवार इस नयी लेखा पद्धति के अनुसार बनाकर जारी किया जा रहा है, में नये लेखा संख्या के आवंटन का अतिरिक्त काम शामिल है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सम्बन्धित मण्डलों से प्राप्त करनी पड़ी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों से छंटनी किए गए कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाना

3117. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बारे में 12 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों से वर्ष 1973 और 1974 में छटनी किए गए सभी कर्मचारियों को छंटनी मुआवजा दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत और नेपाल के बीच नदियों के पानी संबंधी नया करार

3118. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री के नई दिल्ली के दौरे के बाद नेपाल और भारत के बीच नदियों के पानी के बारे में कोई नया करार किया गया है अथवा विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) नेपाल के प्रधान मंत्री के हाल ही के दौरे के बाद नेपाल और भारत के बीच किसी भी नदी घाटी परियोजना के सम्बन्ध में किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त अभी ऐसे किसी करार की परिकल्पना नहीं की जा रही है।

Jayanti Villages In Bihar

3119. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the progress made in the development of Jayanti villages selected in Saharsa District in Bihar ; and

(b) the expenditure proposed to be incurred by Government for the development of these villages during 1976-77 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) The information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the table of the Sabha.

Sugar Quota To M.P.

3120. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the sugar quota allocated to Madhya Pradesh during the years 1973 to 1975 as against its demand year-wise ; and

(b) whether sugar is obtained from other States at higher rates while the sugar produced in the State costs less ; and if so, whether Government propose to stop this ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Levy sugar allotments to Madhya Pradesh State were as follows :—

1973	1,45,227 tonnes
1974	1,41,783 tonnes
1975	1,52,721.8 tonnes

The Madhya Pradesh Government asked in February, 1975 for increasing their levy sugar quota to 13,800 tonnes per month and they are being allotted every month 13,833 tonnes since August, 1975.

(b) The cost of levy sugar produced in Madhya Pradesh is actually more than what it is in other States from where sugar is obtained for meeting the heavy deficit in its own production. In any case, as levy sugar is being distributed at a uniform price of Rs. 2.15 per kg. all over the country by a system of pooling of prices, the consumers are not affected.

मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत ग्रंथ सूची परियोजना

3121. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत ग्रन्थ सूची (कैटलाग) परियोजना पूरी हो गई और

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) जी, नहीं

(ख) मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, परियोजना के पूरा होने में लगभग दस वर्ष और लगने की सम्भावना है ।

बाण सागर परियोजना का नियंत्रण बोर्ड

3122. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाण सागर परियोजना के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं;

(ख) उक्त बोर्ड के निदेश पद क्या हैं;

(ग) बोर्ड ने किस तारीख से कार्य आरम्भ किया है; और

(घ) उक्त बोर्ड द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का गठन 30 जनवरी, 1976 को किया गया था । इसका गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) अभी तक बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है ।

विवरण

गठन

बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगा :--

1.	केन्द्रीय सिंचाई मंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
3.	मुख्य मंत्री, बिहार	सदस्य
4.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
6.	वित्त मंत्री, बिहार	सदस्य
7.	वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	सिंचाई मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
9.	सिंचाई मंत्री, बिहार	सदस्य
10.	सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	मंत्री, विद्युत्, मध्य प्रदेश	सदस्य

मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्रमशः एक-एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष होंगे और यह क्रम मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश से प्रारम्भ होगा ।

बोर्ड के लिए एक सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और आवश्यकतानुसार अन्य स्टाफ होगा ।

विचारार्थ विषय :

यह बाणसागर नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए परियोजना के प्राक्कलनों की संवीक्षा आवश्यक संशोधनों पर परामर्श और मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की सिफारिश करना;

(2) अभिकल्पों को तैयार करने एवं विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के सभी प्रस्तावों की जांच और निर्णय करना;

(3) परियोजना के क्रियान्वयन कार्य पर लगे मुख्य इंजीनियर, अधीक्षक इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर एवं उप-मण्डलीय अधिकारियों को परियोजना के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर जैसी कि आवश्यकता समझी जाए तकनीकी एवं वित्तीय दोनों ही प्रकार की ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन की जांच तथा स्वीकृति करना;

(4) परियोजना के सभी प्रकार दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिए यथावश्यक कार्य की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्टियों और दरों की जांच करना और उनका निर्धारण करना;

(5) सभी उप-प्राक्कलनों और ठेकों की लागत का जो मुख्य इंजीनियर को संस्वीकृत करने की प्रदत्त शक्तियों से अधिक हों, का अनुमोदन करना ।

(6) उप-प्राक्कलनों और संविदाओं को तैयार करने के लिए जो मुख्य इंजीनियर के द्वारा संस्वीकृत किए जाने की शक्तियों के अन्तर्गत ही हों, मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारण करना;

(7) कार्य सौंपने या संविदा के आधार पर पूर्तियां करने के लिए उन सभी मदों के जो सार्वजनिक निविदाओं पर या विस्तृत मांत्रिक प्राक्कलनों और कार्यदिश के आधार पर अनसूचित दरों पर सौंपे गए कार्यों को छोड़कर, प्रस्तावों को स्वीकृत करना ।

नोट (1) जहां पर ठेका देते समय किसी ठेके के अन्तर्गत कुल वित्तीय दायित्व वास्तविक रूप से सुनिश्चित करने हों और जहां पर यह ठेका निविदाओं को सार्वजनिक या सीमित आधार पर मांगे जाने के फलस्वरूप हों, ऐसी स्थिति में प्रस्तावों को, जब तक कि व मुख्य इंजीनियर के द्वारा संस्वीकृत की जाने वाली शक्तियों के अन्तर्गत हों, नियंत्रण बोर्ड को पूर्व प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

नोट (2) इसका प्रभाव समय-समय पर मुख्य इंजीनियर, अधीक्षक इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर और उप-मण्डलीय अधिकारियों को प्रदत्त की गई शक्तियों पर नहीं पड़ेगा ।

(8) शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्य संचालन के प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के लिए नियम बनाना;

(9) धन की उपलब्धता, परियोजना के आर्थिक लाभ एवं इससे शीघ्र परिणामों को प्राप्त करने को दृष्टिकोण में रखते हुए समन्वित ढंग से परियोजना के विभिन्न भागों के निर्माण के कार्यक्रम को तय करना;

(10) बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना के निर्माण कार्यों तथा निष्पादन के अन्य प्रयोजनों के लिए धनराशि की आवश्यकताओं की जांच करना और तीनों राज्यों के बीच परियोजना की लागतों के विभाजन के सम्बन्ध में हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए, व्यय के विभाजन के सम्बन्ध में सलाह देना;

(11) उपलब्ध जल के अधिकतम प्रयोग करने के उद्देश्य से सिंचाई और विद्युत् प्रयोजनों के लिए जलाशय से निर्माण अवधि के दौरान पानी लेने और जल एवं विद्युत् के चरणबद्ध विकास को तय करना;

(12) बाणसागर परियोजना के निर्माण कार्यों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम को तय करना तथा भूमि सुधार प्राक्कलनों एवं विस्थापित व्यक्तियों के पुनः स्थापन तथा पुनर्वास पर हुए व्यय जिसमें भू-अर्जन तथा अन्य सम्बन्धित खर्चे भी शामिल हैं, की जांच करना तथा स्वीकृत करना;

(13) मुख्य इंजीनियर से निर्धारित फार्म पर निर्माण कार्यों और व्यय दोनों के सम्बन्ध में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना, परियोजना की विभिन्न यूनिटों की प्रगति का पुनरीक्षण करना और कार्य को शीघ्र करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करना ।

महाधिवक्ता तथा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा सरकारी आवास का खाली किया जाना

3123. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के कितने महाधिवक्ताओं तथा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीशों को, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं और जिनके दिल्ली में अपने मकान भी हैं, उनके रहने के लिए आवंटित किए गए सरकारी आवास खाली कराने हेतु नोटिस दिए गए हैं; और

(ख) उनमें से अब तक कितनों ने सरकारी आवास खाली कर दिए हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) किसी भी महाधिवक्ता को, जिसका दिल्ली में अपना मकान है, कोई भी मकान अलाट नहीं किया गया है । तथापि, राज्य सरकार के एक अधिकारी के लिए राजस्थान सरकार को दिया गया मकान उक्त सरकार द्वारा एक महाधिवक्ता को अलाट कर दिया गया है जो संविदात्मक बन्धन के कारण निःशुल्क वास का पात्र है।

सेवा की शर्त के मुताबिक जो अधिकारी निःशुल्क वास के पात्र हैं अपना मकान रखने वालों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों से वे मुक्त हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के मूल्य में कमी

3124. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े पैमाने पर की जा रही इस मांग से अवगत है कि उर्वरकों, विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी और आन्तरिक मांग के दबाव को देखते हुए कटौती की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) कुछ प्रमुख मिश्रित उर्वरकों के मूल्य अभी हाल ही में अर्थात् 20 अप्रैल, 1976 से कम कर दिए गए हैं । मूल्यों में यह कमी और इससे पहल 18 जुलाई, 1975, एक दिसम्बर, 1975 तथा 16 मार्च, 1976 को की गई कमी अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में उर्वरकों के मूल्यों में गिरावट, ऊंचे मूल्यों पर आयात की गई आगे ले जाई जाने वाली मात्राओं, चालू वर्ष के लिये आयात कार्यक्रम तथा उर्वरकों की खपत बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है । उर्वरकों के मूल्यों में और कमी करने का कोई विचार नहीं है ।

उपज में रासायनिक उर्वरक का प्रभाव

3125. **डा० के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपज बढ़ाने के लिये रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बारे में वैज्ञानिकों की नवीनतम राय क्या है;

(ख) सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) क्या भारत में इस बात का निर्धारण करने के लिये कोई विशेष प्रयोग किये गए हैं कि केवल उर्वरकों के प्रयोग के कारण कितना अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) फसलें मिट्टी से पोषक तत्त्व लेती हैं । या तो इन तत्त्वों की आपूर्ति करने की क्षमता मिट्टियों में होनी चाहिए या इन्हें जैविक खाद या रासायनिक उर्वरकों के रूप में मिट्टी में दिया जाना चाहिए । आम तौर पर यह पाया गया है कि एक मीट्रिक टन अनाज उत्पादन के लिए भूसा और दाने की शक्ल में 22—35 किलो नाइट्रोजन, 9—16 किलो फास्फोरस और 40—70 किलो पोटाश मिट्टी से खींच ली जाती है । देश में पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कृषि योग्य भूमि में प्रति यूनिट उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है । इन राज्यों की भूमि की प्रति यूनिट उत्पादन क्षमता भी अधिक है । समुचित कृषि विधियों के अभाव में होने वाली क्षति की पूर्ति उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करके नहीं की जा सकती है । उर्वरकों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम नमी की परिस्थितियों, खरपतवार नियंत्रण और पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है । सिंचाई में प्रयुक्त जल से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मिट्टी में उर्वरकों की अनुकूलतम मात्रा का प्रयोग करना जरूरी है, वरना सिंचाई से अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।

देश के विभिन्न राज्यों के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में, उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । आमतौर पर पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्यों की कृषि योग्य भूमि में प्रति हैक्टर उर्वरकों की अधिकतम मात्रा का प्रयोग किया जाता है । इन राज्यों की अधिकतम भूमि सिंचित है । साधारणतः यह भी देखा गया है कि जिन जिलों में अपेक्षाकृत उर्वरकों को अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उनमें सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । आमतौर पर असिंचित क्षेत्रों में किसान हानि के डर से मूंगफली जैसी फसलों को

छोड़कर अन्य फसलों में उर्वरकों का अधिक प्रयोग नहीं करते हैं । उदाहरण के लिए गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल में, जो मुख्य रूप से असिंचित फसल है, फास्फोरस धारी उर्वरक की काफी मात्रा का प्रयोग किया जाता है ।

अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं (i) सस्य विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान और (ii) बारानी कृषि के अन्तर्गत कई परीक्षण केन्द्रों पर सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों के अन्तर्गत उर्वरकों के प्रयोग पर परीक्षण किये गये । इन परीक्षणों के आंकड़ों से पता चला कि बारानी क्षेत्र में बिना उर्वरक वाली परिस्थितियों के अन्तर्गत फसलों की उपज 700 किलो से 1,500 किलो फी हैक्टर तक हुई, लेकिन उर्वरक देने से गेहूं, मक्का और ऊंची भूमि में उगाये गये धान की उपज में एक से डेढ़ मीट्रिक टन फी हैक्टर की वृद्धि हुई । इसी तरह से सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत उर्वरक न देने से 1.5 से 2.5 मीट्रिक टन प्रति हैक्टर उपज मिली । सिंचित फसल में उर्वरक की अनुकूलतम मात्रा देने के परिणामस्वरूप उपज में फी हैक्टर 2-3 मीट्रिक टन तक की वृद्धि हुई ।

Difference in Price of Indigenous and imported Fertilizers

3126. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is any difference in the prices of indigenous and imported fertilizers; and

(b) if so, extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) With the latest revision in the prices of some of the more important fertilisers, the prices of imported and indigenous fertilisers have been brought at par. The current retail selling prices of some of the fertilisers are given below :—

(Rs. Per tonne)

	Imported	Indigen-ous
Urea	1750	1750
A.S.	935	936
DAP	2210	2210
ANP 24-24-0	2270	2270
NPK 15-15-15	1570	1570
NPK 17-17-17	1970	1970

(These prices are exclusive of local taxes, if any).

(b) Does not arise.

दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1976

3127. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1976 चालू सत्र में ही पुरःस्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार का विचार, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए यथाशीघ्र एक विधेयक पेश करने का है किन्तु इस स्तर पर कोई निश्चित समय बताना कठिन है ।

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना

3128. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना के जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं उनकी स्थिति क्या है; और

(ख) अटपडी सहकारी शक्कर कारखाना, अटपडी, जिला सांगली और कगल सहकारी शक्कर कारखाना, कगल, जिला कोल्हापुर के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) (1) कगल, जिला कोल्हापुर, (2) अटपडी, जिला सांगली, (3) शिरपुर, जिला धुलिया और (4) नलदुर्ग तालुक तुलजापुर, जिला उसमानाबाद में चार सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र अन्तिम निपटान के लिए लम्बित पड़े हैं । नलदुर्ग से सम्बन्धित प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था लेकिन आवेदक ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन किया है । राज्य सरकार के विचार प्राप्त होने पर अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा । अन्य तीन मामलों में भी राज्य सरकार को आगे लिखा गया है ।

Sugar Mill Basti, Uttar Pradesh

3129. **Shri Annant Prasad Dhusia :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Sugar Mill, Basti, U.P. has been burning huge quantities of press mud and preparing lime and mixing it in gamaxine which supplied to various parts of the country for sale ;

(b) if so, whether any damage as a result thereof has been reported to Government by the farmers ;

(c) whether large amount of income-tax, sales-tax etc. are being evaded in the sale of this material; and

(d) if so, the action taken against the persons involved ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir,

(b) to (d) : Do not arise.

दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी की कमी

3130. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मी का मौसम आते ही दिल्ली में फिर पानी की कमी आरम्भ हो गई है;

(ख) क्या 24 घन्टे पानी सप्लाई करने का प्रस्तावित परीक्षण प्रारम्भ किया गया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) राजधानी के सभी क्षेत्रों में पानी की कम से कम सामान्य सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिविल लाइन तथा दक्षिण दिल्ली जैसे क्षेत्रों को परीक्षण के रूप में 24 घन्टे पानी की सप्लाई की जा रही है किन्तु, दिल्ली के समस्त संघ राज्य क्षेत्र में 24 घन्टे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान जलकल की क्षमता पर्याप्त नहीं है ।

(ग) जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) पिछले वर्ष की 195 एम०जी०डी० (10 लाख गैलन प्रतिदिन) की कुल पानी की सप्लाई को बढ़ाकर फिलहाल 200 एम० जी० डी० कर दिया गया है ।

(ii) इन्द्रप्रस्थ इस्टेट के दो रैंनी कुओं के चलने पर शीघ्र ही 5 एम० जी० डी० अतिरिक्त जल सप्लाई कर दिया जाएगा ।

(iii) पानी के चूने (लीकेज) को तुरन्त ठीक करने के लिए टपकन खोजी विशेष कक्ष खोला गया है ।

(iv) पानी की मुख्य लाइनों पर गश्त को और अधिक सक्रिय कर दिया है ताकि दुर्घटना रोकी जाए और समय पर टपकन (लीकेज) को बन्द किया जाये ।

(v) जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आपात नियंत्रण कक्ष खोले गये हैं इनके अतिरिक्त, 3 अन्य नियंत्रण कक्ष भी खोले गये हैं जो रात-दिन कार्य करते हैं ।

(vi) जनता के लिए मुफ्त पीने के पानी के अधिकांश बम्बों को बन्द कर दिया गया है जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ गया है ।

Wild life Sanctuaries

3131. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) State-wise number, names and areas of the wild life sancturaies ;

(b) Whether census of each specie of wild life in the sanctuaries is done ; and

(c) if so, State-wise number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha as soon as it has been collected.

Mango and Lichi and Banana Crops

3132. **Shri Ramavater Shastri : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a bumper crop of mangoes, lichies and bananas is expected in the country this year ;

(b) if so, whether Government have chalked out any programme for export thereof; and

(c) if so, main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Estimates of production of mango, lichi and banana for this year, have not so far become availbale.

(b) & (c): For the export of banana, the Banana and Fruit Development Corporation has a plan to export 10,000 tonnes during 1976-77. As regards Mango and Lichi no specific programme has been chalked out to export these items.

तिलहनों का उत्पादन

3133. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में तिलहन का कितना उत्पादन हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) वर्ष 1975-76 के दौरान रबी मौसम में उगाए गए अलसी, तोरिया और सरसों सहित तिलहनों के उत्पादन और ग्रीष्म की मूंगफली की फसल के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1976 में किसी समय उपलब्ध होंगे । तथापि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 1975-76 के दौरान देश में पांच प्रमुख तिलहनों (मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, एरण्ड और अलसी) के उत्पादन वर्ष 1974-75 के 83.6 लाख मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक होने की सम्भावना है ।

Storage Capacity of F.C.I.

3134. **Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state the storage capacity of the Food Corporation of India in different States; State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): A statement is attached. [placed in library. See No. L.T.—10761/76]

कृषि सेवा केन्द्र

3135. **श्री टुना उरांव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कृषि सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष में कृषि सेवा केन्द्रों के लिये राज्यवार, कुल कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) चालू वर्ष में इन कृषि सेवा केन्द्रों से राज्यवार, कितने ग्रामीण व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1976 तक देश में 2,452 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं ।

वर्ष 1975-76 के दौरान कृषि सेवा केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति/व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

31-3-76 तक देश में स्थापित किए गए कृषि सेवा केन्द्रों और चालू वर्ष के दौरान कृषि सेवा केन्द्रों पर व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय
आन्ध्र प्रदेश	171	2,79,464.98
असम	14	--
बिहार	198	1,59,988.24
गुजरात	72	3,30,383.73
हरियाणा .	81	2,30,454.68
जम्मू व कश्मीर	6	26,272.75
कर्नाटक	150	2,15,441.40
केरल	4	14,343.75
मध्य प्रदेश .	284	2,78,358.77
महाराष्ट्र	252	2,91,778.54
उड़ीसा	20	31,375.00
पंजाब	140	3,65,383.50
राजस्थान	281	2,92,568.47
तमिलनाडु .	170	4,97,162.69
उत्तर प्रदेश .	311	1,81,241.85
पश्चिम बंगाल	298	1,06,409.25
दिल्ली	--	1,03,000.00
योग . . .	2452	34,02,627.60

केरल में विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना

3136. **श्री वरके जार्ज : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में दो विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) प्रस्तावित केन्द्रों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) तेलीचेरी में कालिकट विश्वविद्यालय के एक स्नातकोत्तर केन्द्र को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिद्धान्त रूप से दिसम्बर, 1974 में सहमत हो गया था । उक्त केन्द्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार आयोग द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा ।

कोट्टायम में केरल विश्वविद्यालय के एक उत्तर स्नातक केन्द्र को स्थापित करने के प्रस्ताव को उक्त विश्वविद्यालय की पांचवीं योजना निरीक्षण समिति को भेजा गया था । पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्नातकोत्तर केन्द्रों की मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने के लिए गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और इस प्रस्ताव पर तत्पश्चात् निर्णय लिया जायेगा ।

कीटों से फसल को हानि

3137. **श्री रानेन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक स्थानों में विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में कीटों ने फसलों को नष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक राज्य में विमानों द्वारा कीट नाशक औषधियां छिड़कने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 1974-75 में और अप्रैल, 1976 तक किन-किन स्थानों में विमानों द्वारा कीट नाशक औषधियों का छिड़काव किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां । विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी फसलें 1975-76 के खरीफ और रबी मौसमों में कीटों द्वारा प्रभावित हुई थी। आंध्र प्रदेश के चार ज़िलों में धान के 25,540 हैक्टार क्षेत्र के ब्राउन प्लांट हापर से प्रभावित होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए समुचित उपाय किए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में लगभग 5,000 एकड़ धान जून, 1975 में ब्राऊन प्लांट हापर द्वारा प्रभावित हुआ था । हाल में लगभग 500 एकड़ धान पर भी इसका असर पड़ा। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई गंभीर कीट आक्रमण नहीं हुआ है। राज्यों में बड़े कीट आक्रमणों की एक सूची संलग्न है (परिशिष्ट 1) [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–10762/76]। यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकारों ने कीट आक्रमणों का सामना करने के लिए आवश्यक रासायनिक नियंत्रण के उपायों का प्रयोग किया है।

(ख) और (ग) : भूमि अथवा हवाई छिड़काव के तरीकों द्वारा कीट आक्रमणों पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी प्रमुखता राज्य सरकारों की है। जिन राज्यों और स्थानों पर 1974-75 और 1975-76 के दौरान हवाई छिड़काव किया गया, उनके नामों का विवरण (परिशिष्ट 2) संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10762/76] ।

गांधी शांति प्रतिष्ठान को भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् से अनुदान

3138. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अनुसंधान प्रयोजनों के लिए गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को काफी धनराशि दी है, और यदि हां, तो दिए गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है, वे कब और किन-किन अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिये गये और उनके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या जिस समय गांधी शांति प्रतिष्ठान को अनुदान दिया गया था उस समय वह प्रतिष्ठान अनुसंधान कार्य करने में सक्षम था;

(ग) क्या एक परियोजना जिसके लिए अनुदान दिया गया था, वह बिहार आन्दोलन के बारे में और विशेष रुप से राज्य भर में 'सत्याग्रहों' में युवकों की भूमिका के बारे में अनुसंधान करने के लिए था और यदि हां, तो क्या उक्त अनुसंधान अध्ययन के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सरकार से पूर्व अनुमति मांगी थी और उसे प्राप्त किया था;

(घ) अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; उनके निष्कर्ष क्या हैं और क्या वे सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ङ) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने गांधी शांति प्रतिष्ठान को निम्नलिखित दो अनुदान संस्वीकृत किए हैं।

(i) श्री प्यारेलाल द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी तैयार करने के लिए अप्रैल, 1974 में 35,000/-रुपये। श्री प्यारेलाल इस परियोजना के निदेशक हैं। यह जीवनी चार खण्डों में प्रकाशित की जाएगी। इनमें से एक खण्ड प्रेस में जाने के लिए तैयार है।

(ii) जिन 2000 सत्याग्रहियों ने जून-जुलाई, 1974 के दौरान बिहार आन्दोलन में अपने आपको गिरफ्तार कराया, उनके आंकड़ों के कम्प्यूटर विश्लेषण पर खर्चे को पूरा करने के लिए दो किस्तों में अप्रैल और दिसम्बर, 1975 में 5,600/- रुपये। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सह-प्रोफेसर डा० पार्था मुखर्जी इस परियोजना के निदेशक हैं। 2000 सत्याग्रहियों के आंकड़ों का कम्प्यूटर विश्लेषण अभी भी किया जा रहा है और परियोजना के निदेशक से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने में छः महीने और लग जाएंगे।

इस मामले में भारत सरकार को कोई पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

विषय तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू पढ़ाने वाले स्कूल

3139. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने ऐसे स्कूल हैं जहां एक भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाया जाता है; और

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां सभी विषयों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू का प्रयोग होता है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जिन स्कूलों में उर्दू माध्यम से पढ़ाने के लिए सुविधाएं हैं, उनकी संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

(1) उत्तर प्रदेश	2,191
(2) बिहार	7,370
(3) मध्य प्रदेश	206
(4) राजस्थान	51
(5) पंजाब . .	2
(6) दिल्ली	50

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए नाम दर्ज कराते समय जमा की जाने वाली राशि में वृद्धि

3140. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी श्रेणियों में फ्लैटों के लिए नाम दर्ज कराने के आवेदनपत्रों के साथ जमा की जाने वाली राशि बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) इमारती सामान की कीमत तथा मजदूरी के बढ़ जाने के कारण निर्माण की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए।

"लैवी" चीनी के मूल्य में वृद्धि

3141. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "लैवी" चीनी के मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य कम करना

3142. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य में कमी की है और उनमें कहां तक कमी की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : क्योंकि 2750.00 रुपये प्रति मीटरी टन की रियायती दर पर सफेद छपाई कागज का उदारतापूर्ण आवंटन करने से पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों को स्थिर रखने में राज्यों को पर्याप्त सहायता मिली है, अतः निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित

क्षेत्रों की सरकारों ने पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों को, प्रत्येक के सामने उल्लिखित सीमा तक, कम करने की सूचना दी है।

राज्य	सीमा, जिस तक मूल्य कम किया गया है
असम	1 से X तक की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों पर 55 पैसे से लेकर 95 पैसे तक
बिहार	राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों पर 20 %
हिमाचल प्रदेश	1 से X तक की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों पर 10%
केरल	अनिर्दिष्ट पुस्तकों पर 20% से लेकर 25 % तक।
मणिपुर	1 से VIII तक की कक्षाओं की 150 पाठ्य-पुस्तकों पर औसतन 74 पैसे प्रति पुस्तक।
राजस्थान	1 से VIII तक की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों पर 18%
पश्चिम बंगाल	VI से X तक की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों पर 45 पैसे से लेकर 1.80 रु० तक।
	प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों (स्कूल तथा कालेज स्तर) पर 5%
दिल्ली	कुछ पुस्तकों पर 10% से लेकर 36 % तक।
मिजोरम	स्कूल की पाठय पुस्तकों पर 9% से लेकर 26% तक।

सरकारी आवास रखने संबंधी नियमों में ढील

3143. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अपना मकान रखने वाले अपने कर्मचारियों को सरकारी आवास लौटाने संबंधी नियमों में कुछ ढील दी है;

(ख) यदि किसी कर्मचारी का अपना मकान उस सरकारी आवास से छोटा हो जिसके आवंटन के लिए वह हकदार है तो क्या वह अपने विभाग की अनुमति से सरकारी आवास में रह सकता है; और

(ग) यदि हां तो कितने किराये पर ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) से (ग) नियमानुसार कोई कर्मचारी मकान की सामान्य लाइसेंस फीस देकर उसे आवंटित सरकारी मकान रखे रह सकता है यदि वह अपने निजी मकान जो उसकी पात्रता से कम हो, को सरकार को पट्टे पर दे दे और उसका यह प्रस्ताव सरकार स्वीकार कर ले। नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है।

Representation Regarding House Sites Presented by Harijan Community of Palam Village

3144. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the entire Harijan community of Palam village presented to him a memorandum about housing sites on the 23rd August, 1975;

(b) if so, number and nature of demands contained therein; and

(c) action taken by Government thereon?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) No, Sir. However, two representations were received from the Harijans of Village Palam in Delhi administration.

(b) Three main points/demands were in these representations. These were : (i) landless Harijans of village palam had neither been given plots nor agricultural land under the 20-point Economic Programme of the Prime Minister;

(ii) certain persons were in unauthorised occupation of gaon sabha land with the connivance of village Pradhan; and

(iii) Government servants belonging to the Scheduled Caste Community of this village were not being given either the house-sites or the agricultural land and they should be allotted house-sites or agricultural land.

(c) For removal of encroachment on gaon sabha land, a Special Enforcement Squad has been established by the Delhi Administration. This squad has already started functioning.

The gaon panchayat of village palam has distributed 82 acres of agricultural land to 82 families out of which 31 belong to Scheduled caste. Another list of 783 persons of this village has been prepared for allotment of house-sites.

दिल्ली प्रशासन द्वारा टाईप-II क्वार्टरों का आवंटन

3145. श्री **छत्रपति अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को टाईप-II के कितने क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : अक्तूबर 1975 तक 29 क्वार्टर आवंटित किए जा चुके हैं।

बड़ी तथा लघु सिंचाई योजनायें

3146. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री मध्य प्रदेश की बड़ी तथा लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में 15 मार्च 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन 14 बड़ी तथा 27 लघु योजनाओं के नाम क्या हैं जो स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं; और

(ख) उपरोक्त योजनाओं में से कौन सी योजनाएं स्वीकार्य तथा कौन सी अस्वीकार्य पाई गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथसिंह) : (क) स्वीकृति के लिए शेष पड़ी 14 बृहत और 27 मध्यम स्कीमों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

बृहत स्कीमें

1. बारगी
2. नर्मदा सागर
3. ओंकारेश्वर
4. कोलार
5. अपर बेन गंगा
6. पेंच व्यपवर्तन परियोजना

7. रेहर
8. बानसागर (संशोधित)
9. हसदेव (बांगो)
10. अरपा परियोजना
11. हाप परियोजना
12. पार्वती परियोजना
13. गंभीर जलपूर्ति स्कीम
14. माही परियोजना

मध्यम स्कीमें

1. मेघाओं टोला ताल
2. वंजर नदी परियोजना
3. सकालदा ताल परियोजना
4. नहलेसारा
5. बाध यनाला
6. झीरम नदी
7. विजना ताल
8. जोहिला (संशोधित)
9. उमरार ताल
10. कचन बांध
11. महाराय ताल
12. पुतकानाला
13. मतिया मोतीनाला
14. वारदाह नाला
15. रामपुरा ताल तक मकरोड़ा पोषक जलाशय
16. पेरोंच ताल
17. शमशेरपुर ताल
18. विसाई लिफ्ट सिंचाई स्कीम
19. मानाझुरवारी
20. जरमोहरा
21. कारवान (संशोधित)
22. विचुका-लतिया समूह
23. सुकता (संशोधित)
24. जोंक व्यपवर्तन (संशोधित)
25. किंकारी नाला
26. पिपलिया कुमार ताल
27. नारेन सिंचाई स्कीम

(ख) उपर्युक्त में से निम्नलिखित स्कीमें स्वीकार्य पाई गई हैं :--

1. बिचुआ-लतिया समूह
2. नुकना (संशोधित)
3. जोंक व्यपवर्तन (संशोधित)
4. किकारीनाला
5. पिपलिया कुमार ताल
6. नारेन सिंचाई स्कीम

दूसरी स्कीमों की तकनीकी जांच की स्थिति 15 मार्च, 1976 को अतारांकित प्रश्न सं० 619 के उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है।

मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान

3147. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान के बारे में 15 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह घोषणा किये जाने के बाद कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के स्त्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त संस्था है" इस विश्वविद्यालय को शीघ्र ही पर्याप्त सामग्री तथा अन्य अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क की शर्तों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु एक पात्र संस्था घोषित किया गया है। पात्रता की यह घोषणा बिहार सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन के आधार पर की गई है कि बिहार सरकार विकसित भूमि सहित भवन, उपस्कर, पुस्तकालय के लिये पुस्तकें, छात्रावास, कर्मचारियों के क्वार्टर्स के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करेगी, जिसकी कुल कीमत इसके कार्य करने के पहले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। विश्वविद्यालय जैसे ही अपने भवन तैयार करने तथा धारा 12-क के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति करने में समर्थ हो जायेगा, आयोग विकास सहायता उपलब्ध करने के लिये मिथिला विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

गोदावरी नदी के जल के बारे में समझौता

3148. **श्री बी० एन० रड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदावरी नदी के जल के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुए समझौते के फलस्वरूप प्रत्येक संबंधित राज्य को गोदावरी नदी तथा इसकी सहायक नदियों से कितने-कितने टी०एम०सी० जल आवंटित किया जाता है और उससे कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री, (श्री केदार नाथ सिंह) : 19 दिसम्बर, 1975 को हुए समझौते के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा को आबंटित पानी की मात्रा निम्न प्रकार है :--

(1) नई परियोजनाओं के लिए मंजीरा उपबेसिन में कर्नाटक 14.27 टी०एम०सी० तथा महाराष्ट्र 22 टी०एम०सी० जल का प्रयोग कर सकता है। आंध्र प्रदेश, सिंहूर परियोजना का 30 टी०एम०सी० की कुल क्षमता के साथ निर्माण कर सकता है और हैदराबाद शहर के पीने के पानी की पूर्ति के लिए 4 टी०एम०सी० जल ले सकता है।

(2) महाराष्ट्र मुख्य गोदावरी में से जयकवाड़ी और सिद्धेश्वर बांधों के प्रति-प्रवाह के सारे जल का प्रयोग कर सकता है।

(3) जयकवाड़ी, सिद्धेश्वर और निजामसागर बांधों का अनुप्रवाह और पोचम्पाद तक, महाराष्ट्र 60 टी०एम०सी० पानी का प्रयोग कर सकता है और शेष पानी का प्रयोग आंध्र प्रदेश कर सकता है।

(4) पोचम्पाद के अनुप्रवाह में गोदावरी जल का आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र प्रत्येक 300 टी०एम०सी० तथा उड़ीसा 200 टी०एम०सी० जल का प्रयोग कर सकता है।

इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस समझौते के परिणामस्वरूप कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होगी क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों ने अभी तक पानी के अपने हिस्से के प्रयोग के लिए स्कीमें तैयार नहीं की हैं।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विदेश गये समाज-वैज्ञानिक

3149. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फोर्ड फाउण्डेशन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू०एस० ए०आई०डी०), रोकफ़ैलर फ़ाउण्डेशन और कोलम्बो योजना की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने कितने भारतीय समाज-वैज्ञानिकों ने विदेशों का दौरा किया है; और

(ख) योजनाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत अनेक दौरों का क्या प्रयोजन था और वे किन एजेन्सियों द्वारा भेजे गये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही किसी भी संस्था द्वारा प्रायोजित समाज-वैज्ञानिक तथा जिन्होंने फ़ोर्ड प्रतिष्ठान, यूसेड, रोकफेलर प्रतिष्ठान और कोलम्बो योजना की वित्तीय सहायता से पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों का दौरा किया है, उनकी संख्या एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Non-payment of Sugarcane price by Sugar Mills in M.P.

3150. **Dr Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether certain sugar Mills of Madhya Pradesh notably Jaora Sugar Mills' Jaora and M/s Govind Ram Lodi Sugar Mills, Mahidpur have not yet paid the increased amount of dues in respect of the sugarcane purchased by them during the last crushing season ; and

(b) whether the price of the sugarcane purchased by the said mills is not being paid in time this year also inspite of the directives of Central Government and the orders of State Governments in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) All sugar factories in Madhya Pradesh, except Jaora, have paid most of the amount at rates agreed to in respect of the sugar cane purchased by them during the last crushing season. Revenue Recovery certificate has been issued against the factory at Jaora .

(b) During the current season, 70% of the cost of cane purchased has been paid to growers and steady payment is being ensured. Action by the State Government is under way to effect recovery of the dues at accepted rate from the 3 factories at Jaora, Mahidpur and Dalanda who are paying at rates lower than what was agreed to.

Kendriya Vidyalayas

†3152. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the locations of Kendriya Vidyalayas (Central Schools) in the country ;

(b) whether the children of common people can get admission there, besides the children of the Central Government employees ;

(c) if so, percentage thereof ; and

(d) number of such children in various such Vidyalayas at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) A Statement showing the location of the Kendriya Vidyalayas is attached [Placed in library. See No. L.T.—10763/76]

(b) to (d) The Kendriya Vidyaayas (Central Schools) are primarily intended to cater to the educational needs of the children of transferable Central Government employees including the defence personnel. If after accommodating the children of such transferable employees some seats remain vacant, the children of non-transferable Central Government employees and others are considered for admission. The number of children of other categories who are admitted to schools is, therefore, limited to a very small percentage.

The information regarding the exact number of such children studying is not readily available.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

3153. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में कुछ नये कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी हां।

(ख) 1. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी।

2. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली।

3. चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।

4. नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

5. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्यानी।

भूमि उर्वरा कर्मचारी

3154. **श्री के० मालन्ना : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण युवकों में से प्रारम्भिक भूमि उर्वरा कर्मचारी (प्राइमरी सोइल हैल्थ वर्कर्स) संवर्ग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गोआ में मिट्टी की उर्वरता की रक्षा के काम में स्वेच्छया लगे कार्य-कर्त्ताओं का एक कैडर (संवर्ग) तैयार करने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी अग्र प्रायोजना के अन्तर्गत एक तदर्थ योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के लिए 8.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो तीन वर्षों में खर्च किया जाएगा। इस योजना को निम्नलिखित 10 कृषि विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित किया जा रहा है :--

(1) विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय कल्यानी, पश्चिम बंगाल।

(2) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा।

(3) चन्द्रशेखर आज़ाद और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

(4) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार ।

(5) उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

(6) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

(7) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र।

(8) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (मदुराई केन्द्र)।

(9) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद गुजरात, (आनन्द केन्द्र)।

(10) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में रहने वाले और कृषि कार्य में लगे इन्टर साइंस या मैट्रीकुलेट लड़के/लड़कियों को उपर्युक्त 10 कृषि विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रति वर्ष 12 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मिट्टी की उर्वरता से संबंधित सभी पहलुओं जैसे मिट्टी की जांच और जल के गुणों का विश्लेषण, जैविक प्रदार्थों का पुनररुपयोग जिसमें मल और मिट्टी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों संबंधी प्रशिक्षण होगा। विश्वविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्रों में 12 सप्ताह के इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को जीवन-यापन के लिए 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद, प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से एक मिट्टी परीक्षण किट, जिसमें अभिकर्मक और मिट्टी का बरमा, नमूना एकत्र करने वाले उपकरण, नमूना लेने के लिए थैले और चार्ट आदि जैसे सहायक उपकरण मुफ्त दिये जायेंगे, ताकि वे अपने गांव लौटकर वहां मिट्टी उर्वरता की देखरेख के लिए केन्द्र की स्थापना कर सकें। आशा है कि इस तरह के प्रत्येक मिट्टी उर्वरता रक्षा केन्द्र के आस-पास के 10 गांवों के किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

पहले चरण में, पायलट प्रायोजन का कार्यक्रम 10 कृषि विश्वविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्रों में चलाया जाएगा और ऐसी आशा है कि मिट्टी उर्वरता के काम में स्वेच्छ या लगे 300 कार्यकर्त्ताओं को तैयार किया जा सकेगा। आशा है कि देश के 3 हजार गांवों के किसान उससे लाभान्वित होंगे। इस प्रस्तुत पायलट प्रायोजना से प्राप्त अनुभवों और नतीजों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के विस्तार पर विचार किया जाएगा।

राज्यों में गन्ने के भिन्न-भिन्न मूल्य

3155. **श्री मुरासोली मारन: क्या कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिन्न-भिन्न राज्यों में किसानों को गन्ने के भिन्न-भिन्न मूल्य दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में गन्ने के वर्तमान मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सभी राज्यों में मूल्यों में समानता लाने के लिए कोई ज्ञापन दिया गया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी हां।

(ख) 27 अप्रैल, 1976 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०- 107/64]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 'सैलक्शन ग्रेड" के पद

3156. **श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1971 में दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों के लिए सेलैक्शन ग्रेड, के पद बनाये गये थें;

(ख) क्या उस तिथि को स्थानापन्न सभी मुख्य अध्यापकों अथवा उसके पश्चात् पदोन्नत किये गये मुख्य अध्यापकों ने पहले पदोन्नत किये गये बड़ी संख्या में स्थाई मुख्य अध्यापकों से अधिक वेतन लेना आरम्भ कर दिया अथवा आरम्भ कर देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, प्रोफार्मा आधार पर सेलैक्शन ग्रेड मंजूर करने के सरकारी निर्णय के परिणामस्वरूप इस असमानता को दूर करने के प्रश्न की सरकार ने विस्तारपूर्वक जांच की थी किन्तु यह निर्णय लिया गया कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों तक इसकी प्रतीक्षा की जाए। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सेलैक्शन ग्रेडों के बारे में आदेश 4 मार्च, 1976 को जारी किए गए थे। उक्त असमानताओं को 1-1-1973 से दूर करने के प्रश्न की दिल्ली प्रशासन के परामर्श से, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी।

श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल

3157. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए कितने नये होस्टल खोले जा रहे हैं;

(ख) वर्तमान होस्टलों में खाने और रहने का शुल्क क्या है और नये होस्टलों में यह अनुमानतः कितना होगा; और

(ग) इन नये प्रस्तावों में गोहाटी और शिलांग जो, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1975-76 के दौरान 2 लाख से अधिक आबादी वाले 20 नगरों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए 25 नए होस्टल मंजूर किए गए हैं।

(ख) श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की भारत सरकार की योजना के अधीन स्वयंसेवी संगठन होस्टल में रहने वाली श्रमजीवी महिलाओ से उचित किराया वसूल कर सकते हैं जो एक पलंग के कमरों के लिए उनकी कुल आय के 10 प्रतिशत से और डोरमिटेरी के लिए 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। निवासियों को भोजन के लिए अलवत्ता अपने प्रबन्ध करने पड़ते हैं।

(ग) श्रमजीवी महिलाओं के लिए गोहाटी में पहले ही दो होस्टल मंजूर किए जा चुके हैं। शिलांग के लिए हमें अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Rural Drinking Water Supply Programme in M. P.

3158. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have agreed to transfer rural drinking water supply programme to the Central Government ; and

(b) if so, outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H. K. L. Bhagat) (a) & (b) No proposal was made to or received from the Government of Madhya Pradesh.

राज्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "नार्थ जोन" और "फूड जोन" का अधिकार क्षेत्र

3159. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ स्थानों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "नार्थ जोन" और "फूड जोन", दोनों का अधिकार क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं जो दोनों जोनों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं;

(ग) अधिकार क्षेत्र के परस्पर व्यापी होने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

हरियाणा तथा पंजाब जी, हां

राजस्थान जी, नहीं

(ख) **उत्तर प्रदेश**

कानपुर तथा इलाहाबाद

पंजाब

अमृतसर

(ग) खाद्य जोन को मूलतः खाद्यान्न गोदामों/मालगोदामों आदि के कार्यों की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था। इन कार्यों में अधिकांश कार्य पूरे हो गए हैं; लेखा बन्द करने और उनका निपटान करने तथा शेष बचे अवशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने के कार्य की देखभाल अभी भी खाद्य जोन द्वारा की जा रही है, यद्यपि, क्षेत्रीयत। तथा अन्य उत्तरी जोन कार्यों के लिए ये स्थान कार्यक्षेत्र के अन्दर आते हैं। भारतीय खाद्य निगम के कार्यों से संबंधित अवशिष्ट कार्यों तथा लेखों को उत्तरी जोन को अन्तरित करना प्रशासनिक तौर पर वांछनीय नहीं समझा गया है।

कृषि स्नातकों की आवश्यकता

3160. **श्री वसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कृषि संस्थानों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर विद्यार्थियों को शिक्षित करने की वर्तमान क्षमता क्या है तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या कृषि में प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या की वास्तविक आवश्यकता से अधिक हो जाने की संभावना नही है;

(ग) यदि हां, तो कृषि स्नातकों की आवश्यकता को युक्ति संगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) देश में, राज्यवार, बेरोज़गार स्नातकों की अनुमानित संख्या क्या है और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर कृषि संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश देने की 1973 तक की क्षमता का राज्यवार ब्यौरा 1974 में एकत्रित करके संलग्न किया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस क्षमता में विशेष कमी पड़ने की संभावना है।

(ख) कुछ राज्यों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो सकती है, यदि इसका निर्धारण केवल सरकारी नौकरियों के आधार पर ही किया जाये।

(ग) रोजगार के अवसरों के अनुसार ही संस्थानों में प्रवेश को नियमित करने की सलाह दी गयी है। विश्वविद्यालयों को मानव-शक्ति एवं रोजगार कक्ष स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(घ) देश में बेरोजगार स्नातकों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। कुछ विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा कृषि स्नातकों के लिए अपने-अपने निजी रोजगार चलाने की योजनाएं शुरू की गई हैं। जिनके लिए राष्ट्रीय बैंकों और कृषि साधन एजेंसियों से आर्थिक सहायता दिलायी जा रही है।

विवरण

प्रवेश क्षमता 1973 क आंकड़ें

राज्य	बी०एम०सी०	वी०वी० एस० सी०	एम०एम० सी०	एम०वी० एस० सी०
असम	80	60	32	34
आंध्र प्रदेश	400	110	104	50
बिहार	205	80	115	52
गुजरात	360	40	180	15
केरल	80	40	20	10
कर्नाटक	320	50	45	35
मध्य प्रदेश	354	70	140	30
तमिलनाडु	297	136	110	45
महाराष्ट्र	1790	179	256	44
उड़ीसा	144	48	88	30
पंजाब	395	40	137	17
हरियाणा	205	45	47	15
राजस्थान	155	60	140	54
उत्तर प्रदेश	3205	105	800	120
हिमाचल प्रदेश	55	—	60	—
जम्मू व कश्मीर	30	—	—	—
पश्चिम बंगाल	175	60	160	—
दिल्ली	—	—	55	—
योग	8250	1123	2489	551

नगरीय विकास की एकीकृत योजना

3161. **श्री वसन्त साठे :** क्या **क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय विकास की कोई एकीकृत योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता राज्यवार स्वीकृत की गई है और वास्तव में दी गई है और महाराष्ट्र को वर्ष 1975–76 में परियोजनावार कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) चालू वर्ष में महाराष्ट्र राज्य के लिए बजट में कितनी राशि रखी गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) महानगरों और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में एकीकृत नगरीय विकास के लिए ,केन्द्रीय योजना बनाई गई है और वर्ष 1974-75 से चालू है । योजना में एकीकृत नगरीय विकास परियोजनाओं के निष्पादन के लिये कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों और राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिये, केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है ।

(ख) 1975-76 में महाराष्ट्र को स्वीकृत की गई और दी गई वित्तीय सहायता 3.15 करोड़ रुपये थी । बम्बई महानगर क्षेत्र में एकीकृत नगरीय विकास परियोजनाओं के लिये पूर्ण राशि दे दी गई थी । परियोजनावार अलग अलग-ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(1) जलपूर्ति तथा मल-व्ययन	1.50 करोड़ रुपये
(2) सड़कें	0.40 करोड़ रुपये
(3) सिडको परियोजना	1.25 करोड़ रुपये

(ग) राज्यवार नियतन पहले नहीं किये जाते । सहायता प्रगति के मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत की जाती है और दी जाती है ।

क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए राज्यों को अनुदान

3162. **श्री समर गुह:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के बारे में 29 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 से 1975 के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन हेतु विभिन्न राज्यों को दिये गये बहुत अननुपातिक अनुदान के क्या कारण हैं ;

(ख) राज्यों द्वारा पाठ्य पुस्तकों के उतने ही अननुपातिक प्रकाशन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में विभिन्न राज्यों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है, और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या वर्ष 1973 से 1975 के बीच पश्चिमी बंगाल को किसी भी अथवा सभी राज्यों की तुलना में न्यूनतम अनुदान मिला है और सबसे कम पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुदान भाग लेने वाले राज्यों को उनकी आवश्यकताओं तथा कार्य को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं । आवश्यकताएं तथा कार्य और विभिन्न राज्यों में गठित पुस्तक निर्माण बोर्डों के प्रकाशनों की संख्या अधिकतर उन राज्यों, इन पुस्तकों के लेखकों तथा अनुवादकों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई पहल पर निर्भर करती है । योजना की प्रगति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से आवधिक रिपोर्टें मांगी जाती हैं और ये विभिन्न राज्यों में असमान उन्नति दर्शाती हैं, जिसके कारण पहले बताए जा चुके हैं ।

1973-74 तथा 1974-75 के दौरान विभिन्न राज्यों को दिए गए अनुदानों के आंकड़े माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित उत्तर में पहले ही भेजे जा चुके हैं । इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को अनुदान पहले की तरह से ही उनकी आवश्यकतानुसार दिए गए

हैं । 31 मार्च, 1976 तक 15.33 लाख रुपए के अनुदान राज्य सरकार को दिए जा चुके हैं, जबकि इस तारीख तक पश्चिम बंगाल पुस्तक बोर्ड द्वारा किया गया व्यय 13.09 लाख रुपए का है । अतः उस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के पुस्तक निर्माण कार्यक्रम को केन्द्रीय अनुदानों की कमी से कोई हानि नहीं हुई है । बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके प्रकाशनों की संख्या कम है क्योंकि इसने केवल मूल लेख को हाथ में लिया है ।

Central Aid for Milk plant in M.P.

3163. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Aggriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government have asked for any loan from the Centre for installation of milk plants and equipments for storing milk in the State and if so, the number of plants, place-wise for which the loan has been asked for ;

(b) whether Central Government have a scheme for setting up new liquid milk plants in Madhya Pradesh under the 'Operation Flood Programme' for extensive milk production; and

(c) whether Government have formulated any scheme for expansion of ice-creams, chocolate and other milk plants in the States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricultrue and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) Under Operation Flood, Phase II (Fifth Plan Scheme) there is a proposal for setting up/expansion of dairy plants and chilling centres in Madhya Pradesh at an estimated cost of Rs. 171.50 lakhs.

(c) No, Sir.

Repair of Religious and Historical Monuments in Madhya Pradesh

*3164. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal for the repair of ancient religious and historical monuments in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, time by which the work will be started ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b) Repairs to Centrally-protected monuments is a continuous process. These are undertaken according to the requirements of each monument. Repair work for the current year, have already been commenced in respect of a number of monuments..

पंजाब में वर्षा के कारण खाद्यान्नों की क्षति

3165. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में हाल ही में हुई वर्षा के कारण खाद्यान्नों की कितनी क्षति हुई है ;

(ख) प्रभावित राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या खाद्यान्न एकत्रित किये जाने के लक्ष्य प्राप्त किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं के बारे में राहत के संबंध में छटवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य को राहत के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रश्न की जांच की जाएगी।

(ग) वर्ष 1975-76 के खरीफ विपणन मौसम के लिये पंजाब में चावल का अधिप्राप्ति लक्ष्य 9 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है जो पहले ही इससे बढ़ गया है, क्योंकि 11.76 लाख मीटरी टन अधिप्राप्ति की जा चुकी है। गेहूं के लिये अधिप्राप्ति का कार्य जो हाल ही में ही शुरू किया गया है, वर्ष 1976-77 के विपणन मौसम के लिये इसका लक्ष्य 28 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है, परन्तु यह बताना अभी संभव नहीं है कि यह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

Central Warehousing Corporation Godown in Madhya Pradesh

3166. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation be** pleased **to** state :

(a) number of godowns built in Madhya Pradesh by the Central Warehousing Corporation ;

(b) whether this storage capacity is likely to match the bumper rabi crop expected ; and

(c) if so, storage capacity available in the State at present ?

The Minister of State in the Ministry of Agricلture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Central Warehousing Corporation has built warehouses at seven centres in Madhya Pradesh.

(b) The storage capacity available with all the public Sector agencies in Madhya Pradesh is adequate to meet the requirements of the procurement from the rabi crop in the State. However, efforts are being made to increase the storage capacity through various means such as building additional capacity, hiring through various sources, construction of CAP storage, etc., in order to provide space for stocks procured in other States and imported from abroad.

(c) The storage capacity (owned and hired) available with Food Corporation, Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporation in Madhya Pradesh is about 10 lakhs tonnes. Besides, the State Government has a capacity of about 81.000 tonnes.

खाद्यान्नों के मूल्य

3167. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं चावल और अन्य अनाजों तथा दूसरे कृषि उत्पादों के नवीनतम बाजार तथा निर्गम मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उन में अनुपातिक आधार पर समानता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खुले बाजार के मूल्यों का ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि ये मूल्य प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक दिन और एक ही राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होते हैं। ये मूल्य पूर्ति तथा मांग की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जहां तक केन्द्रीय पूल से दिये जाने वाले खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, भारत सरकार

अनाज की इक्नामिक लागत और अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय पूल से दिये जाने वाले खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य तय करती है । क्योंकि ये मूल्य देश भर के लिए समान हैं इसलिए इन्हें समान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

युवक संसद् की गतिविधियां

3168. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "युवक संसद" योजना के अन्तर्गत गतिविधियों में दिल्ली, नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर कोई प्रगति हुई है और उन्हें बिना किसी ढील के आगे ले जाया जाना है ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों सहित कौन-कौन से राज्य अपने क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित करने को सहमत हो गये हैं ; और

(ग) क्या योजना के कार्यान्वियन के लिए राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है अथवा दी जानी है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक चार राज्यों--आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और हरियाणा ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की योजना के नमूने पर अपने-अपने राज्यों में युवा संसद् प्रतियोगिता का आयोजन किया है । पंजाब, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, गोआ, दमन और दीव, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, नागालैण्ड और मणिपुर की राज्य सरकारें इस योजना को अपने-अपने राज्य में कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गयी हैं ।

(ग) इस योजना के कार्यान्वियन में वार्षिक प्रतियोगिता करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया गया वास्तविक खर्चा, 1000 रु० की सीमा के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

उर्वरकों के मूल्यों में कमी

3170. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों में कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या फास्फेट युक्त उर्वरकों के मूल्यों में कमी किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत आती है ; और

(घ) क्या मूल्यों में कमी के पश्चात् उर्वरकों के उठाने में कोई सुधार हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां

(ख) उर्वरकों की घटती हुई खपत को दृष्टि में रखते हुए कुछ प्रमुख आयातित उर्वरकों के मूल्य 16 मार्च, 1976 और 20 अप्रैल, 1976 से कम किये गए हैं । देशी निर्माताओं ने भी उनके

द्वारा उत्पादित उर्वरकों के मूल्य कम कर दिए हैं। नीचे की तालिका में उर्वरकों के संशोधन पूर्व के और वर्तमान मूल्य दिए गए हैं:—

रुपये प्रति मीटरी टन

उर्वरक का नाम	मूल्य		
	16-3-76 से पहले	वर्तमान मूल्य	कम किए गए मूल्य
यूरिया	1850	1750	100
म्यूरेट आफ पट्टा . .	1085	900	185
डाई अमोनियम फास्फेट (18.46.0)	2600	2210	390
अमोनियम नाइट्रो फास्फेट (24-24-0)	2650	2270	380
एन० पी० के० (15-15-15)	1645	1570	75
एन० पी० के० (17-17-17)	2425	1970	455

(ग) जी हां। किसानों को सप्लाई करने के लिए फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माताओं को पी 2ओ 5 के प्रति मीटरी टन पर 1250 रुपये की राज सहायता देने का निर्णय किया गया है।

(घ) चूंकि मार्च और अप्रैल, 1976 में अधिकांश मूल्य कम किए गए थे। और चूंकि इन महीनों में खपत भी कम होती है अतः अभी मूल्यों के कमी का ठीक-ठीक जायजा नहीं लिया जा सकता।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में कमी

3171. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का विचार है, ताकि अधिक से अधिक किसान उन्हें खरीद सके ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी किये जाने का प्रस्ताव है और किन रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में कमी की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) अभी हाल में अर्थात 20 अप्रैल, 1976 से कुछ मुख्य मिश्रित उर्वरकों के मूल्य कम किए गए हैं। कुछ प्रमुख आयातित उर्वरकों को 1-6-1974 को मौजूदा फुटकर मूल्य और 18-7-75, 1-12-75, 16-3-76 तथा 20-4-76 से कम किए गए मूल्य नीचे की सारणी में दिए गए हैं:--

रुपए प्रति मीटरी

उर्वरक का नाम	1-6-74 फुटकर मूल्य	18-7-75	1-12-75	16-3-76	20-4-76
		को कम किए गए मूल्य			
यूरिया	2000	150	..	100	..
पोटाश म्यूरियेट . .	1220	50	85	185	..
डाई-अमोनियम फास्फेट (18—46—0)	3005	200	205	..	390
अमोनियम नाइट्रेट फास्फेट (24-24-0)	3080	..	430	355	25
एन० पी० के० 15-15-15 . . .	1700	..	55	..	75
एन० पी० के० 17-17-17 . . .	2590	..	165	300	155

वर्ष 1975 और 1976 में चार बार कमी करने पर अब उनके मूल्य काफी कम हो गए हैं और ऐसे संकेत मिले हैं कि उर्वरकों की मांग बढ़ रही है। मूल्यों में जो नवीनतम कमी की गई है उसका प्रभाव केवल आगामी फसल मौसम तक रहेगा।

विवाहों अथवा अन्त्येष्ठि संस्कारों के समय अतिथियों की सीमा

3172. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाहों अथवा अन्त्येष्ठि संस्कारों के समय अतिथियों की संख्या में कमी केवल संघ राज्य क्षेत्र में ही की गई है अथवा सभी राज्यों में ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Pension to destitute, old and handicapped persons

3173. **Shri Chiranjib Jha**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have suggested to the State Government to consider the proposal for granting pension to destitute, old and handicapped persons;

(b) if so, the percentage of expenditure to be borne by the Central Government; and

(c) the number of State Governments which will be able to implement this proposal during 1976-77 and to what extent?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) The Government of India have not suggested to the State Governments to con-sider any proposal for granting pension to destitute, old and handicapped persons. It is, however, understood that some state Government for example Andhra Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and some Union Territory Administrations e. g. Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi and Mizoram are implementing schemes for grant of pen-sion to old and destitute persons out of their own resources.

शेरों की संख्या में वृद्धि

3175. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शेरों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उनकी संख्या में राज्य वार कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चने की उपज

3178. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चने की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपज बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) भारत में चने की प्रति हैक्टार उपज लगभग 600 कि० ग्रा० है जो कि चना उत्पादन करने वाले देशों जैसे कि इथोपिया, तंजानिया, ईरान, बर्मा, पाकिस्तान और स्पेन से अधिक है। यद्यपि, यह मोरक्को, मेक्सिको और टर्की से कुछ कम है। विभिन्न देशों में चने की उपज अनुबंध में दी गई है।

(ख) चना बरसाती परिस्थितियों में बोया जाता है। इन परिस्थितियों में उत्पादन कम और अनिश्चित होने के कारण किसान उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों को प्रयोग में लाने में हिचकिचाते हैं। सिंचित परिस्थितियों में फसल लाभकारी नहीं है जैसे गेहूं जोकि वैकल्पिक फसल है।

(ग) अनुसंधान से पता चला है कि चने की सुधरी हुई वर्तमान किस्मों की उपज फासफेट युक्त उर्वरकों के प्रयोग से, बनस्पति रक्षण उपायों को अपना कर और एक या दो सिंचाई के प्रयोग से बढ़ाई जा सकती है। चने सहित दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए चौथी योजना के अंतिम 2 वर्षों में दालों के विकास पर एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरम्भ की गई थी और पांचवीं योजना के दौरान भी जारी है। सुधरी हुई प्रक्रियाएं अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु इन फसलों पर प्रदर्शन करने के लिए, प्रजनक बीज और आधारी बीज में वृद्धि, साहाय्यकारी दर पर सुधरी किस्मों के बीज की सप्लाई, वनस्पति रक्षण रासायनिकों की लागत की 25 प्रतिशत और दालों की खेती में प्रयोग में लाने के लिए वनस्पति रक्षण उपस्कर (स्प्रेयर और डस्टर) की 50 प्रतिशत लागत की राज सहायता देने के लिए योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है।

विवरण

विश्व के चना उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण देशों में चने (चिकमटर) की प्रति हैक्टर औसत उपज

देश	उपज प्रति हैक्टार (कि० ग्राम में)		
	1972	1973	1974
1	2	3	4
1. इथोपिया	655	641	643
2. मोरक्को	645	938	1000
3. तंजानिया	310	263	263
4. मेक्सिको	765	1077	1061
5. भारत	642	651	528
6. ईरान	500	550	600

1	2	3	4
7. बर्मा	509	510	512
8. पाकिस्तान	529	543	550
9. टर्की	1028	995	1022
10. स्पेन	595	573	586
11. विश्व औसत	635	653	562

अपर वर्धा सिंचाई परियोजना का मंजूर किया जाना

3179. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपर वर्धा सिंचाई परियोजना की शीघ्र मंजूरी दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और 24 जनवरी, 1976 को पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त परियोजना पर शीघ्र मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) 39.88 करोड़ रुपये की लागत की अपर वर्धा परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत दी जा चुकी है। इस परियोजना से महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के थाना ग्राम के निकट वर्धा नदी पर मिट्टी के बांध का निर्माण और इस बांध के दक्षिण तट से 141 मिलीमीटर लम्बी मुख्य नहर निकालना परिकल्पित है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इस परियोजना से अमरावती जिले में प्रति वर्ष 75980 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी।

संयुक्त खेती

3180. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संयुक्त खेती प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

3181. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कितनी राशि को सहायता दी गई और वर्ष 1976-77 में कितनी राशि देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : वर्ष 1975-76 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को 176.16 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता बंटित की गई थी। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को 388.78 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता सुलभ किए जाने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालयों द्वारा तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की स्वीकृति

3182. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया है, किन विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है और किन विश्वविद्यालयों ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) उन विश्वविद्यालयों को क्या विशेष सहायता दी जाती है जो तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लेते हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश, जहां 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद दो वर्ष का पाठ्यक्रम था, तथा बम्बई विश्वविद्यालय को छोड़कर, सभी राज्यों में विश्वविद्यालयों ने 11+3 की पद्धति स्वीकार की है। बाद में, कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने दो-वर्षीय इन्टरमीडिएट/पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रम भी अपना लिया, जिसके बाद दो-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार तथा असम के विश्वविद्यालयों के अलावा सभी अन्य विश्वविद्यालयों, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, बम्बई विश्वविद्यालयों तथा उड़ीसा के बहरामपुर और उत्कल विश्वविद्यालयों में तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम है।

30 सितम्बर, 1975 से 1 अक्तूबर, 1975 तक हुए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि 10+2+3 की पद्धति के अन्तर्गत नए स्मृद्ध तीन-वर्षीय प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को शैक्षिक वर्ष 1979-80 से अथवा इसके लगभग शुरू किया जाना चाहिए।

कुलपतियों के सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की है कि 10+2+3 की पद्धति को अपनाने वाले विश्वविद्यालयों, विशेषकर उन विश्वविद्यालयों को जिनमें इस समय दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम है, वित्तीय सहायता देना आवश्यक होगा। सम्मेलन की सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। तथापि, अधिकांश राज्यों ने पद्धति को स्वीकार कर लिया है।

खिलाड़ियों/कलाकारों आदि को सहायता

3183. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एथलीटों, खिलाड़ियों, गायकों, नर्तकों तथा अन्य कलाकारों को सहायता तथा संरक्षण देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) शिक्षा और संस्कृति विभाग एथलोटों, पुरुष और महिला खिलाड़ियों तथा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं।

खेल प्रतिभा अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, उत्कृष्ट छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 400 राष्ट्रीय स्तर की तथा 800 राज्य स्तर की क्रमश: 50 रुपये तथा 25 रुपये प्रतिमास राशि की छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेलकूद संगठन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/कालेजों के लिए 100 रुपये प्रतिमास की प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं।

पुरुष और महिला खिलाड़ियों के खेल को सुधारने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसलिए अच्छे प्रशिक्षक तैयार करने तथा एथलीटों, पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की स्थापना की गई है और इसने, अब तक 13 विभिन्न खेलों के 3000 प्रशिक्षक तैयार किए हैं।

उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने हेतु उन्हें प्रत्येक वर्ष अर्जुन पुरस्कार से विभूषित किया जाता है। बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

ग्रामीण पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को प्रतियोगिता की सुविधाएं देने हेतु, खंड जिला तथा राज्य स्तरों पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाता हैं। ऐसा अनुमान है कि 1975-76 वर्ष में इन खेलों में लगभग 7 लाख एथलीटों ने भाग लिया था।

विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली में नवम्बर, 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में 25 राज्यों/संघ क्षेत्रों की 1700 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

शारीरिक कुशलता के महत्व पर जोर देने हेतु शारीरिक कुशलता में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रतियोगिता के आधार पर दिए जाते हैं, जो हिस्सा लेने वालों को अपनी शारीरिक कुशलता की परख के लिए मंच प्रदान करती है।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तथा महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीमों के रूप में अथवा उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा जाता है।

कलाकारों को अपने कार्यकलापों के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले युवा कलाकारों को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने की योजनाएं भी चल रही हैं। 20—28 वर्ष आयु वर्ग के युवक कलाकारों को 300 रुपए प्रतिमास की राशि की लगभग 50 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, तथा 10–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 600 रुपए प्रतिवर्ष की 100 अन्य छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदर्शन, साहित्य तथा प्लास्टिक कला के क्षेत्रों में श्रेष्ठ कलाकारों को शिक्षा वृत्ति देने की एक योजना हाल ही में शुरू की गई है। योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ शिक्षा वृत्ति एक हजार रुपए प्रतिमास की राशि की तथा कनिष्ठ शिक्षा वृत्ति 500 रुपए प्रतिमास की राशि की है।

साहित्य और कला के ऐसे विख्यात व्यक्तियों को 200 रुपए प्रति मास तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है जो विपन्नावस्था में है ।

व्यावसायिक नृत्य, नाटक तथा थियेटर मंडलियों को आर्थिक सहायता देने की एक योजना भी चल रही है, जिसके द्वारा इस प्रकार की मंडलियां कलाकारों को स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकें ।

सरकार, कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को पूरी तरह से महसूस करती है, जिससे हमारी जनता का सांस्कृतिक जीवन समृद्धशाली बन सके । तीनों अकादमियों, अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, ललितकला अकादमी तथा साहित्य अकादमी की स्थापना इसी उद्देश्य को सामने रखकर की गई थी । यह अकादमियां कलात्मक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे रही हैं, कलाकारों को फेलों के रूप में सम्मान दे रही है, प्रदर्शनियां आयोजित कर रही है, प्रकाशन निकाल रही हैं, प्रदर्शन का मंचन कर रही हैं तथा रचनात्मक कलाकारों को सामान्य रूप से प्रोत्साहन दे रही हैं ।

सामूहिक आवास सहकारी समितियां

3184. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सामूहिक आवास सहकारी समितियां के नाम क्या है जो पंजीकृत हुई हैं तथा जिन्होंने अपने सदस्यों को दिल्ली में आवासीय प्लाटों का नियतन किए जाने के लिए आवेदनपत्र दिए हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किन-किन तिथियों को मांग पंजीकृत की गई ;

(ग) उनमें से किन-किन समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित भूमि दी गई तथा प्रत्येक को किन-किन तिथियों को भूमि दी गई ;

(घ) शेष समितियों को कब तक भूमि दी जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या इन समितियों को ऐसे क्षेत्रों में भूमि का आबंटन करने के लिए तरजीह दी जाएगी जिनमें अध्यापकों अथवा सरकारी कर्मचारियों जैसे अधिकांश सदस्य रहते हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) कोआपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा, संलग्न अनुलग्नक 'I' में दी गई [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-10765/76] 160 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को उनके सदस्यों को भूमि के आवंटन के लिए अब तक पंजीकृत किया गया है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी पंजीकृत कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से भूमि के आवंटन के लिए जुलाई, 1973 में आवेदन आमंत्रित किए तथा सोसाइटियों को रजिस्टार कोआपरेटिव सोसाइटीज से उनके पंजीकृत होने और बयानों की रकम जमा करवाने की तारीख के अनुसार भूमि आवंटित की । दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसी सोसाइटियां की कोई मांगे दर्ज नहीं करता ।

(ग) अनुलग्नक 'II' [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10765/76] में दी गई 19 सोसाइटियों को भूमि का कब्जा दिया गया था । जिसे तारीख को कब्जा दिया गया था, वह भी प्रत्येक के सामने लिखी हुई है ।

(घ) सभी सोसाइटियों को भूमि दे दी जाएंगी जैसे ही वे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर देंगी ।

(ङ) इस समय भूमि केवल पश्चिमपुरी, प्रीतमपुरा, बोडेला तथा यमुना पार क्षेत्र में दी जा रही है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

जर्मन जन-वादी गणतंत्र द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना

3185. **श्री शशि भूषण : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जर्मन जनवादी गणतंत्र द्वारा प्रतिवर्ष भारत की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं,

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार जर्मन जनवादी गणराज्य के छात्रवृति सम्बन्धी प्रस्ताव का पूर्ण उपयोग करती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख) और (ग) भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, जर्मन जनवादी गणतंत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव विद्याओं में उत्तर स्नातक अध्ययन के लिए 10 छात्रवृत्तियां और खेल क्षेत्रों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 से 6 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। भारत सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है और इन छात्रवृत्तियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नामजद करती है । सरकार इन छात्रवृत्तियों का पूर्ण उपयोग करने के प्रति जागरूक है । तथापि, सिफारिश किए गए सभी उम्मीदवारों को प्रदान करने वाली सरकार द्वारा कभी-कभी अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है, कभी-कभी अन्तिम रूप से अनुमोदित कुछ उम्मीदवार छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं उठा पाते हैं और-कभी कभी विधिवत रूप से योग्यता प्राप्त पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार भी नामजदगी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं ।

केन्द्रीय युवा सलाहकार बोड के कृत्य

3186. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री रानेन सेन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय युवा सलाहकार बोर्ड के क्या कृत्य हैं तथा उसका कार्य कहां तक प्रभावी है ;

(ख) इस बोर्ड के सदस्यों के तथा गैर सरकारी सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या इस बोर्ड में किसी युवा संगठनों के प्रतिनिधि हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय युवक सलाहकार बोर्ड नामक कोई संस्था नहीं है। तथापि जुलाई 70 में एक राष्ट्रीय युवक सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया था, जिसने दिसम्बर, 1970 में कुछ सिफारिशें की थी । उक्त

बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, सरकार ने नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया। केन्द्रों की राज्य तथा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू युवक केन्द्रों की संगठनात्मक पद्धति सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में अनियमितताएं

3187, **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली अनएडेड स्कूल टीचर्स एसोसियेशन के सदस्यों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1973 के दिल्ली स्कूल अधिनियम के लागू होने के बाद भी दिल्ली के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में अभी तक अनियमितताएं जारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और दोषी स्कूलों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी हां। इनकी जांच की जा रही है।

राज्यों द्वारा घोषित मूल्य पर गेहूं की वसूली

3188. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी के रूप में वसूली के लिए राज्य एजेंसियों को बेचे जा रहे किसानों के उत्पाद पर उन्हें प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य देने का राज्यों का दायित्व है जैसा कि 25 मार्च, 1976 को मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया था;

(ख) क्या वसूली मूल्य की घोषणा के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट की प्रवृति पर काबू पा लिया गया है; और

(ग) गेहूं के वसूली-मूल्य की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के मूल्यों में मौजूदा गिरावट का रुख मुख्यतया सप्लाई स्थिति सुगम होने और रबी की भरपूर फसल होने की आशा के कारण आया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अभिप्राप्ति मूल्यों/ के समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी करें और खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्यांक कम से कम इस स्तर पर स्थिर होने की आशा है।

(ग) गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य की घोषणा रबी फसलों की कटाई शुरू होने से पूर्व कर दी गई है।

तामलुक स्थित ताम्र लिप्त संग्रहालय और अनुसंधान केन्द्र

3189. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक स्थान पर ताम्रलिप्त संग्रहालय और अनुसंधान केन्द्र का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा 17 दिसम्बर, 1975 को किया गया था;

(ख) यदि हां, तो संग्रहालय में प्रदर्शित **प्राचीन** कला वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त की गई थीं;

(ग) क्या केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग के अधिकारियों ने तामलुक को यात्रा की थी और आगे खुदाई कार्य करने के प्रबंध किये थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शित वस्तुएं भूपृष्ठीय संग्रहों की बताई गयी हैं।

(ग) और (घ) इस स्थल की खुदाई 1974-75 में पूर्वी मंडल के अधीक्षक पुरातत्वविद् के द्वारा कराई गयी थी। 1975 में संयुक्त महानिदेशक ने इस स्थल का निरीक्षण भी किया और आगे की खुदाई पर्याप्त आशाजनक नहीं समझी गयी।

केरल में मुर्गी पालन और सुअर पालन के लिए केन्द्रीय सहायता

3190. **श्री बरके जार्ज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए मुर्गीपालन और सुअर पालन आदि आरम्भ करने हेतु केन्द्र से प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी राशि की मांग की गई है तथा उक्त योजना के तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में कन्नोर और त्रिवेन्द्रम (मुर्गी पालन) के जिलों में तथा एरनाकुलम जिले (सुअर) को भी पूरा करते हुए त्रिचूर के जिलों में आरम्भ किए जाने वाले सुअर उत्पादन कार्यक्रम के लिए 6 लाख रु० और मुर्गी उत्पादन कार्यक्रम के लिए 53.74 लाख रु० के परिव्यय का सुझाव रखा है। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में मुर्गी कार्यक्रम के अन्तर्गत 8000 परिवारों के और सुअर उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 परिवारों को सहायता पहुंचाने का विचार है।

चुने हुए जिलों के सघन सुसंहत क्षेत्रों में प्रजनन, स्वास्थ्य, पालन-पोषण, उत्पाद के अधिप्राप्ति और विपणन के लिए सुअर और मुर्गी उत्पादन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ये कार्यक्रम राज सहायता एवं ऋण पर आधारित हैं।

अभिज्ञात लाभानुभोगियों में छोटे किसानों को उत्पादन एककों की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत की दर से और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को 33-1/3 प्रतिशत की दर से राज सहायता दी जाएगी। इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऋणों की व्यवस्था संस्थागत स्रोतों से की जाएगी।

भिक्षावृत्ति

3191. **श्री रामसहाय पाण्डे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिक्षावृत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री श्ररविन्द नेताम) : (क) दिल्ली, ग्रेटर बम्बई, मद्रास जैसे कुछ नगरों में सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जिन की रिपोर्टें सरकार ने देखी है ।

(ख) इन रिपोर्टों के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के समाज कल्याण क्षेत्र की समाज-रक्षा योजनाओं के अधीन भिक्षावृत्ति-निरोधी कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए थे ।

श्रौद्योगिक उपयोग में श्राने वाली चीनी पर उत्पादन-शुल्क समाप्त कराना

3192. **श्री राम सहाय पाण्ड :** क्या **कृषि श्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन ने श्रौद्योगिक उपयोग में आने वाली चीनी पर लगाये गए उत्पादन-शुल्क को समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; श्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय चीनी मिल एसोनियेशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुश्रा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालेज श्राफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज श्राफ वोकेशनल स्टडीज (व्यावसायिक अध्ययन कालेज) दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन अनेक पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया है जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए आरम्भ में विचार किया गया था;

(ख) क्या उसके पास कक्षायें चलाने के लिए कोई उपयुक्त भवन नही हैं श्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1972 में कालेज खुलने पर अनेक व्यावसायीकृत पाठ्यक्रमों को लागू करने की परिकल्पना की थी लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के प्रयोगात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुये जिसे पहली बार लागू किया जा रहा था, विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया कि केवल ऐसे ही व्यावसायीकृत पाठ्यक्रम लागू किये जाने चाहिये जिनकी व्यवस्था आसानी से की जा सके श्रौर जिनके लिये प्रयोगशाला की सुविधायें आवश्यक न हों। तदनुसार, कालेज अपने कला स्नातक (पास) (बी० ए०) पाठ्यक्रम में पर्यटन, पुस्तक प्रकाशन, कार्यालय प्रबन्ध, सचिवालयीय सहायता, स्टोर-किपींग श्रौर भंडार लेखा प्रणाली, फुटकर बिक्री श्रौर व्यापार तथा बीमा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है ।

(ख) श्रौर (ग) प्रारम्भ में कालेज तिमारपुर में सत्यवती कालेज के भवन में स्थित था लेकिन बाद में नवम्बर, 1972 में इसे डाक्टर लेन नई दिल्ली में एक किराये के मकान में ले जाया गया जहां यह अभी तक भी चल रहा है । अपना स्थाई भवन निर्माण के लिये इसने अब 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली है । इस कालेज तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ अन्य कालेजों के लिये, स्थायी भवनों के लिये धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है ।

छात्रों को होस्टलों में पाठ्य-पुस्तकों तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3194. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रों को होस्टलों में पाठ्य-पुस्तकों तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने की योजना के लिए विभिन्न राज्यों को, राज्यवार, कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था; और

(ख) क्या इस धन का बहुत कम उपयोग किया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, राज्य को छात्रावासों और अनुमोदित रिहायशी भवनों में छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें और आवश्यक वस्तुएं मुहैया करने के लिए कोई वित्तीय विनिधान नहीं करता। तथापि, पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण करने, अभ्यास पुस्तिकाएँ तैयार करने तथा परीक्षाओं के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को-तीन तीन महीनों में शैक्षिक क्षेत्र के लिए निर्धारित सफेद मुद्रण कागज का नियमित आबंटन किया जाता है । जून, 1974 से मार्च, 1976 तक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 2.06 लाख मीटरी टन कागज आबंटित किये गये, जिसमें से 31 मार्च, 1976 तक लगभग 1.75 लाख मीटरी टन कागज उठाया गया । कालेजों में पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है। ये पुस्तक बैंक छात्रावासों में रहने वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के उपयोग के लिए होते हैं ।

कालेज प्राध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशनें करना

3195. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि देश के अधिकांश भागों में कालेज प्राध्यापक कालेज के बाहर प्राइवेट ट्यूशन द्वारा समान्तर कक्षायें चलाते हैं;

(ख) क्या इससे इन संस्थाओं में प्राध्यापकों के न्यायोचित कर्तव्य की उपेक्षा होती है; और

(ग) यदि हां, तो सेवा कर रहे प्राध्यापकों को इस प्रकार के कार्य से रोकने के लिए सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमान परिशोधित करने की योजना में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय अपने अध्यापकों के लिये एक आचरण संहिता तैयार करेंगे । यह परिकल्पना की गई है कि आचरण संहिता तैयार करते समय विश्वविद्यालय इसमें ऐसी आवश्यक व्यवस्था कर देंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन करके अपने अध्यापन के न्यायोचित कर्त्तव्य की उपेक्षा नहीं करते । यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा उन अध्यापकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जो इस आचरण संहिता के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करेंगे।

गावों में स्थित डिग्री कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वितरित राशि

3196. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1974-75 के दौरान देश के गांवों में स्थित डिग्री कालेजों को कितनी राशि वितरित की; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नगरीय क्षेत्रों के ऐसे ही कालेजों को 1975-76 में कितनी राशि वितरित की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांवों में स्थित डिग्री कालेजों को 1974-75 के दौरान 48,25,332.45 रुपये का भुगतान किया ।

(ख) शहरी क्षेत्रों में स्थित डिग्री कालेजों को आयोग द्वारा 1975-76 में 1,58,56,436.92 रुपये का भुगतान किया गया । ये अस्थाई आंकड़े हैं क्योंकि 1975-76 वर्ष के लिए आयोग के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है

बिहार में भूमिगत जल संसाधन

3197. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई प्रयोजनों के लिये बिहार में कुल कितने भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) इसमें से कितने जल का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) इस राज्य में वर्ष 1976-77 के दौरान सिंचाई प्रयोजनों के लिये भूमिगत जल का उपयोग करने की योजना क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना बिहार राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फसलों को क्षति

3198. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको बचाव जलमार्ग के अभाव में गंडक नहर (तिरहुत) के जल के विशेषकर वर्षा-ऋतु में बह निकल जाने के कारण होने वाले विध्वंस की जानकारी है;

(ख) क्या उन्हें मुजफ्फरपुर जिले के सदर वेस्ट-सबडिवीजन के क्षेत्रों में जल-निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में बाढ़ के कारण फसल को होने वाली क्षति की जानकारी है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से](ग) सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Organisation to supervise major irrigation schemes

3199. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state whether Central Government have constituted an organisation within Central Water Commission which has arrangements for supervising major irrigation schemes as also furnishing information and making assessment in regard to those schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : Yes, Sir. A Monitoring Directorate has been created in the Central Water Commission for the purpose indicated. Additional Staff at higher level is being posted.

मत्स्य नौकाओं का कार्य क्षेत्र

3200. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको से आयात की जा रही मत्स्य नौकाओं को पूर्वी समुद्र तट पर चलाया जायेगा अथवा पश्चिमी समुद्र तट पर या दोनों ही समुद्र तटों पर चलाया जायेगा; और

(ख) इस समय कितनी मत्स्य नौकायें चल रही हैं और उनका कार्यकरण कैसा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) ये नौकाएं पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर चलायी जायेंगी।

(ख) इस समय 17.5 मीटर और इससे अधिक लम्बाई की लगभग 38 वाणिज्यिक नौकायें और केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए 34 नौकायें चलाई जा रही हैं। सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल की जा रही नौकाओं के कार्य निष्पादन का रिकार्ड सामान्य रूप से संतोषजनक है। जहां तक वाणिज्यिक नौकाओं के कार्य निष्पादन का सम्बंध है जोकि आमतौर पर देश में एक नया क्रियाकलाप है, कई कम्पनियों ने इन नौकाओं के चलाने में अपेक्षित स्तर की दक्षता पहले ही प्राप्त कर ली है जबकि अन्य कम्पनियां अनुभव प्राप्त कर रही हैं।

पशपालन के लिय डेनिश अनुदान

3201. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारत को पशुपालन के विकास के लिए 176 लाख रुपये का अनुदान देगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारतीय डेरी निगम (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) को 5 सांड केन्द्रों और 3 वीर्य बैंकों की स्थापना के लिए 125 लाख क्रोनर्स (176 लाख रुपए) तक की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

इसके अलावा डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी पशुपालन कार्यक्रमों में भी भारत को सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 1975-76 से भारतीय डेरी निगम और लोक विकास (भारत) के कार्यक्रमों सहित नए पशु पालन कार्यक्रमों के लिए 1128 लाख डेनिश क्रोनर्स (1658.1 लाख रु०) अस्थायी

रूप से आबंटित किए गए हैं । भविष्य में पशु पालन कार्यक्रमों के लिए पहले से दिए गए अनुदानों और अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए आबंटनों को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10766/76]**

डेरी उद्योग समूह से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे जाने वाले दूध का खरीद-मूल्य

3202. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना ने डेरी उद्योग समूह से दूध की खरीद का क्या मूल्य निश्चित किया है ;

(ख) क्या सरकार उस मूल्य का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय संभवतः कब ले लिया जाएगा ?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) शहर में रखे गए मवेशियों को हटाने से दिल्ली में बनी डेरियों से खरीदे जाने वाले दूध के बारे में दिल्ली दुग्ध योजना ने शुरू में 6.5 प्रतिशत चिकनाई और 9 प्रतिशत एस० एन० एफ० युक्त भैंस के दूध के लिए 200 रुपये प्रति क्विटल अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किया था । इसे इस शर्त पर संशोधित करके 205 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया था कि इन डेरियों के सप्लायर दिल्ली दुग्ध योजना को वर्ष भर दूध सप्लाई करने के लिए करार करेंगे। अधिप्राप्ति मूल्य से ऊपर 2 रुपये प्रति क्विटल की और बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है । ऐसा इसलिए किया गया है कि अलग-अलग सप्लायरों के दूध की परीक्षण सम्बंधी सेवा, इन सप्लायरों का लेखा रखने और उनकी अपनी लागत पर समूह बनाकर बड़ी संख्या में बिलों को दर्ज करने के लिए उन्हें मुआवज़ा दिया जा सके । मवेशियों की इन कालोनियों से भैंस के दूध का संशोधित खरीद मूल्य 17 अप्रैल, 1976 से 207 रुपये प्रति क्विटल है ।

समाजवादी देशों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों/डिप्लोमा को भारत सरकार द्वारा मान्यता

3203. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाजवादी देशों द्वारा इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाने वाली कौन सी डिग्रियों/डिप्लोमा को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी डिग्रियों/डिप्लोमा को मान्यता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) समाजवादी देशों द्वारा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाने वाली उन डिग्रियों/डिप्लोमाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(ख) जी हां ।

विवरण

1. इंजीनियरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समाजवादी देशों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों/डिप्लोमाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता।

1. हंगरी :

इंजीनियरी तथा तकनीकी विषयों में हंगरी की तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त "कैन्डीडेट आफ साइंस" डिग्री को भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पी० एच० डी० डिग्रियों के बराबर मान्यता दी जाती है।

2. पोलैंड :

इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में वारसा पोलिटैक्निक, पोलैंड द्वारा प्रदान की जाने वाली मास्टर आफ इंजीनियरिंग डिग्री।

3. सोवियत रूस :

सोवियत रूस में विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी डिग्रियों/डिप्लोमाओं को निम्न प्रकार मान्यता दी जाती है।

सोवियत रूस द्वारा प्रदत्त	मान्यता की किस्म
(क) पूर्ण डिप्लोमा (शोध निबन्ध परियोजना कार्य आदि को छोड़कर)	उपयुक्त विषयों में भारतीय विश्वविद्यालयों की इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री के बराबर
(ख) "कैन्डीडेट आफ साइंस" की डिग्रियां	उपयुक्त विषयों में भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पी० एच० डी० डिग्रियों के बराबर।

4. बल्गारिया जनगण राज्य :

(i) बल्गारिया जनगण राज्य में विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में पूरी की गई उच्च शिक्षा में प्रदत्त डिप्लोमा को भारत के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं की स्नातक डिग्री के समकक्ष उपयुक्त विषयों में मान्यता दी जाती है।

(ii) बल्गारिया जनगण राज्य में विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिक में प्रदत्त "कैन्डीडेट आफ साइंस" वैज्ञानिक डिग्री को भारत में भिश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं की पी० एच० डी० डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जाती है।

(iii) बल्गारिया जनगण राज्य में विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी तथा प्रौद्योधिकी में प्रदत्त "डाक्टर आफ साइंस" वैज्ञानिक डिग्री को भारत में विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं की 'डाक्टर आफ साइंस' डिग्री के बराबर मान्यता दी जाती है।

5. चेकोस्लोविकिया समाजवादी गणराज्य :

(i) चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य में इंजीनियरी तथा प्रौद्योधिकी के क्षेत्र में राजकीय अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रदत्त राजकीय डिप्लोमा को भारत में विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा तदनुरूपी क्षेत्रों में प्रदत्त स्नातक डिग्री के बराबर मान्यता दी जाती है।

(ii) चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त "कैन्डीडेट आफ साइंस" की डिग्री को भारत में

विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त पी० एच० डी० डिग्री के बराबर उपयुक्त क्षेत्र में मान्यता दी जाती है ।

(iii) चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी तथा प्रौद्योधिकी में प्रदत्त 'डाक्टर आफ साइंस' की डिग्री को भारत में विश्वविद्यालयों तथा उच्च अध्ययन की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त 'डाक्टर आफ साइंस' की डिग्री के बराबर उपयुक्त क्षेत्र में मान्यता दी जाती है ।

6. जर्मन जनवादी गणतंत्र

(क) जर्मन जनवादी गणतंत्र में समान स्तरों वाले विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान की गयी विज्ञान की शाखा का डिप्लोमा" (डिप्लोमा ऐनेस विस्सेन्सचेफसवैंग्स) नामक शैक्षिक डिग्री को भारत में समान स्तर वाले विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर संस्थाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में स्नातक डिग्री के समतुल्य मान्यता प्रदान की गयी हैं ।

(ख) जर्मन जनवादी गणतंत्र में समान स्तरों वाले विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में "विज्ञान शाखा की डाक्टर" (डाक्टर ऐनेस विस्सेंस चेपटसवैंग्स प्रोमोशन-ए) की शैक्षिक डिग्री को भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर संस्थाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रदान की गयी पी० एच० डी० डिग्री के समतुल्य माना गया है ।

(ग) जर्मन जनवादी गणतंत्र के समान स्तर वाले विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर संस्थाओं द्वारा "विज्ञान का डाक्टर" (डाक्टर डेर विस्से संचेफटेन प्रोमोशन-बी) की शैक्षिक डिग्री को भारत में समान स्तर वाले विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर संस्थाओं द्वारा "विज्ञान का डाक्टर" की डिग्री के समतुल्य माना गया है ।

(ii). भारतीय मेडिकल परिषद् अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग II में यथा उल्लिखित भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाजवादी देशों से चिकित्सा के क्षेत्र में जारी की गयी डिग्रियां/डिप्लोमे

(1) एम० डी० (बर्लिन)।

(2) एम० डी० (रायल हागेरियन यूनिवर्सिटी आफ साईन्सिस आफ पीटर पा जमनी बुडापेस्ट, हंगरी)।

(3) जनरल फिजिशियन (पैट्रिक लमूम्बा फ्रेन्डशिप यूनिवर्सिटी, मास्को)

(4) एम० डी० (लेयपजिन)

(5) सोवियत रूस की मेडिकल विज्ञान अकादमी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा चिकित्सा में प्रदान किये गये चिकित्सा विज्ञान (सोवियत रूस) का उम्मीदवार

6. हंगरी चिकित्सा विज्ञान अकादमी बुडापैस्ट द्वारा मेडिसन शाखा प्लास्टिक सर्जरी (हंगरी) में (दर्शन शास्त्र का डाक्टर) विज्ञान के उम्मीदवार ।

7. जनरल फिजिशियन (मास्को मेडिकल संस्थान, प्रथम तथा द्वितीय, मास्को)

टिप्पणी :--उपरोक्त विदेशी मेडिकल योग्यताओं को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब कि वे मात्र भारतीय राष्ट्रिकों के पास हों बशर्ते कि उन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण आदि की आवश्यकताएं पूरी कर ली हों ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात शिक्षा उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1976

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात शिक्षा उपकर (संशोधन) अधिनियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9) जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सख्या एल० टी०-10756/76]**

हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड,
शिमला का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-10757/76]**

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेख

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 23 की धारा की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखें गये । देखिए संख्या एल० टी०-10758/76]**

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा भारतीय टैरिफ
अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :--

(एक) अधिसूचना सख्या 76-सीमा शुल्क [सा० सां० नि० 321 (ङ)] 77-सीमा शुल्क [सा० सां० नि० 332 (ङ)] और 78-मीमा शुल्क [सा० सां० नि० 323 (ङ)] जो दिनांक 3 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

10 LSS/76—6

(दो) अधिसूचना संख्या 79-सीमा शुल्क [सा० सां० नि० 324 (ङ)] जो दिनांक 3 मई 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-10760/76]**

(2) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 314 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-10759/76]**

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 27वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दिये जाने की सिफारिश की है:--

(1) श्रीमती शकुन्तला नायर

(2) श्री टी० एम० लक्ष्मणन

(3) श्री पी० ए० स्वामीनाथन

(4) श्री विश्वनाथ झुन झुन वाला

(5) श्री महादीपक सिंह शाक्य

(6) श्रीमती गायत्री देवी

(7) श्री सी० चित्तिबाबू

(8) श्री मधु दण्डवते

(9) श्री श्यामनन्दन मिश्र

(10) श्री मुरासोली मारन

(11) श्री समर गुह

(12) श्री आर० एन० गोयंका

(13) श्री जगन्नाथराव जोशी

क्या सभा, जैसी समिति ने सिफारिश की है, अनुमति देती है ?

कुछ सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय खान विद्यालय, धनबाद की महापरिषद्

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के नियमों तथा विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) और 15 के उपबंधों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबधों के अध्यधीन भारतीय खान विद्यालय धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के नियमों तथा विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) और 15 के उपबधों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबधों के अध्यधीन भारतीय खान विद्यालय धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मागें, 1976-77—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—contd.

वाणिज्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी । इस मंत्रालय के लिए समय 3 घटे 50 मिनट रह गया है ।

निर्माण, और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): उप-मंत्री 1 बजे वक्तव्य देंगे । मंत्री महोदय को 3 बजे बुलाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुरुगनन्तम ।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय साम्यवादी दल की ओर से वाणिज्य मन्त्रालय की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की मांगों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

* Summarised translated version leased on English translation of the speech delivered in Tamil.

वर्ष 1975-76 में 1974-75 की तुलना में हमारे निर्यात में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1972-73 से 1974-75 की अवधि की तुलना में शतप्रतिशत अधिक है। किन्तु इस वृद्धि से हमें संतोष नहीं करना चाहिए बल्कि निर्यात की इस स्थिति को बनाये रखने के लिए निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है वहां आयात भी बढ़ा है। 1975-76 में आयात में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस कारण 1975-76 के दौरान 1400 करोड़ रुपये का व्यापार में अन्तर होने का अनुमान है। यदि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था का अधिक तेजी से विकास करना है तो निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

सरकार ने 1976-77 के लिए आयात नीति की घोषणा की है। 1976-77 के लिए आयात नीति में आयतकों को इस आशा में अनेक छूट दी गई हैं कि इनसे हमारे निर्यातकों को प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन मुझे भय है कि एकाधिकार प्राप्त उद्योगपति इन रियायतों का पूर्णतः शोषण करेंगे। इससे आयात में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप हमारे शोधन संतुलन की स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। 1966 में भी हमने ऐसा ही किया था और साथ ही रुपये का अवमुल्यन भी किया था किन्तु उसका अच्छा परिणाम नहीं रहा। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसी ही स्थिति फिर न आये।

1975-76 में हमारा निर्यात 2690 करोड़ रुपये का था। इसमें से 752 करोड़ रुपये का निर्यात सरकारी क्षेत्र में था। इस प्रकार 73 प्रतिशत निर्यात व्यापार निजी क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र के अनाचारों से सभी पूर्णत. अवगत हैं। सभी जानते हैं कि निजी क्षेत्र में कम मूल्य और अधिक मूल्य के बीजक बनते हैं जिससे चोर,बाजारी होती है और काला धन बढ़ता है। इसीलिए हमारे दल ने बार-बार संपूर्ण आयात और निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने के लिए कहा है।

1975-76 में काजू की गिरी का निर्यात 20 प्रतिशत खली का 32 प्रतिशत, समुद्री उत्पादों का 64 प्रतिशत, जूट की बनी वस्तुओं का 27 प्रतिशत हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 15 प्रतिशत घटा है। काजू की गिरी का निर्यात घटने का कारण क्या है? हमें आवश्यकता पड़ने पर अपना निर्यात स्तर बनाये रखने के लिए अन्य काजू उत्पादक देशों से काजू की गिरी का आयात करने में संकोच नहीं करना चाहिए। देश में कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। केरल काजू निगम ने सुझाव दिया है कि अण्डमान द्वीपसमुह में काजू की खेती की जानी चाहिए। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना है। वाणिज्य मंत्रालय को यह कह कर कि यह कृषि मंत्रालय का कार्य है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। चूंकि काजू से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है अतः कृषि मंत्रालय को इस परि-योजना को लेने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी बल्कि वर्ष भर रोज़गार भी उपलब्ध किया जा सकेगा।

चीन और श्री लंका के साथ भारी स्पर्धा के कारण नारियल जटा उत्पादों के निर्यात को बहुत हानि हुई है। हमें अपने नारियल जटा के उत्पादों के लिए अब नई मण्डियों की तलाश करनी चाहिए।

बंगाल की खाड़ी में अत्याधिक स्वादिष्ट मछलियां मिलती ह। परन्तु यह समझ में नहीं आता है क्यों हमारे समुद्री उत्पादों का निर्यात घटा है।

जूट के उत्पादन में भी गिरावट आई है क्योंकि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध किया है कि कच्चे जूट के आधार मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए।

जूट निगम को जूट उत्पादकों से सीधा कच्चा जूट खरीदना चाहिए । ये सब कदम शीघ्र उठाये जाने चाहिए ताकि जूट उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य मिलें । मेरी मांग है कि जूट मिलों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

हथकरघा उद्योग में 30 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं । आर्थिक कार्यक्रम में भी हथकरघा बुनकरों की समस्या के समाधान पर जोर दिया गया है । हथकरघा उद्योग के बारे में श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में अध्ययन दल ने अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । मंत्री महोदय सदन को बतायें कि उन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा । विदेशों में हथकरघा वस्तुओं की बड़ी मांग है । हथकरघा कपड़े में नये डिजाइन बनाये जाने चाहिए। हथकरघा विकास आयुक्त के शाखा कार्यालय उन राज्यों में खोले जाने चाहिएं जहां हथकरघों का संकेन्द्रण है । सभी हथकरघा उत्पादन केन्द्रों में डिजाइन केन्द्र भी स्थापित किये जाने चाहिएं ।

1974-75 में 14.4 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ था जबकि 1975-76 में यह घटकर 13.8 करोड़ किलोग्राम रह गया है । चाय के निर्यात में होने वाली गिरावट के क्या कारण हैं और इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

तमिलनाडु में चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुओं का बहुत अधिक निर्यात किया जाता है । इस समय तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग में भारी संकट है । कहा जाता है कि तमिलनाडु में राज्य व्यापार निगम द्वारा चमड़ा विकास निधि के अन्तर्गत एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी । यह कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए ।

भारतीय रुई निगम को उत्पादकों से सीधी खरीद करनी चाहिए और मिलों को रुई लाभप्रद मूल्यों पर देनी चाहिए । रुई निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को सूत और कपड़ा उचित मूल्य पर मिले ।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य गिरा है । प्राकृतिक रबड़ का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं । बहुराष्ट्रीय एकाधिकार प्राप्त टायर विनिर्माता कंपनियां अधिक प्राकृतिक रबड़ की खपत नहीं करती हैं । वे अधिकाधिक कृत्रिम रबड़ आयात कर रही हैं । कृत्रिम रबड़ का आयात घटाया जाना चाहिए और इन कम्पनियों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाये कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिले ।

सरकार को तमिलनाडु के कावेरी मिल और बालजाबाद मिल अपने हाथ में ले लेने चाहिए । देश में बन्द पड़े सभी सूती कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

मुझे एक अजीब स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना है । पश्चिम यूरोपीय देशों से आयात बढ़ रहे हैं जबकि पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात धीरे-धीरे घट रहे हैं, इसका क्या कारण है ।

हम दक्षिण भारत में उत्पादित तम्बाकू चाय, काफी, इलायची, काजू आदि के निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग 350 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं । विदेशी मुद्रा की इस आय का कुछ भाग इनके उत्पादन पर भी लगाया जाना चाहिए ।

मेरे विचार से सभी निर्यात संवर्द्धन परिषदें जिनमें मुख्यत: गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपति शामिल हैं सरकार के लिए सफेद हाथी बनी हुई हैं । वास्तव में व्यापार विकास प्राधिकरण, प्रदर्शनी निदेशालय

आदि सरकारी संस्थाओं को शक्ति सम्पन्न बनाया जाना चाहिए और ये निर्यात संवर्द्धन परिषदें बन्द भी की जा सकती हैं।

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुद्री) : इस वर्ष जो आयात-निर्यात संबंधी नीति अपनाई गई वह अत्युत्तम है जिसके लिए मैं मंत्री महोदय तथा उनके मंत्रालय को बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्ष में भी आयात-निर्यात नीति सफल सिद्ध होगी।

मंत्रालय हथकरधा उद्योग को जिस तरह प्रोत्साहित कर रहा है वह सराहनीय है। इस वर्ष यह जो घोषणा की गई है कि रंगीन साड़ियों और बार्डरवाली साड़ियों का उत्पादन मिलों से लेकर हथकरधा क्षेत्र को दे दिया जायेगा, उससे चिरइच्छित उद्देश्य की पूर्ति हुई है। हथकरधा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें लाखों बुनकर नियोजित हैं। इस नीति से उनको अपनी जीविका कमाने का अच्छा अवसर मिलेगा, परन्तु मेरा एक अनुरोध यह है कि इस नीति का कठोरता के साथ पालन कराया जाये। इस तरह हथकरधा क्षेत्र निश्चय ही इतना अच्छा कपड़ा तैयार कर सकेगा कि उसके निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

कपड़ा उद्योग विशेषकर 'कपड़ा मिलें' और 'सूत मिलें' इस समय संकट में हैं क्योंकि रुई की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कीमत में हो रही इस वृद्धि का लाभ कपास-उत्पादक के बजाय कपास-बिचौलियों को हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि सस्ता कपड़ा और सस्ता धागा उपलब्ध कराया जाये, तो हमें रुई के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसके कारण उत्पादक को कोई हानि न रहे।

यदि विशेष किस्मों की रुई देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और बिचौलिये अधिक मूल्य बताते हैं तो हमें आंख बन्द कर आयात नीति का पालन करने के बजाये इन किस्मों की रुई का आयात करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उचित संतुलन बना रहे और बुनकरों को सस्ता धागा प्राप्त हो तथा आम जनता को सस्ता कपड़ा उपलब्ध हो।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : Sir, please let me congratulate the hon. Minister, and the Deputy Minister for the increased industrial production and for the courage and wisdom shown by them in adopting an import policy which will perhaps encourage the small industries and will help in the industrial growth in the country.

The hon. Minister has taken a right step by deciding that the mills of the National Textile Corporation will not produce the Controlled cloth and the production of sarees and dhoties will be in the handloom sector. This decision will prove helpful to the sick mills. It is also a very good decision that the cloth produced by 103 mills will be sold in rural areas by the students whose guarantee will be given by their professors and principals. This will help not only in solving the unemployment problem but also in increased cloth consumption. It is a good method to bridge the gap between rural and urban areas, and to eliminate the middlemen.

But there are certain matters which require thorough study by the hon. Minister. First of all, the textile, jute and tea industries have played a great role in earning foreign exchange but now there is a declining trend in production, exports and foreign exchange earnings by these industries. We have to see why the textile production is not going up in spite of the increase in spindles and looms in textile mills. It has also resulted in diminishing employment. We can not check this because the modernisation will progessively reduce the employment in the industry. I think that the textile production is going down due to the obsolete textile machinery and old layouts of the mills.

There is not a single country in the world where we may find less than 75 per cent automatic looms, but in India only 17 per cent of looms are automatic. The per spindle production in other countries is 10 ounces whereas in India it is only 3 ounces even after the take over and nationalisation of textile mills. How can our country compete with other countries in international market in such circumstances. Only the renovation of machinery will not help us in remedying the situation. We will have to adopt modernisation of the textile machinery. There is no doubt that textile machinery is being manufactured indigenously and there is no Complaint about its quality. But we will have to increase its production capacity keeping in view the number of spindles and looms which we envisage to increase and replace in a year.

The textile industry is completely in the red. Except a few mills, all mills are suffering a loss of thirty paise to one rupee per meter. The prices of different variaties of textile cloth have gone up in spite of the decrease in cost of raw material. It is due to overall increase in the total cost of production. The textile mills earned huge profits during the years 1972, 1973 and 1974 but they did not reinvest that profit in the industry. But now when the cotton prices are going up they are show a great resistance over it.

There is great mismanagement in the textile industry. I found in Indore that one Manager of the National Textile Corporation sold a certain variety of cloth at Rs. 2.60 per meter whereas its rate was Rs. 3.14 per meter. There is another case of a mill which was taken over in 1973 but the payment of wages and provident fund amounting to Rs. 18 crores has not so far been cleared. In another mill, the government have appointed their own Managing Director. He got the bales of first quality textile opened and marked with the prices of second quality cloth and he intends to sell that cloth to any of his relatives at such lower rates. The Government have appointed corrupt and inefficient managers in the nationalised mills.

We have been urging for elimination of go slow tactics, increased production and more employment opportunities. But why such employers as are an instrument of decreased productions are not being detained under Misa.

As I have already stated, the mills being run the National Textile Corporation obtain the controlled cloth from other mills and allow a Commission of one paise per meter to the agents but there are cases where many mills have paid double amount of commission. These 103 nationalised mills are running into loss, not because the workers are insincere. Therefore the dishonest persons should be removed from service at once.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं मंत्री महोदय का ध्यान देश में कपड़ा और पटसन उद्योग में नियोजित श्रमिकों की शोचनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। खर्दा पटसन मिल बहुत पहले से बन्द पड़ी है और वहां के श्रमिक इधर-उधर भटक रहे हैं। सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया था परन्तु इस बीच मिल के मालिक कलकत्ता उच्च न्यायारलय में चले गये जिस से उसे अपने अधिकार में लेने की सरकार की योजना खटाई में पड़ गई। सरकारी वकील ने कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों को बताया है कि यदि सरकार भारत रक्षा नियम अधिनियम की धारा 18क के अन्तर्गत न्यायालय से प्रार्थना करे, तो न्यायालय इस मामले को शीघ्र निपटा देगा। मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करें और देखें कि क्या उक्त उपबंध के अन्तर्गत न्यायालय से कुछ कहा जा सकता है जिससे वे इस मामले को जल्दी निपटा दें। क्योंकि इसमें जितनी जल्दी की जायेगी, उतनी जल्दी सरकार इसे अपने अधिकार में ले सकेगी और श्रमिकों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने कानपुर की सुविख्यात लक्ष्मी रत्तन काटन मिल्स और एथर्टन वैस्ट मिल्स लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है। इस उद्देश्य के लिये संगत अधिनियम में शीघ्र संशोधन करना चाहिए जिससे और विलम्ब न हो। लगभग

10,000 श्रमिकों की दशा शोचनीय है क्योंकि अब खाने तक के लिये उनके पास कुछ नहीं है । इनके अतिरिक्त यदि कोई और भी मिलें बन्द पड़ी हैं, तो उन्हे भी सरकार अपने अधिकार में ले ले । चाहे इसमें सरकार को कितनी भी हानि क्यों न हो ।

यह कहा गया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को, जिसके अधीन 103 मिलें हैं, हानि हो रही है । यह झूठा प्रचार इसलिये किया जा रहा है ताकि यह मिलें उनके मालिकों को वापस मिल जायें ! यह ठीक है कि कुछ मिलों को घाटा हो रहा है परन्तु उनकी स्थिति में पहले से सुधार हुआ है । कुछ मिलों को तो इसके प्रतिकूल मुनाफा भी हो रहा है । जिन मिलों की दशा अब भी खराब है उनमें प्रबन्धकों को बदलना चाहिये । एक विशेषज्ञ आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस बात का पता लगा सके कि इन मिलों को घाटा क्यों हो रहा है । जहां तक श्रमिकों का संबंध है, उनकी ओर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं क्योंकि पुराने मिल मालिकों ने पहले उनका खूब शोषण किया था ।

तमिलनाडु में कावेरी कपड़ा मिल को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया गया था । परन्तु तमिलनाडु सरकार इसका प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। परन्तु अब तो वहां डी० एम० के० सरकार नहीं रही । अब स्थिति यह है कि श्रमिकों की दशा बहुत खराब हो गई है । यहां तक कि वे भूखे मर रहे हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मिल का प्रबन्ध सरकार शीघ्र अपने हाथ में ले ले ।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय विदेशों में मंडियों और सून की सप्लाई के बारे में स्थिति पर तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कार्यप्रणाली में सुधार करने के बारे में प्रकाश डालेंगे ।

श्री आलोक जैन को एक कपड़ा मिल, कानपुर में एक पटसन का कारखाना, पश्चिमी बंगाल में प्लाई वुड का कारखाना और सवाई माधोपुर में एक सीमेंट का कारखाना चलाने के लिये 5 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं । वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह यह रकम गुलाब के फूलों और फिल्मी कलाकारों पर ही न खर्च कर दें ।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : वाणिज्य मंत्रालय ने इस देश की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है । पिछले 20 वर्षों में इस मंत्रालय का कार्य संतोषजनक रहा है । कपास निगम की स्थापना किसानों की सहायता के लिये की गई थी । परन्तु यह निगम भूल गया है कि उसका क्या लक्ष्य है । जब कीमतें लागत से भी कम हो जाती हैं, तब यह निगम का कर्त्तव्य है कि वह खुले बाजार में कपास खरीदे जिससे किसानों को कोई हानि न हो । परन्तु इसमें निगम बिल्कुल असफल रहा है । पिछले वर्ष कपास के मूल्य बहुत ही अधिक गिर गये थे तब इस निगम ने कपास खरीदने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि उसके पास धन नहीं है । अन्ततः हमारे किसानों को हानि हुई । अतः यह आवश्यक है कि जब मूल्य लागत से नीचे गिरने लगें, तो यह निगम कपास स्वयं खरीद ले । इसके लिये उसे अधिक धन दिया जाये जिससे वह अपने प्रयोजन को पूरा कर सके ।

इस वर्ष कपास के दामों में कुछ तेज़ी आई है । यद्यपि तेज़ी इतनी अधिक नहीं है तथापि लगभग 300 मिलमालिकों ने कहना आरम्भ कर दिया है कि कपास के दाम बहुत ही अधिक बढ़ गये हैं । मुझे आशा है मंत्री महोदय उनके दबाव में नहीं आयेंगे और किसानों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे । विदेशों में कपास के मूल्यों में जहां 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है वहां इस देश में केवल 15 से 20 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है । फिर भी मिलमालिकों ने मांग की है कि कुछ कपास का आयात किया जाये । यदि

कपास का आयात किया गया, तो कीमतें और गिर जायेंगी और इसके फलस्वरूप किसानों को हानि होगी । अतः सरकार को मिल मालिकों के झांसे में नहीं आना चाहिये क्योंकि इस समय कपास की जो कीमतें हैं वे बहुत ही उचित हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । इतना जरूर है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम और भारतीय कपास निगम के बीच घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम भारतीय कपास निगम और गुजरात में सहकारी समितियों की बजाये गैर-सरकारी व्यापारियों से कपड़ा क्यों खरीदता है । उसे गैर-सरकारी व्यापारियों से कपड़ा तभी खरीदना चाहिये जब वह भारतीय कपास निगम और सहकारी समितियों के पास उपलब्ध न हो ।

राज्य व्यापार निगम भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । 1973-74 में 270 करोड़ रुपये के माल का निर्यात और 215 करोड़ रुपये के माल का आयात किया जबकि 1974-75 में ये आंकड़े क्रमशः 556 करोड़ रुपये और 232 करोड़ रुपये थे । 1975-76 में 756 करोड़ रुपये के माल का निर्यात और 211 करोड़ रुपये के माल का आयात किया । ये आंकड़े इस बात के परिचायक हैं कि राज्य व्यापार निगम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the chair.]

इसका श्रेय इस निगम के अध्यक्ष, श्री विनोद पारिख और उनके साथियों को है जिनकी सूझबूझ के कारण यह सब हुआ है ।

इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों तथा सरकार के बीच विचारों के इस विनिमय से सरकार को लाभ होता है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्तावों तथा विचारों का समर्थन किया है ।

जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम का सम्बन्ध है, वहां अभी भी गड़बड़ी है । किन्तु हाल के महीनों में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । यह एक ठोस तथ्य है कि वर्ष 1975-76 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लगभग 60 करोड़ रुपये की हानि हुई होगी । राष्ट्रीय कपड़ा निगम को मार्च, 1975 में मासिक हानि 7.5 करोड़ रुपये हुई और इस वर्ष के अन्त तक 3.5 करोड़ रुपये की होगी । यह भी ठोस तथ्य है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा तकवों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया गया है । कपड़ा उद्योग का यह क्षेत्र अपनी खराब स्थिति और खराब साख के बावजूद अपना उत्पादन विदेशों में बेचकर 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमायेगा साथ ही इसके खर्च में भी 5.5 प्रतिशत की कमी होगी और निगम के कपड़े की किस्म में भी सुधार हो रहा है ।

महोदय, हम इस बात का भी दावा नहीं करते हैं कि यह प्रगति हमारे प्रयत्नों के कारण हुई है । इसमें बाजार की शक्तियों का भी अंशदान है । इसमें सस्ती रुई की उपलब्धता, नियंत्रित कपड़े का दायित्व समाप्त हो जाने आदि से स्थिति में सुधार हुआ है । यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 10 प्रतिशत मशीनें खराब हालत में हैं तथा 20 प्रतिशत मशीनें उत्पादन के निम्नतम

स्तर पर हैं और इसके 10 प्रतिशत श्रमिक फालतू हैं अर्थात् वृद्ध हैं । साथ ही इसकी चालू पूंजी में कटौती की गई है क्योंकि बैंकों से 62 करोड़ रुपये मिलने थे जब कि उन्होंने इसमें 23 करोड़ रुपये की कटौती की है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण हो रहा है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 175 करोड़ रुपये की आवश्यकता में से हम केवल छठे भाग की ही पूर्ति कर पाये हैं ।

सरकारी क्षेत्र से की जाने वाली खरीदों के बारे में उल्लेख किया गया है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिल अभी तक गैर-सरकारी क्षेत्र की सप्लाई पर निर्भर करते हैं । इन लोगों ने कपड़े की किस्म और कभी-कभी तो मूल्य के सम्बन्ध में आंतक मचाया है । इसी कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र से खरीद की जायेगी और एक वर्ष में ही इसका प्रभाव पड़ा है ।

यह सच है कि समूचे देश में फैले अनेक एककों का कारगर प्रबन्ध और नियंत्रण अत्यंत सुव्यवस्थित और आधुनिक सूचना तंत्र के बिना नहीं हो सकता है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सूचना का एक बहुत ही आधुनिक तरीका ढूंढ़ निकाला है जिसके द्वारा वह विभिन्न कारखानों के कार्य और मूल्य-विश्लेषण पर नजर रख सकता है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सरकारी क्षेत्र से रंगों तथा रसायन जैसी वस्तुओं की खरीद का केन्द्रीयकरण किया है । उत्पादकों से सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया है और भारी खरीद पर रियायत प्राप्त की है । इससे लागत कम हुई है ।

जो श्रमिक सेवानिवृत्त होने की अवस्था को पहुंच गये हैं उनके लिए गत वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इस वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । श्रमिकों की भविष्यनिधि आदि के भुगतान के बारे में मुआवजा आयुक्त नियुक्त किया गया है । वह राष्ट्रीयकरण पूर्व तथा उसके बाद के दावों की जांच करेगा । राष्ट्रीयकरण के बाद की सभी बकाया रकमों का भुगतान किया जा चुका है ।

जहां तक आधुनिकीकरण की योजनाओं का सम्बन्ध है राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने लगभग 57 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं । विद्युत उत्पादन सेटों के लिए 4.30 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है क्योंकि बिजली कट जाने का हमें बड़ा बुरा अनुभव है जिसका राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है । लगभग 23 करोड़ रुपये की मशीनें पहले ही पहुंच चुकी हैं और 14.57 करोड़ रुपये की मशीनों के आर्डर दिये गये हैं ।

कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में बड़ी प्रगति हुई है । उपभोक्ताओं की सेवा करने के साथ-साथ कुछ सीमा तक हम थोक व्यापारियों के पंजे से छुटकारा पा सकें हैं । अब हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अपने उत्पादों को बेच सकते हैं ।

यह सही है कि जब तक प्रशासनिक तंत्र को सुधारा नहीं जाता, तब तक अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं । राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भ्रष्टाचार अथवा उपेक्षा को सहन नहीं किया जायेगा । जो अच्छा काम नहीं कर सकते उनके लिए निगम में कोई स्थान नहीं है ।

श्री एस एम० बनर्जी ने जो मजदूरों का सहयोग देने के लिए कहा है उसका स्वागत है । हमने सभी प्रतिष्ठानों में द्विपक्षीय निकाय स्थापित किये हैं । हमें विश्वास है कि इस सहयोग से राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्य का विश्लेषण करते समय हमें इस मूल बात को नहीं भूलना चाहिये कि यह कपड़ा उद्योग का एक अंग है । कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकृत क्षेत्र भी इस उद्योग में विद्यमान बुराइयों से अछूता नहीं है । यदि कपड़ा उद्योग पर कोई कठिनाई आती है तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर भी उसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपनी हानि को 50 प्रतिशत तक घटाने में सफल हुआ है और उद्योग के औसत के बराबर तकुओं का उपयोग किये जाना सम्भव हुआ है । मैं समझता हूं कि अब निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है । आशा है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम संकट से बाहर निकल आयेगा ।

श्री वयालार रवि ने काजू उद्योग की समस्याओं का उल्लेख किया है । देशी तथा आयात किये गये काजू कि कुल मात्रा 2.10 लाख टन है । अतः स्थापित क्षमता का पचास प्रतिशत काजू उपलब्ध है अर्थात् इस उद्योग को केवल छः महीने तक चलाने के लिए काजू उपलब्ध है ।

काजू के आयात पर हाल की कुछ घटनाओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अब 170,000 मीटरी टन की अपेक्षा प्रति वर्ष केवल 140,000 टन ही उपलब्ध होता है । सम्भवतः पूर्व अफ्रीका के देशों ने अपने ही उत्पादक एकक स्थापित कर दिये हैं और स्वयं ही परिष्करण आरम्भ कर दिया है । साथ ही चीन भी बाजार में आ गया है । अतः इस सारी समस्या का समाधान देश में उत्पादन बढ़ाने से ही हो सकता है । इस समय दो विकल्प हैं एक तो यह कि हम अधिक क्षेत्र में काजू के पेड़ लगाये या वर्तमान पेड़ों की उपज बढ़ाएं । शायद दोनों ही आवश्यक हैं । केरल प्लान्टेशन्स कारपोरेशन ने काजू उगाने के लिए भूमि का चुनाव कर लिया है । सी० सी० आई० भी अपने संसाधनों के अन्तर्गत नए बाग लगाने के लिए ऋण देने को तैयार हो गया है । आने वाले समय में हम काजू की खेती में पर्याप्ति उन्नति कर सकेंगे ।

श्री होरो ने कल लाख के सम्बन्ध में बात उठाई थी । जहाँ तक लाख का सम्बन्ध है इसकी मांग विश्व में बड़ी सीमित है और थाइलैंड तथा भारत में अधिक उत्पादन होने पर उसका मूल्य गिरना अनिवार्य है। साथ ही इसके स्थान पर धागे का भी प्रयोग किया जाने लगा है । लाख की कीमत घटा कर आधे करने के बाद भी हम लाख की बिक्री नहीं बढ़ा सके हैं ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरीडीह) : यह कैसे हो सकता है कि थाइलैंड की प्रतियोगिता के कारण हम बाजार पर प्रभुत्व पुनः नहीं जमा सके । लाख की कीमत गिर जाने से आदिवासी क्षेत्रों में लाख के पेड़ काट दिये जायेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे हाथ से बाजार के निकल जाने का कारण मुख्य संश्लिष्ट पदार्थों का प्रयोग होना है । उदाहरण के लिए ग्रामफोन के रिकार्ड अब संश्लिष्ट उत्पादों से बनाये जा रहे हैं । गत वर्ष लाख की कीमत में गिरावट आई किन्तु इतनी नहीं आई जितनी माननीय सदस्य ने बताई है यह 20 रुपये प्रति किलो ग्राम तक गई है । 1973-74 का वर्ष बड़ा ही असाधारण वर्ष रहा है भारत तथा थाइलैंड दोनों देशों में पैदावार कम हुई, फिर तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण संश्लिष्ट उत्पाद अलाभकर रहे । उसके बाद लाख की कीमत गिरी और राज्य व्यापार निगम को इसका व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया । राज्य व्यापार निगम केवल सीड लाख की वसूली कर सका जिसे निगम ने 3 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से खरीदा । किन्तु इस कीमत पर भी हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच सकते हैं । अतः चपड़ा का वास्तविक मूल्य जिस पर हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में बेच सकते हैं वह नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । वास्तव में हम चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़े और उत्पादकों को अधिक मिले । इस सम्बन्ध में दो बातें हो सकती हैं । सभी निर्यातकों से कहा गया है कि 40 प्रतिशत सीड लाख राज्य व्यापार निगम के स्टाक से खरीदें । साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल के 33,500 टन के उत्पादन का 50 प्रतिशत राज्य व्यापार निगम खरीदेगा । मेरे विचार से इन उपायों से उत्पादकों को उचित मूल्य मिलेगा ।

रबड़ के बारे में श्री रवि ने जोर-दार शब्दों में कहा है । यह एक सराहनीय बात है कि अब हम रबड़ के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो गये हैं । इस वर्ष टायर उद्योग और-रबड़ उद्योग की कुल खरीद कम रही है और उन्हें उत्पादों को बाजार में बेचने में कठिनाई हो रही है जिससे उनके पास स्टॉक जमा हो गया है दूसरी कठिनाई यह हो गई है कि जो अधिशेष है वह उत्पादकों, व्यापारियों और निर्माताओं में बांटा नहीं गया है । इससे उत्पादकों के स्तर पर गम्भीर समस्या पैदा हो गई है क्योंकि रबड़ नष्ट होने वाली वस्तु है अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य व्यापार निगम रबड़ खरीदे और निर्यात करे ।

रबड़ के निर्यात में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत भारतीय कीमत से अधिक है । जैसा कि मैं जानता हूं अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय कीमतों से कम हैं अर्थात् रबड़ की बिक्री से हानि होगी । इस समस्या को एक समाधान रबड़ का मूल्य लम्बे समय के लिए निर्धारित कर देना है । सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि क्या तरीका अपनाया जाये ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात का भी उल्लेख किया गया है । मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष समुद्री उत्पादों के निर्यात में हमने सर्वोच्च रिकार्ड स्थापित किया है । हमने 105 करोड़ रुपये के अपने लक्ष्य से भी अधिक का निर्यात किया जो कि 124 करोड़ रुपये का रहा है इसके निर्यात में और वृद्धि करने के लिए कुछ आवश्यक उपाय किये गये हैं । हाल ही में कोचीन में 1000 मी० टन का शीतागार भण्डार बनाया गया है । कलकत्ता में 5000 मी० टन की क्षमता का एक और शीतगार स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

समुद्री उत्पादों की किस्म सुधारने के लिए, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयें, एक निरीक्षण योजना बनाई गई हैं । मेक्सिको से 30 जलपोत तथा नार्वे से 2 सर्वेक्षण जहाज आयात किये गये हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सहायता से समुद्री उत्पादों के विषाक्त भाग के सम्बन्ध में अनुसंधान किये जाने का प्रश्न उठाया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना को 21 अप्रैल, 1976 को स्वीकृति दे दी गई है और उसके लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा ।

कॉफी के सम्बन्ध में इस वर्ष हमने फिर कॉफी का रिकार्ड निर्यात किया जो 64 करोड़ रुपये का है । यह सही है कि संसार की कॉफी की उपज में हमारा भाग 2 प्रतिशत है परन्तु विश्व के निर्यात में हमारा भाग बढ़ रहा है नवम्बर, 1975 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते के अन्तर्गत कॉफी के निर्यात का कोटा निश्चित किया जायेगा । इस सम्बन्ध में दो विकल्प हैं । कोई देश या तो 1968—72 का निष्पादित के आधार पर अथवा कॉफी समझौते के लागू होने के दो वर्ष बाद अपना कोटा निर्धारित करा सकता है । यह 1 अक्तूबर, 1976 से लागू होगा । ये दो वर्ष हमारे लिए कोटा निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

इलायची का रिकार्ड निर्यात हुआ है । यह 18.24 करोड़ रुपये का रहा है । यह भाग और मूल्य के आधार पर अब तक का सबसे अधिक रहा है ।

इस वर्ष तम्बाकू के निर्यात से सबसे अधिक आय हुई है। यह 85.3 करोड़ रुपये की रही है जो अब तक की सबसे अधिक आय है। तम्बाकू में सबसे अच्छी बात तम्बाकू बोर्ड के बनने की रही। तम्बाकू बोर्ड 1 जनवरी, 1976 को बना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादकों को उचित मूल्य मिले। इसके लिए मंच बनाये जा रहे हैं। आशा है इस दिशा में प्रगति होगी।

हस्तकला के उद्योग में कालीन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। 40 करोड़ रुपए के कालीन का उत्पादन हुआ तथा इसके 90 प्रतिशत का निर्यात किया गया। कालीन बनाने वालों को अधिक आधार प्रदान करने के लिये देश में विद्यमान वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त इस वर्ष 120 केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : क्या ये हाथ से चलने वाले या मशीन से चलने वाले होंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हाथ से चलने वाले।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : क्या राज्य इसके लिए तैयार हो गये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह एक केन्द्रीय योजना है।

श्री नटवर लाल पटल (मेहसाना) रुई की बढ़ती हुई कीमतों की क्या स्थिति है और उसका मिल मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है.................... (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहे यह काफी, काजू, इलायची अथवा समुद्री उत्पादों के सम्बन्ध में हो ये वस्तुएं लाखों लोगों के परिश्रम से पैदा की जाती है। ये वे लोग हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निर्वाह स्तर पर हैं। इन लोगों से जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है वह शुद्ध बचत है क्योंकि सिवाय उर्वरक के कुछ भी आयात नहीं किया जाना है। अतः इन लोगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा भारी अंशदान है।

इस वर्ष हमारे व्यापार की मात्रा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ी है जबकि विश्व का व्यापार 6 प्रतिशत घटा है। ये वस्तुएं प्राकृतिक साधनों से प्राप्त होती है किन्तु नष्ट होने वाली हैं अतः जब भी इनके उत्पादन में वृद्धि होती है उसका लाभ उत्पादकों को नहीं मिलता है। यह लाभ उन विकसित देशों को मिलता है जो इन्हें खरीद लेते हैं। यही हमारी समस्या है।

1974 में वस्तुओं के उत्पादन में अचानक वृद्धि के अनुभव की ओर हमें बारीकी से विचार करना चाहिए। 1974 में विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले कृषि उत्पादों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई परन्तु मार्च, 1975 तक यह समाप्त हो गया। कृषि उत्पादों की इस अस्थिरता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में भी विकसित देशों को ही लाभ प्राप्त होता है। अतः मूल्यों के इस उतार चढ़ाव की ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते समय मैं आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ऐसी बहुत सी बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनके कारण शोधन संतुलन पहले की अपेक्षा खराब हुआ है।

देश में हम इस्पात निर्माण, कोयला उत्पादन और उर्वरक बनाने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग, अल्युमीनियम, तांबा और लौहे अयस्क की क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव 1977—1980 में देखने में आएगा। वाणिज्य मंत्रालय और निर्यात संवर्धन एजेन्सियों को चौकस रहना

होगा। पश्चिमी एशिया में पेट्रो-डालर देशों में निर्यात संवर्धन के अवसर से लाभ नहीं उठाया जा सका। इस वर्ष स्थिति में सुधार हो रहा है। अब समस्या की जानकारी हो गई है और स्थिति आशाप्रद बनेगी। जब तक हम अपने तकनीकी विशेषज्ञ दल को पर्याप्त विदेशी मुद्रा देकर क्रियादेश प्राप्त करने के लिये शिष्टमण्डल के रूप में नहीं भेजेंगें तब तक हम अमरीका और यूरोपियन आर्थिक समुदाय देशों के भारी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं सकेंगे।

ईंधन, उर्वरक और खाद्य के सम्बन्ध में हमारी दयनीय स्थिति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और इससे हमारे देश की शोधन संतुलन को स्थिति सुधरेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण दूसरे और तीसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाडू) के बीच भारत सहित तीसरे विश्व के देशों की स्थिति खराब हुई है। इससे इन देशों को 5000 लाख डालर की हानि हुई है। अन्य देशों के साथ-साथ हमने भी रुपये का पुनर्मूल्यांकन किया है। इस सीमा तक निर्यात बढ़ाने की हमारी क्षमता में कमी आई है। अतः वाणिज्य मंत्रालय को अगले पांच वर्षों के लिये एक नाजुक रास्ता अपनाना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकसित देशों द्वारा अड़चनें पैदा करने पर भी हम आगे बढ़ते रहें।

विश्व मुद्रा को स्थिरता के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए नौवहन संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता है। विकासशील देश 60 प्रतिशत नौवहन क्षमता का प्रयोग करते हैं परन्तु उनका अधिकार 10 प्रतिशत नौवहन पर भी नहीं है। नौवहन भाड़ा बढ़ता जा रहा है। हम अनुकूल भाड़ा क्षेत्र का पर्याप्त लाभ नहीं उठा सके हैं। 10 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात और 100 लाख करोड़ टन कोयला मुहानों पर पड़ा है फिर भी हम निर्यात नहीं बड़ा सके हैं।

कुछ मामलों में हमने इंजीनियरी क्षमता में अच्छा कार्य किया है। परन्तु मेरा कहना यह है कि हम और बेहतर काम कर सकते हैं।

मैं 50 लाख टन कोयले के निर्यात के लिये कहता चला आ रहा हूं। वाणिज्य मंत्रालय को इसके लिए आवश्यक मशीनरी की शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए और कोयले का निर्यात करना चाहिए।

इसी तरह मैं तेल शिक्षण रिंगो के निर्माण की बात करता रहा हूं। इसके लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। अतः इन वस्तुओं के निर्यात के बढ़ाने के लिए उद्योग, वाणिज्य मंत्रालय निर्यात एजेन्सियों तथा इस्पात और खान मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

अभ्रक के नियंत्रण को थोड़ी ढील करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है। इससे अभ्रक उद्योगों को फिर से पुनरुद्धार होगा, जहां 60 प्रतिशत कर्मचारी अभी भी बेकार हैं।

मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दीनेन भट्टाचार्य आपके दल के लिए यह अतिरिक्त समय है और आप 10 मिनट से अधिक न लें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की नीति के विरुद्ध कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। जूट उद्योग में तथाकथित संकट को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने जो तरीका अपनाया है, उसके लिए मैं गंभीर चिन्ता व्यक्त करता हूं। प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख है कि 1975

में जूट उद्योग संकट से गुजरा। सभी जानते हैं कि जूट उद्योग मुख्य रूप से निर्यात पर निर्भर है और यह एक ऐसा मूल उद्योग है जिस पर भारत के पूर्वी भाग की समूची अर्थव्यवस्था निर्भर है। जूट निर्माता अभी भी जूट उत्पादकों को लूट रहे हैं।

जूट उद्योगों के आधुनिकीकरण से पूर्व 3 लाख से अधिक कर्मकार कार्य कर रहे थे। अब वहां दो लाख कर्मकार भी नहीं है। एक लाख कर्मकार कहां चले गए हैं?

मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि इस समिति का उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य जूट मिलों में सुधार करना है अथवा क्या उसका उद्देश्य मिल मालिकों द्वारा अधिक लाभ कमाने में उनकी मदद करना है? मेरा प्रश्न यह भी है कि क्या यह सही है कि जूट मिल मालिक संकट का सामना कर रहे हैं या यह प्रचार मात्र है?

SHRI M. C. DAGA (Pali) :Mr. Deputy speaker, Sir, I was very glad to listen to the speech of the honourable Deputy Minister of Commerce I think that there is no complaint about the work being done by the Commerce Ministry, but I would like to say that for a common man it is very difficult to follow the Red Book and the import policy announced from year to year.

There are 22 Boards under the Department such as Tea Board, Coffee Board, etc.

Government still import stainless steel. Although large stocks are lying at Durgapur and we can manufacture stainless steel within the country, yet we are importing it and there is no justification for it.

It has been stated in the report of P. A. C. (1975-76) that out of 3000 trade fairs organised in the world, India participated in hardly 40. In Asia 1972 the officers spend an amount of Rs. 9 lakhs whereas it was decided to spend only Rs. 5 lakhs but no action has been taken against the officers for incurring this huge amount of expenditure.

An import office of State trading Corporation should be opened at Jaipur in Rajasthan to facilitate the business community there.

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : माननीय मन्त्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। व्यापार सन्तुलन बनाना तथा अधिकाधिक निर्यात में वृद्धि करना और आयात घटाना बहुत ही कठिन कार्य है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से निर्यात का मूल्य बढ़ गया है, इसके लिये वह निर्यात बढ़ाने के लिये यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहा गया है कि जयपुर में आयात और निर्यात कार्यालय खोले जाने चाहिये। प्रत्येक राज्य में मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक का सहायक या सम्बद्ध कार्यालय खोला जाये। जिससे वे राज्य को व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी जानकारी देने की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। उड़ीसा में रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक का कोई विनिमय या नियंत्रण विभाग भी नहीं है। डाकखानों में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि ऐसा कार्यालय खोल दिया जाये तो इस पिछड़े राज्य में आयात और निर्यात की अधिक सम्भावनाएं हो सकती हैं। उड़ीसा में राज्य व्यापार निगम अनेक वस्तुओं का निर्यात कर सकता है। जब तक राज्य व्यापार निगम वहां एक शाखा नहीं खोलता और जब तक राज्य सरकार एक निर्यात गृह स्थापित नहीं करती वहां से वस्तुओं का निर्यात नहीं हो सकता।

इसी प्रकार जहां तक सम्बलपुर में साड़ियों रंगने का सम्बन्ध है वहां कारीगरी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और उन्हें विदेशी मन्डियों में साड़ियों की मांग के डिजाइन आदि का पता नहीं चलता। राज्य व्यापार निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिये और कारीगरों को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे बाहर की मंडियों की मांग के अनुसार साड़ियां तैयार कर सकें।

यह अच्छी बात है कि समुद्री उत्पादों की मांग बढ़ी है परन्तु उड़ीसा में समुद्री उत्पादों के लिये एक कार्यालय होना चाहिए जो मछुओं की ओर ध्यान दे सके । मत्स्य उद्योग की सहायता के लिए एक संगठन स्थापित किया जाये।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह अरवाध तेलों के बारे में कुछ करेंगे । उड़ीसा में कुसुम और महुआ तेलों के उत्पादन की बहुत सम्भावना है इन तेलों का उपयोग खाने में नहीं किन्तु निर्यात में किया जा सकता है। इसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । यदि मुख्य आयात और नियन्त्रक का एक कार्यालय वहां खोला जाये वह स्थानीय लोगों से सम्पर्क स्थापित करके निर्यात की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है । उड़ीसा में लौह अयस्क के निर्यात हेतु एक संगठन की स्थापना के लिये मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। विदेश में बाजार बनाने का शुभारम्भ है। लौह अयस्क निर्यातक देशों को मिल कर चलना चाहिये जिससे आपसी होड़ न हो ।

क्रोम एक दुर्लभ खनिज है और यह विभिन्न उद्योगों में काम आता है क्रोम के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये क्योंकि इसकी खानें बहुत कम है । विस्कोस फिलामेंट धागे अथवा कृत्रिम रेशम वितरण गैर-सरकारी रूप से नहीं किया जाना चाहिए इसका वितरण वस्त्र आयुक्त के माध्यम से किया जाए । गैर सरकारी एजेन्सियां जब चाहती हैं इस रेशम का वितरण करती है जब चाहती हैं नहीं करती अतः रेशम बुनकरों को उनका कोटा समय पर नहीं मिलता । इसी प्रकार नाइलोन धागा जिसकी मछुओं को जाल बनाने की बहुत आवश्यकता होती है, वस्त्र आयुक्त के माध्यम से विभिन्न राज्य एजेन्सियों को दिया जाना चाहिये । राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को उचित कोटा दिया जाए जिससे मछुओं को काले बाजार में अत्यधिक मूल्य देकर हानि न उठानी पड़े।

राज्य व्यापार निगम को अपनी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए । उड़ीसा में निर्यात के उद्देश्य से बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना हुई है । सी०सी० आई० ई० तथा राज्य व्यापार निगम छोटे कारखानों की सहायता करे अन्यथा उनके बन्द होने का भय है।

Shri Nathuram Ahirwar (Tikamgarh): Mr. Deptuy Speaker Sir, I Support the demands of the ministry and give some suggestions in this regard. The ministry and the officers should be congratulated for their successful efforts in increasing imports and exports. I want to draw the attention of the honourable Minister that the weavers of the Bundelkhand backward areas have never been supplied yarn at fair prices. The traders purchase yarn at cheap rates from the mills and sell it at exorbitent rates to the weavers. More over, these weavers manufacture quality cloth such as quality Sarees, bed sheets, terrycot and terrylene but there is no market for them. This force them to take refuse with those traders from whom they purchase yarn. The traders export these poor people by purchasing their cloth at very cheap rates. Government should pay attention to it.

It has been stated here that the price of cotton is falling. The cotton growers get very low rate and the weavers are supplied yarn at high rates. What is the reason for this? What it is that the cotton is selling at a very cheap rate whereas the prices of yarn are very high? The number of handloom and powerloom workers is very great and big businessman can struggle as they possess property with lakhs and crores of rupees, whereas the small investors cannot fight.

Some people of my area got loans for the purchase of powerlooms. They got the money for the machines but have no money for the purchase of yarn. Government should do something for these people. They can be supplied with yarn and the cloth woven by them can be purchased through the co-operative stores and super bazars.

In Bilaspur district in Madhya Pradesh, there is an industry of kosa. The cloth made from it like that of silk which is also exported. The middleman is exploiting these weavers. Government should see that it should purchase the cloth directly from them and try to solve their economic difficulties.

Government have nationalised 103 mills and it was announced that rural people would be supplied with cloth at far price. But the position is that cloth was of such a low quality that it was not purchased by the people from the co-operative stores or fair price shops. The attention of the Government was drawn to this fact in Parliament and it was announced that good quality cloth would be supplied. But the position has not changed and on the one hand, cloth worth lakhs and crores of rupees have accumulated with the stores and fair price shops and on the other hand, the people are not getting cloth to fulfil their needs.

Government should send their representatives in the rural areas to find out the needs of the rural people and then ensure the production of that type of cloth. Mills are interested that the rural people say that they do not want that coarse cloth as this will enable the mills to manufacture superfine cloth. So Government should see to this problem.

With these words, I support the demands of the ministry.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं मन्त्री महोदय को आयात और निर्यात के सम्बन्ध में मिली सफलता पर बधाई देता हूं और चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में दिनों-दिन प्रगति के लिये वह प्रयास करते रहें।

असाम में सभी महिलायें बुनकर हैं। सूत के अभाव में सभी बेकार बठी हैं। असाम सरकार स्वदेशी शटल के स्थान पर मशीनीकृत शटल लाना चाहती है। गांवों में आदिवासी स्त्रियां बड़े सुन्दर नमूने तैयार करती हैं और वहां पर बड़े-बड़े घरों में वह कपड़ा बुनती हैं किन्तु उन्हें सूत उपलब्ध नहीं है। सरकार सहकारी समिति पद्धति लागू कर रही है। किन्तु क्या आवश्यक सूत दिया जायेगा ? हमारे क्षेत्र में कपास का उत्पादन नहीं होता है वहां जूट उगाया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि मुगा, ऐंडी और पट जैसे उत्पाद केवल असाम में ही पैदा किये जाते हैं। इनसे बनाया जाने वाला कपड़ा बड़ा टिकाऊ होता है जो 10 से 15 वर्ष तक चल जाता है। किन्तु ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिस से स्थानीय उत्पादक लाभ उठा सकें। अगर यहां पर अर्थात् गोहाटी में आयात और निर्यात का कार्यालय खोल दिया जाये तो उत्पादक उससे सहायता प्राप्त करके इस कपड़े का निर्यात सम्भावनाओं का पता लगा सकते हैं।

कुल चाय का 55 प्रतिशत असाम में उगाया जाता है तथा जूट भी यहां उगाया जाता है जिससे अच्छी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। अतः वित्त मन्त्री महोदय को असाम जैसे गरीब राज्यों को सहायता करनी चाहिए और विदेशी मुद्रा का और अधिक भाग इन राज्यों को देना चाहिये ताकि उन्हें अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन प्राप्त हो।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : निर्यात में वृद्धि के लिये मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं किन्तु जो कुछ इस सम्बन्ध में दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है उन्हें प्रशासन में भी सुधार की दिशा में परिवर्तन करने होंगे।

राज्य व्यापार निगम भी हमारे निर्यात में वृद्धि कर रहा है किन्तु फिर भी चावल के सौदे में राज्य व्यापार निगम को बड़ा घाटा उठाना पड़ा है। हम उन बाजारों को खो रहे हैं जिन पर पाकिस्तान अपना

10 LSS/76—7

कब्जा जमा रहा है। हमें खाड़ी के देशों में चावल के बाजार तलाश करने चाहिये था हम देश में चावल के वितरण को रोक कर उसका निर्यात कर रहे हैं फिर भी हम उस पर घाटा उठा रहे हैं। अतः प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि खाड़ी देशों में निर्यात के व्यापार को बढ़ाया जाये ।

दक्षिण भारत में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिन्हें दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकता है। दक्षिण में इस उद्देश्य के लिये कोई भी कार्यालय नहीं खोला गया है बंगलौर में एक शाखा है किन्तु एक शाखा से किसी प्रकार काम नहीं चल सकता। दक्षिण भारत में और कर्नाटक में काजू के व्यापार में भी गिरावट आई है। समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिये भी किसी संस्था की स्थापना नहीं की गई है । कर्नाटक में हम केले, आम तथा अन्य अनेक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है यहां तक कि राज्य व्यापार निगम भी इस सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं ले रहा है अतः इस दक्षिण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। मैं बादाम बोर्ड का प्रतिनिधि हूं यद्यपि बादामों के निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु 'गरमाला' बीमारी के कारण बड़ा नुक्सान होता है । इस बीमारी पर नियन्त्रण प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

बादाम बोर्ड का उचित गठन भी नहीं किया गया है जहां तक बादाम व्यापार सम्बन्धी संगठन का सम्बन्ध है समेकित बाजार पद्धति को स्वीकार नहीं किया गया है । मालूम नहीं इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार नहीं किया गया है। इसे स्वीकार कर लेने से उत्पादक को लाभ होता है मसाला विकास परिषद का गठन भी न जाने कैसे किया गया है । हम मसाला की वस्तुएं उगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं जबकि इसकी विदेशों में बड़ी मांग है मसाला विकास परिषद के गठन के बाद इस की शायद ही कोई बैठक हुई हो। हम इन वस्तुओं को दक्षिण भारत में उगाने में रूचि रखते हैं किन्तु इन वस्तुओं की पूर्ण उपेक्षा की जाती रही है।

एम० एम० एल० अच्छा काम कर रहा है यह जापान में बाजार बना रहा है किन्तु धातु' खनिज व्यापार निगम इसके रास्ते में बाधा उपस्थित कर रहा है इस बाधा को रोका जाना चाहिए। कर्नाटक में खनिजों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के आर्थिक विकास के लिये वह एक नया कार्यक्रम अपनायेंगे। भारत एशिया में सबसे बड़ा देश है अतः हम आन्तरिक तथा बाहरी आर्थिक विकास पर नियन्त्रण रख सकते हैं । कम मूल्य का तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने सम्बन्धी दुष्परिणामों के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन का भी उल्लेख किया है। मन्त्री महोदय इस समस्या को जानते हैं तथा मुझे आशा है कि वह इस चर्चा के उत्तर के दौरान इस समस्या के समाधान सम्बन्धी किये गये उपायों का जिक्र करेंगे।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मैं मंत्री महोदय को निर्यात क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने निर्यात आयात सम्बन्धी नीति के बारे में जो साहसपूर्ण रवैया अपनाया है उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं । वह इस सम्बन्ध में और भी साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह 10,000 या 20,000 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करने का प्रयास करें। वह इस प्रयास में आगामी दो तीन वर्षों में सफल हो सकते हैं ।

हमें विदेश यात्रा को थोड़ा आसान बनाना चाहिए । यदि विदेश यात्रा करना आसान हो जाएगा तो उससे हमें बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा और हम यह जान सकेंगे कि किन-किन देशों में किस-किस वस्तु की मांग है । जापान ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से सुधारा था।

मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे देश के लोग रोजगार की तलाश में बाहर के देशों में जा रहे हैं। हम उनको अपने देश में बुला कर उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है । इसलिए हमें कृषि उत्पादिकता बढ़ानी चाहिए । हमें ऐसी सभी वस्तुओं की मात्रा बढ़ानी चाहिए जिनका निर्यात किया जा सकता है चाहे ऐसी वस्तु कपास हो अथवा पटसन या कोई और वस्तु हो।

सामान्य प्राथमिकता योजना के क्षेत्र में पश्चिमी देशों को कई कोटे अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं। विकासशील देशों के कोटे का लाभ, हांगकांग, सिंगापुर, तैवान, कोरिया और फिल्पीन जैसे देश उठा रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश को इस बात का पता ही नहीं है कि हमें कितना कोटा प्राप्त होता है। निस्संदेह यह कागजों पर प्राप्त होता है किन्तु इस बारे में जो जरूरी प्रचार किया जाना चाहिए था जिससे लोग इस का लाभ उठा सकते वह नहीं किया गया।

मंत्री महोदय ने निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने की मेंहरबानी तो की है लेकिन यह वित्तीय सहायता ऋण पत्र के बदलें में मिल सकती है न कि क्रयादेश के बदले। यदि सरकार क्रयादेश के बदले वित्तीय सहायता प्रदान करे तो इससे पर्याप्त सहायता मिल सकती है।

जो शुल्क अदा किया गया है उसे वापिस करने तथा नकद सहायता आदि की प्रक्रिया को काफी हद तक आसान तो कर दिया गया है लेकिन फिर भी इसमें कम से कम एक महीना तो लग ही जाता है। यदि इसी अवधि को और कम करके एक सप्ताह कर दिया जाए तो उससे निर्यात में और सहायता हो सकती है।

इसके अलावा हीरे तथा प्राकृतिक रेशम जैसी विभिन्न वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रय करने के लिए विकास करने की बात भी है। इजराइल में वहां की सरकार ने हीरे तराशने का एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया हुआ है। भारत में ऐसा कोई कारखाना नहीं है। इस प्रकार से प्राकृतिक रेशम की भी बहुत मांग है। हमारा प्राकृतिक रेशम का निर्यात 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गया है। हमारे देश के हर भाग में शहतूत के पेड़ होते हैं। यदि हम इन पेड़ों पर रेशम के कीड़े पालने का काम शुरू कर दें तो हमारा यह निर्यात आसानी से 300 करोड़ रूपए का हो सकता है। इससे बेरोजगारी भी दूर हो सकती है।

श्री डागा कह रहे थे कि बहुत सी वस्तुओं के लिए बोर्ड बने हुए हैं किन्तु तिलहनों के लिए कोई बोर्ड नहीं है। इस वस्तु के मूल्य और परिणाम में उतार चढ़ाव आता रहता है। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत में तम्बाकू की कुछ पैदावार में से 20 प्रतिशत पैदावार गुजरात में होती है । तम्बाकू पैदा करने वाले राज्यों में गुजरात का दूसरा नम्बर आता है परन्तु फिर भी तम्बाकू बोर्ड में गुजरात को शामिल नहीं किया गया है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस समय देश मन्दी के दौर से गुजर रहा है। इस स्थिति का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और जहां तक सम्भव हो निर्यात बढ़ाना चाहिए।

भारत में कपास बहुत सस्ती है। इससे सस्ती कपास संसार के किसी भाग में नहीं है। इस लिए यदि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक कपास हो तो सरकार को इसका निर्यात करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। फालतू कपास का अवश्य निर्यात किया जाना चाहिए। इस तरह से यदि कृषि पदार्थों का उत्पादन भी आवश्यकता से अधिक हो तो उनका निर्यात करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मंत्रालय के कार्यों की सराहना में जो शब्द कहे गए उनके लिए मैं अपना तथा अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं और ऐसा ही कार्य करने का आश्वासन देता हूं। सभी उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देना तो संभ्मव नहीं है परन्तु उन्हें पूरी तरह ध्यान में रखा जायेगा।

यह सुविदित है कि वर्तमान परिस्थितियों में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखते हुए हमें लेना अधिक पड़ा है और हमें मुद्रास्फीति की स्थिति में अधिक रहना पड़ा है। यदि आप आयात सम्बन्धी आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि 1971-72 में हमारे यहां 1824 करोड़ रुपये मूल्य का आयात हुआ जो बढ़कर 1974-75 में 4468 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आयात का मुख्य भाग तेल, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों के रूप में है। परन्तु अब इस वर्ष पिछले तीन महीने में आयात में घटने की प्रवृत्ति चल रही है जिससे विदेशी व्यापार में हमारा घाटा कम होता जायेगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया कि मध्य पूर्व एशिया के देशों में जो निर्यात के अवसर मिले शायद उसका हम उपयोग नहीं कर सके हैं। यह बात सही नहीं है। वास्तव में इन देशों में पिछले कुछ वर्षों से हमारा निर्यात बढ़ रहा है। 1973-74 में मध्य पूर्व देशों विशेषरूप से तेल प्रधान देशों में हमारा निर्यात केवल 165 करोड़ रुपये मूल्य का था जो एक वर्ष के भीतर अर्थात् 1974-75 में बढ़कर 461 करोड़ रुपए तक का हो गया और इस वर्ष भी अधिक बढ़ौतरी होने की आशा है।

आयात-निर्यात व्यापार में घाटे का मुख्य स्वरूप यह है कि हम अधिकांशतः पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते हैं। मुद्रा स्फीति के कारण उन वस्तुओं की कीमतें बहुत चढ़ गई हैं। निस्संदेह, चढ़ती हुई कीमतों का लाभ हमें निर्यात पर भी मिल सकता था परन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिन वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं वे मुद्रास्फीति से इतना अधिक प्रभावित नहीं हैं। दूसरे, पूंजीगत वस्तुओं के अलावा खाद्य पदार्थ और तेल ऐसी आयात की वस्तुए हैं जिनकी कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं। अतः पूंजीगत वस्तुओं और इन दो प्राथमिक वस्तुओं के आयात पर बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ा है। अब हमारा देश विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि हमारे निर्यात व्यापार का 50 प्रतिशत भाग अर्ध-परिष्कृत, अर्ध-निर्मित तथा निर्मित वस्तुओं के रूप में है जबकि दस वर्ष पहले ऐसा नहीं था। हमें आशा है कि अगले दस वर्षों में हम और अधिक निर्मित माल का निर्यात कर सकेंगे और कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात कम हो जायेगा।

इन समस्याओं तथा सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने निर्यात सम्बन्धी कार्यनीति तैयार की है। इस कार्यनीति की पहली मुख्य बात यह है कि निर्यात-प्रधान उद्योगों का उत्पादन-आधार मजबूत बनाया जाये। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से निर्यात स्वतः नहीं बढ़ता। यही कारण है कि भारत सरकार

ने वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक निर्यात-उत्पादन विभाग स्थापित किया है जो औद्योगिक उत्पादन के अलावा निर्यात-उत्पादन को बढ़ावा दे। इस वर्ष इस मंत्रालय के अन्तर्गत कपड़ा विभाग भी स्थापित किया गया है क्योंकि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 22 प्रतिशत भाग कपड़े के रूप में है। इस प्रकार-विदेशी व्यापार विभाग के अलावा स्थापित किये गये इन दो विभागों द्वारा हमारे निर्यात उत्पादन आधार को विस्तृत बनाया जा सकेगा तथा उसमें विविधता लायी जा सकेगी।

इस निर्यात कार्यनीति की दूसरी मुख्य बात यह है कि आयात लाइसेंसों के जारी करने की प्रक्रिया सरल बनायी जाये और निर्यात विनियमों को ढीला बनाया जाये। कुछ दिन पहले सभा-पटल पर जो आयात सम्बन्धी नीति मैंने रखी है उसमें इसकी व्यवस्था है।

तीसरे, प्रतिकरात्मक समर्थन और सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-कर की वापसी व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की गई है। जिन मामलों में ऐसा प्रतिकरात्मक समर्थन देना उचित समझा जायेगा उनमें यह समर्थन तदर्थ आधार के बजाय स्थायी रूप में दिया जायेगा और उसकी सूचना काफी पहले से दे दी जायेगी ताकि उत्पादक या निर्माता अपनी उत्पादन-योजना पहले से ही तैयार कर सके।

चौथे, हमने सीमा शुल्क और आयात लाइसेंसों के मामले में कुछ छूट दी हैं। पांचवें हमने निर्यात नियंत्रण सम्बन्धी विनियमों को उदार बनाया है। छठे, जहाज द्वारा माल भेजे जाने से पहले और बाद, दोनों ही स्थितियों में लम्बी अवधि के लिए रियायती शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में हम या तो निर्यात वित्त व्यवस्था के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ सैल या स्वतंत्र रूप से एक निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने का विचार कर रहे हैं।

सातवें, विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने में उदारता लाने की व्यवस्था है। यह सच है कि इन उदारताओं और सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया है परन्तु यह सोचकर यदि हम इस बारे में सीमा से अधिक सावधानी बरतने लगें तो उससे हम अपने उद्देश्य में पिछड़ जायेंगे।

आठवें, हम और अधिक व्यापार मेले तथा व्यापारिक प्रचार भी आयोजित कर रहे हैं। एक सदस्य महोदय ने कहा है कि ऐसे मेलों की संख्या घट गई है। आपको मालूम ही है कि विगत दो वर्षों तक विभिन्न मंत्रालयों में वित्तीय अनुशासन लागू किया गया। इसी अनुशासन के अन्तर्गत हमारे मंत्रालय के इस विभाग में भी खर्च में मितव्ययता बरती गई। परन्तु अब हम पहले से भी अधिक मेले आयोजित करने जा रहे हैं। व्यापारिक प्रचार की ओर विशेष धयान देने के लिए सरकार ने एक अलग स्वायत्तशासी व्यापार मेला तथा व्यापारिक प्रचार संगठन स्थापित करने का निश्चय किया है।

इनके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यमों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब तक ऐसे 268 संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए अनुमति दी जा चुकी है जिनमें लगने वाली पूंजी 40 करोड़ रुपये की है। यह पूंजी मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के रूप में होगी तथा कुछेक मामलों में हिस्सा पूंजी और नकद पूंजी में भी योगदान किया जायेगा जोकि उद्यम के स्वरूप पर निर्भर होगा।

दसवें, संयुक्त आयोगों की व्यवस्था रखी गई है जिनसे सम्भावित विकास के क्षेत्रों का पता लगाने और द्विपक्षीय क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान देने तथा उन्हें हल करने में मदद मिलेगी। हमने संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ तीन नये आयोग स्थापित किये हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कपास की समस्या का उल्लेख किया। कभी-कभी उत्पादकों द्वारा कपास का इतना अधिक उत्पादन कर लिया जाता है कि उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता और कभी इतना कम उत्पादन होता है कि उसकी कीमतें चढ़ जाती हैं और कपड़ा उद्योग शिकायत करने लगता है तथा उपभोक्ताओं को भी बहुत अधिक कीमतों का भार सहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारे निर्यात व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी कम हो जाती है। हमारी नीति यह है कि दोनों ही पक्षों अर्थात् कपास उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में सन्तुलन लाया जाये। यह नीति क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां अवश्य आती हैं।

गत वर्षों में ऋण नियंत्रण नीति के कारण भारतीय कपास निगम को आवश्यकता के अनुरूप धन उपलब्ध न हो सका। मैंने देखा है कि अप्रैल के अन्त तक विभिन्न किस्मों की कपास की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। यदि ये कीमतें इसी प्रकार चढ़ती गईं तो और अधिक समय तक निष्क्रिय नहीं बैठी रह सकती। कुछ माननीय सदस्यों ने कपास आयात करने का भी सुझाव दिया है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि कपास उत्पादकों को उचित कीमतें मिलें, परन्तु यह भी ध्यान रखना होगा कि कपड़े के उपभोक्ताओं को अपनी क्षमता से अधिक मूल्य न चुकाना पड़े।

(श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए)

(Shri Bhagwat Jha Azad *in the Chair***)**

1952 और 1974 को छोड़कर 1950 से 1976 के बीच सूती कपड़े की कीमतें औसतन सभी निर्मित माल की कीमतों से अधिक नहीं रहीं और अत्यधिक कार्यकुशल मिलों ने बहुत अच्छा लाभ कमाया परन्तु ऐसी मिलों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। शेष 80 प्रतिशत मिलों ने लाभ के बजाये हानि उठायी और यही कारण है कि 103 मिलें रुगणावस्था में हैं और 12–14 मिलें बन्द पड़ी हैं। यदि कपास की जमाखोरी चलती रही और कीमतें को चढ़ने दिया गया तो सरकार के पास कपास आयात करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।

आंशिक रूप से यह भी सच है कि कुछ निजी मिलें कुप्रबन्ध के कारण इस स्थिति में पहुंची हैं जब हमने इन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था तो उन्हें 1974-75 के दौरान 30 करोड़ रुपये की हानि थी और इस वर्ष 70 करोड़ रुपये की हानि है, परन्तु राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारियों कर्मचारियों और मेरे सहयोगियों ने जो अच्छा कार्य किया उसके परिणामस्वरूप यह हानि घट कर 50 करोड़ रुपये की रह गई है। लेकिन इससे समस्या की गम्भीरता कम नहीं हो जाती।

कताई के कार्य की बुरी दशा है। हमें इस समस्या को समग्र रूप में देखना होगा। हाथकरघा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है और उसकी समस्या भी बहुत गम्भीर है क्योंकि हथकरघा बुनकर बहुत निर्धन और असंगठित हैं तथा हजारों गांवों में बिखरे हुए हैं और उनकी साख स्थिति भी बहुत कमजोर है। यही कारण है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने की व्यवस्था रखी गई है।

सम्मिश्रित मिलों के क्षेत्र को नियंत्रित कपड़ा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है परन्तु इस क्षेत्र की भी शिकायतें हैं क्योंकि यह अंशत सच है कि उन्हें नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने में हानि उठानी पड़ती है कोई मिलें चाहे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी क्षेत्र में, परन्तु एक के बाद एक मिल रूग्ण होती चली जायें, यह हमारे हित में नहीं है। इसी कारण हमने यह नीति विषयक निर्णय लिया है कि धोती और साड़ी जैसे नियंत्रित कपड़े का उत्पादन कार्य हथकरघा उद्यागों को सौंप दिया जाये और ड्रिलिंग, शर्टिंग तथा

लांग क्लाथ जैसा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन कार्य शक्ति चालित करघा क्षेत्र को सौंपा जाये। जहां तक ड्रिलिंग शटिंग और लांग क्लाथ जैसे नियंत्रित कपड़े का सम्बन्ध है उसके उत्पादन का कार्य मिल क्षेत्र के पास भी रहेगा परन्तु वह उसे शक्ति चालित करघा क्षेत्र को हस्तांरित कर सकता है और इस प्रकार अपने पास रिक्त हुई उत्पादन क्षमता का उपयोग अधिक मुनाफे वाले कपड़े के उत्पादन में लगा सकता है। परन्तु हमने देखा है कि शक्ति चालित करघा उद्योग सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए कलर, धोती और साड़ियों का उत्पादन कर रहा है । यदि हथकरघा और शक्ति चालत करघा क्षेत्र इस अतिरिक्त उत्पादन कार्य को करना आरम्भ कर दें तो धागे की मांग बढ़ जायेगी और कताई मिलों की हालत सुधरेगी।

श्री एस० आर० दामानी: यह योजना कब तक क्रियान्वित कर ली जायेगी क्योंकि यह घोषणा तीन महीने पहले की गई थी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय: जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हथकरघा बुनकर असंगठित और हजारों गांवों में बिखरे हुए हैं और सहकारी समितियों के भी अन्तर्गत नहीं आते हमें उन्हें संगठित करना है। उच्च शक्ति प्राप्त दो समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं जो यह उत्पादन कार्य सम्मिश्रित क्षेत्र से हथकरधा और शक्ति चालित करधा क्षेत्रों को सौंपने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेंगी।

रेशम सेक्टर द्वारा अनुभव की जा रही कुछ कठिनाईयों का उल्लेख किया गया है । एक टसर विकास निगम है इसे टसर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बनाया गया है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बाजार प्राप्त करने तथा मूल्य स्थायी बनाने का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है । इसका उद्देश्य वर्ष भर में रेशम के मूल्यों में अस्वस्थ घटबढ़ को नियमित करना तथा यथा सम्भव स्थायी मूल्य रखना है । एक तकनीकी अधिकारी की केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय में नियुक्ति करने की योजना है। जो अनुसन्धान कार्यक्रम तथा उसके परिणामों को रेशम उत्पादकों तक पहुचाने का कार्य करेगा । बहरामपुर के रेशम उत्पादन अनुसन्धान कार्यालय के कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

जूट उद्योग का भी उल्लेख किया गया है । इस उद्योग की हमें बड़ी चिन्ता हो रही है क्योंकि इसका निर्यात 300 रुपये करोड़ का हुआ करता था जो अब पिछले वर्ष कम हो कर 245 करोड़ रुपये का हो गया है और उसमें और कमी आने का डर है । इसका कारण यह है कि मिश्रितों की तुलना में इसका मुकाबला नहीं है साथ ही अमरीका ने भी इसकी मांग कम कर दी है । जब तक इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में तेजी नहीं आ जाती तब तक हमारे निर्यात की स्थिति में अधिक सुधार होने की गुंजाईश नहीं है । साथ ही हमारे पड़ोसी देशों को इस बात को समझना होगा कि जूट के मामले में अस्वस्थ मुकाबले से बाद में जाकर उनको भी हानि होगी । इसके अतिरिक्त कुछ मिलें भी बन्द हो गई हैं क्योंकि उनका प्रबध सही नहीं था खुरदा जूट मिलों का भी उल्लेख किया गया था । इस मिल की जांच समिति का निष्कर्ष था इसमें वित्तीय कुप्रबंध की शिकायत थी हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में पड़ा है । उद्योग संकट में है और और हम उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं । किन्तु जूट निगम द्वारा मांगी गई धन राशि देना सम्भव नहीं है क्योंकि धन का अभाव है । किन्तु उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और जूट उत्पादकों को जो मूल्य प्राप्त हुआ है इतना कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था । यह दूसरी बात है यह मूल्य उसे मिला अथवा बिचोलिये ले गए किन्तु मूल्य स्तर काफी ऊंचा है । मैंने सदन को इस सम्बन्ध में स्थिति से अवगत करा दिया है।

चमड़े का उत्पादन बढ़ाने की भी बड़ी सम्भावनाएं हैं । पिछले दो तीन वर्षों से हमारी चमड़ा उत्पादन की क्षमता बढ़ी है । हमने निर्यात के कोटे को घटा दिया है । यद्यपि हम इस व्यापार को

छोड़ना नहीं चाहते फिर भी हम उत्पादन की क्षमता को बेकार नहीं करना चाहते । चमड़े से बनी वस्तुओं की विदेशों में खूब मांग है । हम अब विदेशी देशों की सहायता से आधुनिक तकनीकी अपना रहे हैं इससे इन वस्तुओं के निर्यात में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी । इन्जीनियरिंग वस्तुओं और कोयले की भी विदेशों में बड़ी मांग है इन वर्षों में हम अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बंगला देश और बर्मा को कोयला निर्यात कर रहे थे अब हमें पश्चिम यूरोप जापान और सुदूर देशों के आदेश भी प्राप्त हुए हैं। अगर पत्तन सुविधाएं उपलब्ध हो तो हम और अधिक कोयले का निर्यात कर सकते हैं। यह प्रश्न किया गया है कि क्या हम कोयले का निर्यात करते रहे ? हमारे यहां पर्याप्त कोयला है और साथ ही ऊर्जा के अन्य साधनों का भी विकास किया जा रहा है अतः कोयले का निर्यात किया ही जाना चाहिए ।

पिछले तीन चार वर्षों में सिले सिलाए कपड़ों के व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। 1971-72 का 11 करोड़ का निर्यात 1974-75 में 145 करोड़ हो गया तथा 1976-77 में यह बढ़ कर 225 करोड़ होने की सम्भावना है । इस वृद्धि को देख कर हम उन्हें कच्जा माल सप्लाई करते रहते हैं । हाथकरघा क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्यात क्वालिटी के कपड़े का निर्माण किया जाए ।

इस्पात का उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अधिक है. अतः हम उसका भी निर्यात कर रहे हैं। उससे हम अच्छी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं हम प्रोसेस्ड मांस का भी निर्यात कर रहे हैं इसके निर्यात को और काफी बढ़ाया जा सकता है।

इस मंत्रालय का कार्य तभी अच्छा हो सकता है यदि राज्य व्यापार निगम, धातु खनिज व्यापार निगम, हेंडलूम तथा हथकरघा निर्यात निगम, माइका व्यापार निगम भली प्रकार चले । यह सभी निगमें अच्छा कार्य कर रही हैं । अगर एक निगम हजारों मदों के बारे में व्यापार करता है तो एक आध में कोई गलती भी हो सकती है। श्री बसुमतारी ने किसी वस्तु विशेष का उल्लेख किया था। उस मामले की जांच हो गई है और एक अधिकारी को उसके लिए दण्डित भी किया जा चुका है ।

मंदी के कारण धातु खनिज व्यापार निगम के पास स्टाक सूची सम्बन्धी स्थिति विशेषकर अलौह धातुओं के सम्बन्ध में अधिक थी ।

करोम के निर्यात के बारे में भी उल्लेख किया गया है । करोम भी बड़ा महत्वपूर्ण धातु है। हमारे इस्पात उत्पादन में इसकी बड़ी आवश्यकता है । अतः हम इसके निर्यात के बारे में अगस्त 1975 से काफी सावधान हो गए थे । हमने इसका निर्यात बंद कर दिया है केवल उन्हीं सौदों के बारे में दूसरी अनुमति दी जाएगी जो अगस्त 1975 से पहले हो चुके हैं । हमने इसका कोटा भी सीमित कर दिया है।

अभरक के निर्यातकों के समक्ष भी समस्याएं आ रहीं हैं। हम समाधान तो कर रहे हैं। इसका जो कोटा 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र में और 60 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में चल रहा था उसे भी हमने बदल दिया है इससे निर्यातकों को काफी लाभ होगा ।

भारत अन्टांड सम्मेलन में भाग ले रहा हैं । इस सम्मेलन पर सारे संसार की आंखें लगी हैं और इसका बड़ा महत्व है । सम्मेलन के परिणामों में सारे विश्व की रुचि है । हम निर्मित और अर्ध-निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं अतः हमारी तो हर दृष्टि से इस सम्मेलन के परिणामों में रुचि है।

विभिन्न क्षेत्रों के साथ हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है। यह भी कहा गया है कि हम अपने व्यापार को चीन से आरम्भ क्यों नहीं करते। अब यह इच्छा व्यक्त की गई है कि हम चीन से सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयास करें। उपर्युक्त समय होने पर हम व्यापार आरम्भ करने का निर्णय भी करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी ही कह चुका हूं कि हम सबसे मित्रता चाहते हैं और हम किसी के शत्रुता नहीं रखना चाहते अतः व्यापार सम्बन्धी नीति में भी हम इसी नीति से काम लेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मन्त्री महोदय ने कानपुर की मिलों को अपने हाथ में लेने के संबंध में कुछ नहीं कहा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: इसके लिये कानून में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है जिसे हम कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): मन्त्री महोदय ने रबड़ के क्रय और उसे उठाने के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। इसका मूल्य 1969 में निर्धारित किया गया था। क्या इसका मूल्य पुनः निर्धारित किया जायेगा ? दूसरी बात निर्यात तथा कुछ उद्योगों को दिये गये लाइसेंसों के बारे में है। क्या इसकी जांच के लिये आपके पास कोई स्थायी तन्त्र है ?

प्रो० चट्टोपाध्याय: रबड़ के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय के लिये हम उद्योग विकास तथा वित्त मन्त्रालय से सलाह लेनी होगी। राज्य व्यापार निगम को इस बात का उत्तरदायित्व दे दिया गया है कि वह रबड़ के क्रय और बाजार को देखे। निर्यात की व्यवस्था भी की गई है।

सभापति द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

सभापति द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नोक्त अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for Grants in respect of the Ministry of Commerce were put and adopted.

मांग सख्यां	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूजी रुपये
13.	वाणिज्य मंत्रालय	83,67,000	
14.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	174,97,39,000	320,32,37,000

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

वर्ष 1976-77 के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि विभाग . .	1,79,16,000	..
2.	कृषि . . .	54,23,73,000	4,63,71,62,000
3.	मीन उद्योग .	9,79,18,000	1,36,12,000
4.	पशुपालन और डैरी विकास	30,72,57,000	3,21,66,000
5.	वन .	8,83,12,000	66,67,000
6.	खाद्य विभाग .	310,46,92,000	19,56,92,000
7.	ग्राम विकास विभाग	58,75,09,000	5,87,80,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6.27,000	
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अदायगियां	37,92,19,000	
10.	सिंचाई विभाग	11,23,54,000	5,65,42,000

श्री बी० एन० रेड्डी (निश्चालगूडा): यह धारणा गलत है कि आपात् स्थिति और 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करने के पश्चात् कृषि संबन्धी संकट टल गया है और इस क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार हो गया है। वास्तविकता यह है कि अब यह संकट अन्य क्षेत्रों में व्याप्त हो रहा है। यह ठीक है कि कृषि उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु यह कृषि के सम्बन्ध में किसी निरंतर विकास की द्योतक नहीं है। क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। उत्पादन में जो थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है वह किसी नीति के कारण न हो कर अच्छे मौसम के कारण हुई है। उत्पादन में उत्तरोतर कोई वृद्धि हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में जब मौसम अच्छा होता है तब उत्पादन पहले से थोड़ा अधिक हो जाता है और जब मौसम खराब होता है. तब यह पहले से कुछ कम हो जाता है। स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् हम अभी भी अनाज का आयात कर रहे हैं। 1974 में जहां हमने लगभग 48.74 लाख मीटरी टन अनाज का आयात किया था वहां 1975 में लगभग 74.05 लाख मीटरी टन अनाज का आयात किया। अब समाचारपत्रों में छपा है कि हम एक लाख मीटरी टन चावल का आयात करने जा रहे हैं।

अनाज की कीमतों में भी भारी गिरावट आयी है जब कि कृषि के लिये अपेक्षित सामान की कीमतें और भी बढ़ गई हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अनाज की कीमतें 50 प्रतिशत और

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे राज्यों में 50 से भी अधिक प्रतिशत गिर गई हैं। इसी प्रकार कपास की विभिन्न किस्मों की कीमतें भी गिर गई हैं। एम०सी०वी०-5 किस्म की कपास की कीमत 520—570 रुपये से कम हो कर 290—340 रुपये हो गई है जबकि वारालक्ष्मी किस्म की कपास की कीमत 850-900 रुपये से कम हो कर 450—500 रुपये हो गई है।

पटसन के मामले में सरकार ने 135 रुपये प्रति क्विण्टल न्यूनतम कीमत निश्चित की है जबकि बाजार में इसकी कीमत 100 रुपये प्रति क्विण्टल है। कपास, पटसन गन्ना और मूंगफली के मामले में स्थिति यह है कि कीमतें बहुत गिर गई हैं और किसानों को इससे हानि हो रही है। भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम भी इन चीजों को नहीं खरीद रहे हैं। इस समस्या को हल करने की बजाए सरकार ने अब यही रट लगा रखी है कि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह उसकी नीति की सफलता है। माननीय राष्ट्रपति, श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 23-4-76 को वाणिज्य और उद्योग मंडल का उद्घाटन करते हुए यह कहा कि पिछले 18 महीनों में कृषि सम्बन्धी कीमतें गिरी हैं परन्तु निर्मित माल के मामले में कीमतों में उतनी कमी नहीं हुई है। अतः मेरे विचार में कृषि और खाद्य के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है।

भूमि सुधार के मामले में अब भी वही शर्मनाक और हास्यस्पद नाटक चल रहा है। दशक 1950—59 के आरम्भ में महालनोबस आयोग ने हिसाब लगाया था कि 20 मानक एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से 630 लाख एकड़ भूमि फालतू होगी। अब जबकि इस बात को लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो गये हैं, परन्तु अब केवल 9 लाख एकड़ भूमि फालतू दिखाई गई है और इसमें से केवल 2 लाख एकड़ भूमि आबंटित की गई है। विभिन्न राज्यों में यही स्थिति है। फालतू भूमि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। आठ राज्यों में, जहां जांच पड़ताल पूरी हो गई है, केवल 3.46 लाख एकड़ भूमि फालतू पाई गई है। इन आठ राज्यों में सब से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु हैं। स्पष्ट है कि जब इस भूमि का वास्तव में वितरण किया जायेगा, तो इतना रकबा भी उपलब्ध नहीं होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां पर 92,470 एकड़ फालतू भूमि में से अब तक केवल 559 एकड़ ही वितरित की गई है। आन्ध्र प्रदेश में तो स्थिति और भी अधिक हास्यस्पद है। वहां पर बड़े-बड़े भूस्वामी, जिनके पास हजार-हजार एकड़ भूमि है, सरकार से अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत और भूमि मांग रहे हैं। यह समझ में नहीं आता कि जब सरकार भूतपूर्व राजाओं के भूमि में दबे जवाहरात निकाल सकती है तब फालतू भूमि का पता क्यों नहीं लगा सकती है। जैसा कि कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि शासक दल और अधिकारीगण भूस्वामियों से मिले हुए हैं। यही कारण है कि सरकार जमीदारी को पूर्णतया समाप्त करने के हक में नहीं है। भूमि का आबंटन तो एक तरफ रहा, काश्तकारों की, जिनके कब्जे में कई वर्षों से भूमि है, सुरक्षा की भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि अधिकांश काश्तकारों के अधिकारों का कोई अभिलेख नहीं है, इसलिये भूमि-भूस्वामियों को ही मिल जाती है। भूमिहीन काश्तकारों को भूमि देने की बजाये उनसे भूमि वापस भू-स्वामियों को दिलाई जा रही है।

आपात स्थिति से गरीबों और किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। इससे बड़े-बड़े भूस्वामी ही लाभ उठा रहे हैं क्योंकि वे काश्तकारों को भूमि से बेदखल कर रहे हैं। इस कार्य में पुलिस भी उनका साथ दे रही है। सेन्ट्रल किसान मण्डल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और केरल में किसान संगठन के अधिकांश सदस्यों को नजरबन्द कर दिया गया है। मेरे राज्य में किसान सभा

के 30 सदस्य गिरफ्तार किये गये हैं। इससे भूमि वितरण कार्य में कोई सहायता नहीं मिलती है। सरकार का यह कहना कि आपात स्थिति और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा से कृषि के क्षेत्र में सुधार हुआ है, निराधार है। कुल जनसंख्या में किसानों की संख्या पहले 62.8 प्रतिशत थी और अब यह कम होकर 43.34 प्रतिशत रह गई है जबकि खेतिहर मज़दूरों की संख्या 16.71 प्रतिशत से बढ़कर 23.33 प्रतिशत हो गई है। 1961 और 1971 की जनगणना से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि काश्तकारों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी और खेतिहर मज़दूरों की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर आपात स्थिति और 20 सूत्री कार्यक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी 65 से 70 प्रतिशत छोटे-छोटे किसान ऋणग्रस्त हैं। 'इकानॉमिक टाइम्स' के अनुसार हर परिवार पर 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का ऋण है और इसकी कुल रकम 6,000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार गरीबों की संख्या उतरोतर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष में केवल 7 मास का ही काम उपलब्ध होता है। मुक्त बन्धित श्रमिकों को रोज़गार कहां से दिया जायेगा? बन्धित श्रमिकों को जब तक और कोई रोज़गार नहीं दिया जायेगा तब तक बेरोज़गारी और इसके फलस्वरूप गरीबों की संख्या बढ़ती ही चली जायेगी। अतः बन्धित श्रमिकों को मुक्त कराने का कोई लाभ नहीं होगा।

सरकार ने खेतिहर मज़दूर के लिये 3.50 रुपये से 6.36 रुपये तक न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की है जो अपर्याप्त है।

इन परिस्थितियों में, मैं किसान सभा और सी०पी०आई० (मार्क्सवादी) की ओर से यह सुझाव देना चाहता हूं। जमींदारी का उन्मूलन किया जाये। और भूस्वामियों की समस्त भूमि भूमिहीन गरीबों में बांट दी जाये, खेतिहर मज़दूरों के लिये आठ रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की जाये और इसका अधीक्षण प्रतिपक्ष के सभी दलों और जन संगठनों की लोकप्रिय समितियां बनाई जायें, सभी प्रकार के ऋणों पर, जिनके अन्तर्गत सरकारी ऋण भी हैं, रोक लगा दी जाये और उधार देने के लिए अन्य साधन उपलब्ध किये जायें, उत्पादकों के लिए लाभकारी और उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य निर्धारित किये जायें, विनिर्मित माल और कृषि उपज के मूल्यों के बीच उचित अनुपात बनाये रखा जाये और इनसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपात स्थिति को समाप्त किया जाये और सभी किसान नेताओं को रिहा किया जाये।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	14	श्री एम० कतामुतु	संशोधित भूमि सुधार कानूनों का द्रुत तथा उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर किसानों तथा कृषि श्रमिकों को उचित प्रतिनिधित्व देकर लोकप्रिय सतर्कता समितियां बनाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	15	श्री एम० कतामुतु	भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार समाप्त करने की दृष्टि से कदम उठाने में विलम्ब ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं
2	16	,,	सिविल न्यायालयों के रोकादेशों के परिणामस्वरूप भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन में आए व्यवधान हटाने में असफलता ।	,,
2	17	,,	भूमि परिसीमन कानून के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति ।	,,
2	18	,,	लोकप्रिय प्रतिनिधित्व प्राप्त और जमींदारों द्वारा दाखिल की गई विवरणियों पर निर्णय लेने के पर्याप्त अधिकारों से सम्पन्न तथा गलत विवरणियों को दाखिल करने वालों को दण्ड देने के अधिकारों वाले भूमि न्यायाधिकरण गठित करने की आवश्यकता ।	,,
2	19	,,	जमींदारों के कहने पर भूमि-अभिलेखों में गलत आंकड़े भरने वाले पटवारियों, 'करनामों' तथा अन्य व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
2	20	,,	फालतू भूमि के अलाटियों को खेती के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
2	21	,,	कृषि के विकास में कृषि श्रमिकों की भूमिका को मान्यता देने में असफलता ।	,,
2	22	,,	कृषि विकास योजनाओं की रचना तथा क्रियान्वयन के कार्य में कृषि श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को शामिल करने में असफलता ।	,,
2	23	,,	देश के विभिन्न भागों में एम०ई०ए०एल० और एस०एफ०डी०ए० के कार्यकरण में कृषि श्रमिकों, लघु तथा सीमान्त किसानों को सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	24	श्री एम० कतामुतु	सरकार के अधिकाराधीन सभी कृषि योग्य परती तथा बंजर भूमि भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बांटने के लिये कोई योजना बनाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं
2	25	,,	अन्य लोगों के पास आदिवासी भूमि आदिवासियों को लौटाने में धीमी तथा असन्तोषजनक प्रगति ।	,,
2	26	,,	कृषि श्रमिकों तथा अन्य निर्धन ग्रामीणों को उनके लिये वैकल्पिक ऋण स्रोत बनाकर ऋण-राहत उपयों के अनुसरण में काफी ऋण जुटाने में असफलता ।	,,
2	27	,,	विद्यमान ग्रामीण ऋण समितियों से जमींदारों तथा अन्य निहित स्वार्थों को निकालने में असफलता ।	,,
2	28	,,	कृषि श्रमिकों तथा अन्य भूमिहीनों को ऋण दिलाने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध करने में असफलता ।	,,
2	29	,,	उत्पादन कार्यों तथा खपत प्रयोजनों के लिए ऋण जुटाने हेतु कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों के लिये बहु-प्रयोजनीय सहकारी ऋण समितियां बनाने की आवश्यकता ।	,,
2	30		उर्वरकों तथा खेती की अन्य वस्तुओं के मूल्य घटाने की आवश्यकता ।	,,
2	31	,,	कृषि-उपज के लिये लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
2	32	,,	खेती करने वाले किसानों तथा श्रमिकों आदि को पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिये कृषिऋण व्यवस्था का पुनर्गठन करने में असफलता ।	,,
2	33	,,	किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	34	श्री एम० कतामुतु	गांवों में ऋण देने की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिये काफी धन जुटाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं
2	35	,,	सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को कम ब्याज पर पर्याप्त ऋण-सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये अधिक सशक्त कृषि-ऋण नीति की आवश्यकता ।	,,
6	59	,,	खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने में असफलता ।	,,
6	60	,,	कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए ग्रामों में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की आवश्यकता ।	,,
10	86	,,	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के निष्पादन में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जोरदार अभियान चलाने में असफलता ।	,,
10	87	,,	सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	,,
2	37	श्री पी० के० देव	विभिन्न फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्में बड़े पैमाने पर उगाने तथा किसानों को उनके बीज रियायती दर पर सप्लाई करने की वांछनीयता ।	,,
2	38	,,	उड़ीसा के कालाहांड़ी जिले के थसमुल-रामपुर पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय काफी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार वहां बड़े पैमाने पर काफी की खेती कराने की वांछनीयता ।	,,
2	39	,,	उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले के समेकित तराई विकास इलाकों में अन्नानास, पहाड़ी केला और लेमनग्रास की बड़े पैमाने पर खेती करने की वांछनीयता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	40	श्री पी० के० देव	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में थसमूलपुर क्षेत्र में शहतूत की खेती तथा रेशम के कीड़े पालने का उद्योग स्थापित करने की वांछनीयता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं
2	41	,,	किसानों को कीटनाशी दवाइयां तथा उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
2	42	,,	पहाड़ी क्षेत्रो में कृषि-उत्पादों के लिये सुनिश्चित मण्डी की व्यवस्था करने की वांछनीयता ।	,,
2	43	,,	शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों को ठीक रखने के लिये प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में ठण्डे गोदाम तथा उत्पादों को डिब्बों में बन्द करने का छोटा कारखाना लगाने की वांछनीयता ।	,,
3	44	,,	अन्तर्देशीय तालाबों में भी अण्डे देने वाली चीनी कार्प मछलियों को सप्लाई करके अन्तर्देशीय मीन उद्योग का विकास तेज़ करने की वांछनीयता ।	,,
3	45	,,	उड़ीसा तट से दूर समुद्र में मछलियां पकड़ने की वांछनीयता ।	,,
3	46	,,	गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिये बहुराष्ट्रीय निगमों को अनुमति न देकर स्नातक इंजीनियरों तथा बेरोज़गार स्नातकों को ट्रालर खरीदने के लिये ऋण देने की वांछनीयता ।	,,
3	47	,,	उड़ीसा के पारादीप मत्स्यपालन प्रशिक्षण देने का केन्द्रीय संस्थान बनाने की वांछनीयता ।	,,
3	48	,,	उड़ीसा के तट पर गोपालपुर, सतपाड़ा, पुरी, कोणार्क, पारादीप, धर्म और चांदबली पर मत्स्य-पत्तन बनाने की वांछनीयता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	49	श्री पी० के० देव	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में थसमुल-कानपुर में पशु नस्ल-विकास फार्म का विकास करने की वांछनीयता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाएं
4	50	,,	गुजरात में आनन्द में जैसे दूध और दूध उत्पादों का विकास किया गया है, वैसे ही कालाहांडी जिले में "आपरेशन फ्लड" का विकास करने की वांछनीयता ।	,,
5	51	,,	उड़ीसा में, विशेषकर कालाहांडी जिले में बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना ।	,,
5	52	,,	इन्द्रावली, नागवली, वंशधारा और तेल नदियों, जिनके स्रोत उड़ीसा के कालाहांडी जिलें में हैं, के तटवर्ती क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्य पूरे करने की वांछनीयता ।	,,
5	53	,,	कालाहांडी जिले में करलापट और जगसई-पटना क्षेत्र को वन्यप्राणी रक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की वांछनीयता ।	,,
5	54	,,	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में परती भूमि तथा वनों से मुक्त भूमि पर बड़े पैमाने पर सागवान और सिसु के पेड़ लगाने की वांछनीयता ।	,,
5	55	,,	उड़ीसा में कालाहांडी जिले में अन्धाधुन्ध पेड़ काटना रोकने की आवश्यकता ।	,,
5	56	,,	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में वन्य प्राणियों का चोरी से शिकार करने को रोकने की आवश्यकता ।	,,
6	61	,,	उड़ीसा, विशेषतया कालाहांडी जिले में किसानों से अधिग्रहण धान की खरीद करने में सरकारी क्रय एजेन्टों की विफलता ।	,,
6	62	,,	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में दो आधुनिक जापानी ढंग के चावल मिल—एक केसींगा में तथा दूसरा जूनागढ़ में स्थापित करने की वांछनीयता ।	,,

10 L S S/76—8

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
6	63	श्री पी० के० देव	कालाहांडी जिले में मिल मालिकों तथा क्रय एजेन्टों से सरकारी तथा भारतीय खाद्य निगम की देय राशि, जो कि करोड़ों रुपयों में है, वसूल करने की वांछनीयता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें
6	64	,,	कालाहांडी जिले के दूरस्थ और दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में उचित मूल्य की अधिक फुटकर दुकानें खोलने की वांछनीयता ।	,,
7	72	,,	उड़ीसा में कालाहांडी जिले में सूखे से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम आरम्भ करने की वांछनीयता ।	,,
7	73	,,	समेकित आदिमजातीय विकास कार्यक्रम का मुख्यालय आदिमजातीय बहुल क्षेत्र के बीच, उदाहरणार्थ उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कारलापत में स्थापित करने की वांछनीयता ।	,,
7	74	,,	झूम खेती को समाप्त करने तथा पहाड़ी घाटियों में आदिवासियों को बसाने की वांछनीयता ।	,,
10	88	,,	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा अपर इन्द्रावती परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने और इसके शीघ्र कार्यान्वियन की वांछनीयता ।	,,
10	89	,,	फरक्का बांध और गंगा के पानी के आवंटन के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच विवाद को शीघ्र निपटाने की वांछनीयता ।	,,
10	90	,,	भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक लाभ के लिये संयुक्त प्रयास के रूप में काली, कर्नाली, बागमती आदि जैसी नदियों से नेपाल में पन-बिजली और सिंचाई की क्षमता का प्रयोग करने की वांछनीयता ।	,,
10	91	,,	चीन सरकार के सहयोग से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी और इसके यू मोड़ पर पन-बिजली और सिंचाई परियोजना को आरम्भ करने की वांछनीयता ।	,,

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव	प्रस्ताव का नाम	कटौती का अधार	कटौती की राशि
1	92	श्री सरजू पाण्डेय	राष्ट्रीय कृषि आयोग की किसानों की दशा सुधारने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए
1	93	,,	राज्यों को भूमि सुधार प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निदेश देने में असफलता ।	,,
1	94	,,	जोतों पर अधिकतम सीमा लागू होने के पश्चात् फालतू भूमि का वितरण करने में असफलता ।	,,
1	95	,,	बीजों का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	,,
1	102	श्री दीनेन भट्टाचार्य	गेहूं और चावल के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने की आवश्यकता ।	,,
1	103	,,	राज्यों से गरीब किसानों पर जल-कर की दर में कमी करने की सिफारिश करने की आवश्यकता ।	,,
1	104	,,	लोवर दामोदर पट्टी के ग्रामीणों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लोवर दामोदर योजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
1	105	,,	"दंकानकुनी नहर" की पानी निकासी नहर के लिये योजना बनाने तथा उसे पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
1	106	,,	देश भर में सूखाग्रस्त तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सस्ती दर पर खाद्यान्न के वितरण की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	107	,,	कृषकों तथा हमारी अर्थव्यवस्था के लाभ के लिये राज्यों को प्रभावी ढंग से कृषि सुधार करने की सिफारिश करने में असफलता ।	,,
1	108	,,	हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के हित में प्रभावी ढंग से सामन्तशाही का उन्मूलन करने में असफलता ।	,,

10 LSS/76—9

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : White supporting the demands for grants of the Agriculture Ministry, I congratulate the Minister of Agriculture and his associates for their fine way of resolving the food problem of the country. The House will recall that when Babuji took over the charge of this Ministry, the food situation was critical and there was an atmosphere of gloom all over the country. But as soon as he assumed the charge, a ray of hope and confidence was generated in the country. With the grace of God, the monsoon became favourable and as a result, we had a record production of foodgrains which went even beyond the target. At the same time this has created a new problem *i. e.*, that of fall in prices. At present the prices prevailing in the market are even below the prices fixed by Government. Therefore, there is need to ensure that the farmers do not suffer loss and the tempo of production is maintained.

Another important achievement of this Ministry under the stewardship of Shri Jagjivan Ram is the solution of long standing inter-state water disputes. For example, the dispute between U. P. and Madhya Pradesh has been resolved by setting up the Betwa Control Board. It is hoped that as a result of this measure about 5 lakh acres of dry land would be irrigated and brought under cultivation.

It is necessary that various agreements reached in regard to water disputes, should be implemented early and the rivers which flow through more than one state should be brought under Central jurisdiction by a suitable amendment in the Constitution. Water is a national property and as such it should be under central control. For a balanced and coordinated development of the country, it is necessary that dams are constructed on big rivers at suitable places with a view to controlling floods and generating electricity. If such schemes are undertaken the country would be benefited much. No state is in a position to take up such schemes at state level. The Centre alone is competent to do so.

In regard to land reforms, under the 20-point economic programme, the work of distribution of surplus land has to be completed by the end of June. In order to achieve this, the work will have to be undertaken on war footing . Besides distribution, consolidation of land is also very necessary. It should be our target to complete the consolidation work by the end of fifth Plan. It is essential to increase agricultural production.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]
Shri Vasant Sathe in the Chair]

There is great need to undertake measures to check large scale erosion of cultivable land as this problem has assumed serious proportions. A concrete programme should be formulated to check erosion and to reclaim the fallow land.

After green revolution, Government are taking steps to bring about white revolution in the country. But the progress being made in this direction is rather slow. Our research institutes have developed some grass seeds.They should be distributed among farmers as is being done in case of wheat seeds. If this is done, there is no doubt that white revolution can be brought about in no time.

Small irrigation schemes should also be taken in hand and guidelines to States be issued to bring maximum area under small irrigation scheme.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): Sufficient attention is not being paid by the Ministry towards improving the plight of our farmers. The Ministry should see that the schemes drawn up are implemented properly. The poor peasants are not getting tractors, seeds, power and other inputs that could help bring about larger agricultural production. Our agriculture is still dependent on nature. The inputs are outdated. There are no proper irrigational facilities. As a result we have not been able to increase the production to the desired extent. The Government have no machinery to evolve a price policy in regard to agricultural produce. The price of wheat fixed by Government is below even the cost of production. There is no doubt that increase in the prices of agricultural produce is reflected in their items and it affects about two-thirds of our people. But the prices of inputs used by

farmers have not come down and in some cases they have even gone up. Therefore, Government should ensure easy availability of industrial products on reasonable prices. The financial burden of the cultivator has gone up due to increase in land revenue. This has further been increased by levy of development cess.

The consolidation of holdings is welcome, but the officials at the helm of affairs take undue advantages of existing law and indulge in all sorts of irregularities. Government should find out ways and means to check these irregularities. It is claimed that land is being distributed among landless people speedily. But the actual position is not known in this regard. I have recently visited 25 villages. I came to know that out of these 25 villages the land has been distributed only in two. The distribution is only on papers. The figures broadcast over radio and television are based on those supplied by Lekhapals, who prepare fictitious reports. It is not known where the land that was surplus is located and what is the acreage thereof. It appears that whatever is stated to have been done is all on paper. The bureaucracy is acting arbitrarily in rural areas and exploiting poor masses. The farmers are not getting power connection for energising their pumping sets.

There is lack of adequate facilities for supply of drinking water in rural areas. Irrigational facilities are awefully inadequate in U. P. There is no permanent machinery for controlling floods. There is no doubt that certain embankments and dams have been constructed for checking floods, but their maintenance is very poor. There is no arrangement for their repairs, Government should ensure that the funds allocated for this purpose are actually utilised thereon and not diverted to other items. This should be made a Central Subject, so that there is an effective control of floods otherwise this menace will continue for ever.

In accordance with 20-Point economic programme, the bonded labour has been abolished and the labour has been freed from indebtedness. The money lenders in rural areas have stopped advancing loans to such labourers. But Government have not made proper arrangements to give them loans on easier terms. It is not known when banking facilities would be made available in villages.

It has been stated that provision has been made under the 20-Point programme for allotment of land to landless people. For this purpose some areas should be selected and we should be informed what kind and how much assistance has been given to poor people under this programme.

Land has been reserved in U. P. for planting forest. On paper, it has been shown that trees have been planted on that land. But in fact no tree has been planted . Nor is there any possibility of such afforestation. Therefore, this land should be allotted to poor landless people for cultivation till trees are planted there.

No improvement has so far been made in the working of CSAR. The Scientists working there are being harassed and they are not being allowed to work independently. Unless they are permitted to work peacefully, it will not be possible to make much headway in the field of research.

We have been repeatedly stressing the need for nationalization of Sugar indsustry unless this industry is nationalized it is not possible to protect the sugarcane growers from being exploited by sugar mill owners. Immediate decision should be taken to nationalize sugar mills in the country. .

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): Sir, I rise to support the demands for grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. This is an important Ministry which controls the three sources of production viz., land, animal and forests. The fourth being mines of which a greater part is related to this Ministry. Therefore its field is wide and it is not possible to cover the entire field in such a short time. I will, therefore, touch some important points only.

So far the agricultural production is concerned, this year there has been record production. Weather has been favourable and almost in the entire country there were good rains. It was only the jute production which has fallen. The Ministry has had support and appreciation for its policies and performance from the public.

Along with the increasing agricultural production the population has also increased. That is why the attention of the Country has been drawn to family planning. I support the measures taken by Government in this direction. It is true that unless the increasing population is checked, it is not possible to meet the demand.

The Ministry appointed a Commission to go into all these problems thoroughly. After 5 years the National Agriculture Commission submitted its report to Government. The Commission made 2333 recommendations. The Ministry are considering implementation of the recommendations. These cover larger periods. Some of them involve financial implications but some require urgent attention.

Shri Richhariya has just now laid stress on water being declared as national property. Irrigation Commission has also made recommendation to this effect. I suggest that suitable amendments should be made in the Constitution for making a provision for this purpose. This will prove to be the best solution for so many pending water disputes between the different States. I would, therefore, request that this opportunity should be utilised which has the support of countrymen from all quarters.

The total land in our Country is 308 million acres. In accordance with the Scientific principle in this regard 33 per cent of the land should be under forests. But we have at the most 24-25 per cent land under forests. Some people today want the vacant land to be distributed. But they do not consider the gravity of the problem. The Ministry have so far spent a total amount of Rs. 1,100 crores on soil conservation but in spite of this the land is in a bad condition. The erosion has not been checked. Forests are being destroyed. With the result that though there is 24-25 per cent land under forests but the land containing real forests is only 10 per cent. These forests are also unapproachable and they are themselves being destroyed. Some States have made corporations, for man-made forests but these Corporations suffer shortage of trained personnel and plans. In order to make this scheme successful we have to consider thoroughly the .question of getting aid from World Bank, making unapproachable forests approachable, having quick growing species. It is not sufficient to have Corporations. Though agriculture, forestry, animal husbandry are all State subjects but the responsibilities of the Ministry are wide towards the population of the country. The Ministry have the hard responsibility of feeding the vast population. Therefore, new provision should be made in the Constitution so that national target could be attained. This whole programme would require funds to the tune of Rs. 20 thousand crores covering a time of more than five years for implementation. Out of the 400 million hectare meter of rain water available in the country only 60 million hectare meter is utilised for irrigation. Out of this 120 million hectare meter water can also be utilised for irrigation and thus the percentage of the water so utilised would be 50—52 percent. Along with this a scheme should have also been prepared for the rehabilitation of land and for maintaining its fertility. I suggest for a high level land commission which would look into the problem of making good the land damaged by flood, winds, animals etc. That land can be made use of by implementing suitable schemes therefor. It would be better if a programme therefor is included in the budget for the current year.

The production of Rabi and Kharif crops is estimated to be 114 million tonnes this year and the Government propose to make buffer stocks. Three Corporations have also been constituted which are Cotton Corporation, Jute Corporation and Food Corporation. Except Food Corporations the other two corporations could not function due to paucity of funds. In this regard I would suggest that these corporations should have at least operated in such a way that they should have made 25 or 30 per cent purchases in the market. It is necessary to have schemes for making such purchases so that the producer could be saved from exploitation and import of the commodity is avoided. F. C. I. should have up-to-date list of sale prices of foodgrains prevailing in different parts of the country and whenever the prices go down the corporation should make purchases so that the growers are not put to undue loss. It is, therefore, necessary that all these three corporations should be put to proper functioning for quick implementation of the schemes chalked out in the respective fields.

For fixation of the prices of various agricultural commodities there is Agriculture Price Commission. This Commission makes recommendations in regard to the prices of agricultural commodities. I suggest that an agricultural production scientist should also be included in this commission. This will enable competent advice on scientific issues. In its report recently submitted by the commission it has been stated that the cost of per quintal wheat in Punjab comes to about Rs. 85 whereas procurement price is Rs. 105. Along with raising the procurement prices it is also to be seen that the cost of production is also lowered. In this connection attention may be drawn to the fact that due to higher prices of fertilizers only 20 per cent use thereof was made which resulted in low production. Therefore the prices of fertilizers should further be reduced.

In so far as electricity is concerned, there is disparity in its charges in the agricultural and industrial fields. The per unit charges in industry are 6 Paise whereas it is 24 paise for the farmer. On the one hand land tax is being imposed on the farmer on the other hand it is said that the farmer is enjoying.

The prices of agricultural inputs have increased. The price of tractor has increased from Rs. 20 thousand to Rs. 60 thousand. The Government have found justification for reducing the prices of motor cars but have not considered reducing the price of tractors. Tractors of smaller horse power should be manufactured so that small farmers may also be able to purchase them. The Panchayats and Cooperatives should also have 6-7 tractors for use of small farmers. Similarly the prices of tubewells should also be reduced. These problems should be taken up by the Universities for study and remedial measures suggested by them. If the prices of the produce of the farmers decrease and the cost of production increases the whole economy will be put to disorder.

If the lot of the marginal and small farmers is to be improved we will have to introduce mixed farming and find out subsidiary means by way of poultry farming etc. for increasing their income. The Commission have made valuable recommendations for improving the lot of small and marginal farmers. It is, therefore, the implementation only which is to be speeded up. We have to do a lot in this field. We have to arrange for cross-breeding of animals, good treatment of their diseases and employ greater number of trained personnel for the purpose.

At present agriculture is entrusted to Khadi and Gramodyog Commission. It works in a very limited field. The work of Khadi Commission in this field is not satisfactory.

People are prepared for having Gobar Gas plants but the work being done by Khadi Commission in this regard is not satisfactory. It is only in Haryana that some special attention has been paid to this, but in other states it is at a standstill. If the work of agriculture and Gobar Gas plant is left on Khadi Commission, we cannot hope any special progress therein.

I hope the Hon'ble Minister would take into consideration all these points and take some decision thereon. I have full confidence that he will successfully shoulder the great responsibilities entrusted to him.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, सिचाई मंत्री के प्रयत्नों और राजनय के कारण अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान हुआ है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। गत 9 या 10 वर्षों में विभिन्न राज्यों में रक्तपात और मुकदमेंबाज़ी हुई है। अब इसका सुखद समाधान हुआ है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को ठोस रूप देने के लिए सुन्दर भविष्य के एक युग का प्रारम्भ हुआ है और इसके द्वारा 50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई होने लगेगी।

उड़ीसा में ऊपरी इन्द्रावती परियोजना को शीघ्र लागू करना आवश्यक है। अन्तर्राज्यीय जल नदी विवाद जिसमें मुख्य रुकावट थी, जिसका अब समाधान हो गया है। इससे उड़ीसा के 2½ लाख हैक्टेयर सूखाग्रस्त ज़मीन में सिंचाई होगी। इससे सस्ते मूल्य पर 600 मेगावाट पन-बिजली पैदा होगी।

राज्य भी इस परियोजना को चालू करने में उत्सुक है और इस वर्ष के बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को प्राथमिकता प्रदान करें और इसे पंचम पंचवर्षीय योजना में शामिल करें। इस क्षेत्र के लोगों की यह उत्कृष्ट अभिलाषा है।

इन्द्रावती कालाहांडी जिले के थोमल-रामपुर पठार से निकलती है। यह चार मुख्य नदियों की स्रोत है। इसलिए अपवाह क्षेत्र को बचाना भी आवश्यक है। आदिवासी बड़े पैमाने पर वनों की सफाई कर रहे हैं। ठेकेदार भ्रष्ट अधिकारियों की मिली-भगत से पेड़ों को काट रहे हैं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। लाखों टन मिटटी कटाव द्वारा बहायी जा रही है। उससे भूमि की उत्पादकता नष्ट हो रही है। चूंकि यह प्रस्तावित इन्द्रावती बांध के क्षेत्रान्तर्गत आता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां युद्ध-स्तर पर, वनरोपण किया जाये, जिससे इस बांध को अधिक समय तक मज़बूत बनाये रखा जा सके। 50 वर्ष पूर्व वहां सन्दल की लकड़ी के पौधे लगाये गए थे। लेकिन अब वहां इसका नामोनिशान नहीं है।

हाल ही में यहां इण्डिया काफी बोर्ड का एक दल आया था। इसकी सिफारिश पर उड़ीसा सरकार ने काफी के बाग लगाए थे। परन्तु अब एकाएक काफी के बाग लगाने का कार्य बन्द कर दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस मामले की जांच करे।

इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चारे की फसल उगती है। अतः यहां पशु और भैंस हज़ारों की संख्या में देखने को मिलते हैं। यह पशुपालन केन्द्र बन सकता है। यह अच्छी बात है कि उस क्षेत्र में एक समेकित आदिवासी विकास खण्ड चालू किया गया है। आदिवासियों से घाटियों में जुताई करने और खेती करने के लिए कहा जाये।

गण्डक पर भारत और नेपाल ने एक संयुक्त परियोजना चालू की है। नारायणी और करनाली परियोजनायें भी शुरू की गयी हैं। ये पर्याप्त नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ समस्या का समाधान किया जाये, तो काली, करनाली, गण्डक, नारायणी, बागमती और कोसी नदियों का उपयोग किया जाये, जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सके। इससे उद्योगों को बिजली सप्लाई की जा सकती है और बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

परशुराम कुण्ड पर पश्चिम की ओर मुड़ने वाली ब्रह्मपुत्र पर भी विद्युत उत्पादन की अधिक सम्भावनायें हैं। यदि चीन के साथ मिलकर वहां संयुक्त प्रयास किए जाये तो बहुत अच्छा होगा। यह सबसे बड़ी परियोजना होगी। इससे भारत-चीन की मित्रता की नींव पड़ेगी।

मुझे आशा है कि बाबू जी फरक्का जल विवाद हल करने में भी सफल होंगे और इस तरह भारत और बंगलादेश की मित्रता स्थायी बनेगी।

कीटनाशक दवाओं और उर्वरक के बारे में मेरा यह विचार है कि ये चीज़ें सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जायें। मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि उर्वरक का दुरुपयोग मछलियां, जंगली पशु आदि के मारने में किया जा रहा है। इसी तरह जल में रहने वाले सर्प भी काफी संख्या में मर जायेंगे। जिनके मरने के बाद चूहों की संख्या बढ़ जायेगी जो हमारे खाद्यान्नों को नष्ट कर देंगे।

हाल ही में सब्जियों और फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु ये नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। उत्पादकों के अथक प्रयासों के बावजूद इनको परिरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में एक शीत भण्डार संयंत्र और डिब्बा-बन्दी कारखाना होना चाहिए जिससे नष्ट होने वाले पदार्थों को परिरक्षित रखा जा सके।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वसूली एक भयंकर समस्या बन गयी है। क्रेता एजेन्ट वसूली मूल्य पर भी धान नहीं उठा रहे हैं। अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों को अलाभकार मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की छानबीन करे।

मेरी अन्तिम बात समुद्र में से मछली पकड़ने के बारे में है। उड़ीसा में अनेक प्रकार की मछलियों का भण्डार है। बेरोजगार इंजीनियरों को जलपोत दिए जायें न कि बहु-राष्ट्रीय निगमों को। गोपालपुर, सतपुड़ा, पुरी, कोणार्क, चांदवाली और चांदीपुर में मछली पकड़ने का काम शुरू किया जाना चाहिए। इससे बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय और उनके विभाग के अधिकारियों को अच्छा काम करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सिंचाई पहलू पर अपने कुछ उद्गार व्यक्त करता हूं।

यह बड़ी खुशी की बात है कि हम 230 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करने लगे हैं। विश्व के किसी अन्य देश में इतनी अधिक भूमि की सिंचाई नहीं होती है। हमारा खाद्य उत्पादन, जो स्वतन्त्रता के समय 550 लाख मेट्रिक टन था, अब 1100 लाख मेट्रिक टन हो गया है। परन्तु अभी भी यह स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है कि कृषि के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है।

आज सुबह हम अच्छे बीज और उर्वरक पर चर्चा कर रहे थे। ये चीजें भी आवश्यक हैं परन्तु मूल चीज जल है, क्योंकि जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): यह तो सही है कि प्राथमिक चीज जल है। इसे तो हरेक स्वीकार करेगा।

डा० के० एल० राव : परन्तु हमें अब भी कुछ सन्देह है।

श्री जगजीवन राम : नहीं।

डा० के० एल० राव : चूंकि जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन अधिकाधिक होना चाहिए जिसका मतलब यह है कि सिंचाई की सुविधायें अधिक हों। कुछ वर्षों में कहीं वर्षा अधिक होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता है। अतः हमें कमी वाले वर्षों के लिए 80--100 लाख मीटरी टन की कमी को पूरा करना होगा। इसे सामान्य सिंचाई कार्यक्रम द्वारा पूरा किया जा सकता है। हम प्रतिवर्ष 10 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत ला रहे हैं। यह अच्छी बात है। बढ़ती हुई आबादी के लिए यह पर्याप्त होगा। परन्तु मानसून की अनिश्चितता के कारण यह कमी फिर भी हो सकती है, हमें इस स्थिति पर काबू पाना होगा।

सभापति महोदय : डा० राव, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 4 मई, 1976/14 वैशाख, 1898 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 4, 1976/Vaisakha 14, 1898 (Saka).

MGIPRRND—Sec. V (Day)—10 LSS/76—10-9-76—200